00117

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन

(वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 1)

दिनांक ....को विधान सभा
में प्रस्तुत।
Presented to Legislature
on...22 MAR 2013

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन

*वर्ष **2013** का प्रतिवेदन क्र. **1***

अनुक्रमणिका

	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix-xiii
भाग - क **राजस्व**		
पहला अध्याय : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	3
बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर	1.2	6
कुल बकाया राजस्व एवं पाँच साल से अधिक बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.3	7
कर अपवंचन	1.4	7
प्रतिदाय	1.5	8
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया	1.6	8
राज्य शासन के प्रति उत्तरदायित्व एवं शासन हितों के संरक्षण में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	1.7	9
विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें	1.8	10
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया	1.9	10
लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण - सारांश स्थिति	1.10	10
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.11	11
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण करना	1.12	12
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.12.1	12
निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाए गए विषयों पर शासन/विभाग द्वारा दिये गए आश्वासन	1.12.2	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.13	16
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर किए गये संशोधन	1.14	17

दूसरा अध्याय : वाणिज्यिक कर		
कर प्रशासन	2.1	21
विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.2	21
बकाया राजस्व का विश्लेषण	2.3	22
कर निर्धारती का चित्रण	2.4	22
प्रत्येक कर निर्धारिती पर वेट का संग्रहण	2.5	22
कर निर्धारण हेतु बकाया	2.6	23
संग्रहण की लागत	2.7	23
संग्रहण का विश्लेषण	2.8	24
लेखापरीक्षा का प्रभाव	2.9	24
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.10	25
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.11	25
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.12	26
कर का अपवंचन और शास्ति का अनारोपण	2.13	27
घोषणापत्रों पर अनियमित छूट	2.14	28
समंजन की गलत स्वीकृति से कम आरोपण	2.15	28
कर का कम आरोपण	2.16	29
कर की कम दर का प्रयोग	2.17	30
अनियमित आगत कर की छूट के कारण कर का अनारोपण	2.18	31
कर का अनारोपण	2.19	32
प्रवेश कर का अनारोपण	2.20	33
कर का अनारोपण	2.21	34
अनियमित छूट से प्रवेश कर का अनारोपण	2.22	34
छत्तीसगढ़ बकाया राशि सरल समाधान योजना 2010	2.23	35
बकाया राशि की गणना में शास्ति राशि को सम्मिलित न करना	2.23.1	37
समाधान राशि के कम आरोपण से राजस्व हानि	2.23.2	37
समाधान राशि के भुगतान में विलंब	2.23.3	38
वापसी समायोजन आदेश का समाधान राशि में गलत समायोजन	2.23.4	39

तीसरा अध्याय : मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		
कर प्रशासन	3.1	43
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.2	43
बकाया राजस्व का विश्लेषण	3.3	44
संग्रहण की लागत	3.4	44
लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.5	44
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.6	45
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.7	46
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	3.8	46
मार्गदर्शिका का पालन न किया जाना	3.9	47
सिंचित भूमियों और दो फसली भूमियों की संपत्तियों का गलत मूल्यांकन	3.10	49
अनियमित छूट के कारण मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण	3.11	50
संपत्तियो का अवमूल्यांकन	3.12	51
मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों का न्यून मूल्यांकन	3.13	52
दो या दो से अधिक विक्रेताओं का एक दस्तावेज तैयार करने से सम्पत्ति का न्यून मूल्यांकन	3.14	52
चौथा अध्याय : भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	57
भू-राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.2	57
बकाया राजस्व का विश्लेषण	4.3	58
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.4	58
लेखापरीक्षा का प्रभाव	4.5	59
लेखापरीक्षा परिणाम	4.6	59
लेखापरीक्षा टिप्पणी	4.7	60
शहरी स्थानीय निकाय की नजूल भूमि पर भूमि-भाटक और प्रब्याजी का अनारोपण	4.8	61
प्रब्याजी एवं भू-राजस्व का कम आरोपण	4.9	61

पाँचवां अध्याय : वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	5.1	65
वाहनों पर कर से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति	5.2	65
बकाया राजस्व का विश्लेषण	5.3	66
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.4	66
संग्रहण की लागत	5.5	67
लेखापरीक्षा का प्रभाव	5.6	67
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.7	68
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	5.8	68
व्यवसायियों से व्यापार फीस की कम/अवसूली	5.9	70
यात्री यान एवं माल यान के स्वामियों से कर की अवसूली	5.10.1	71
मंजिली गाड़ी परमिट पर प्रचलित वाहनो से वाहन कर की कम वसूली	5.10.2	71
बैठक क्षमता की गलत गणना से वाहन कर का कम आरोपण	5.11	72
प्रवेश कर का संदाय किए बिना वाहनों का पंजीयन	5.12	73
व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स की कम वसूली	5.13	74
छठवाँ अध्याय : अन्य कर प्राप्तियाँ		
अ: विद्युत पर कर एवं शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	77
विद्युत शुल्क के आरापेण एवं संग्रहण (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	6.2	77
ब:राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	6.3	100
राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	6.4	100
बकाया राजस्व का विश्लेषण	6.5	101
संग्रहण की लागत	6.6	101

लेखापरीक्षा का प्रभाव	6.7	102
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.8	103
लेखापरीक्षा परिणाम	6.9	103
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6.10	103
मद्य भण्डागारों में देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध नहीं रखने के बावजूद शास्ति का अनारोपण	6.11	104
सातवाँ अध्याय : अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ		
अ : वन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	7.1	107
वानिकी एवं वन्य जीवन से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	7.2	107
बकाया राजस्व का विश्लेषण	7.3	108
आंतरिक लेखापरीक्षा	7.4	108
लेखापरीक्षा का प्रभाव	7.5	109
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.6	110
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	7.7	110
निस्तार काष्ठगारों में जलाऊ लकड़ी पर अनुमत्य सीमा से अधिक सूखत दिया जाना	7.8	111
काष्ठ कूपों में काष्ठ का अपरिवहित पड़े रहना	7.9	112
डिपो में वनोपज की कमी	7.10	113
काष्ठ की हानि	7.11	114
ब : वित्त विभाग		
ब्याज प्राप्तियाँ	7.12	115

भाग - ख

व्यय

आठवां अध्याय : वन व्यय		
कर प्रशासन	8.1	123
वन विभाग में व्यय की प्रवृत्ति	8.2	123
लेखापरीक्षा का प्रभाव	8.3	124
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.4	124
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	8.5	125
आपदा राहत मद से अस्वीकृत कार्यों पर अनियमित व्यय	8.6	125
क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि की कम वसूली	8.7	126
प्रमाणकों में संदिग्ध व्यय	8.8	127
वृक्षारोपण पर संदिग्ध व्यय	8.9	130
बांस वृक्षारोपण पर निरर्थक व्यय	8.10	132
दो डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग पर अनियमित एवं संदिग्ध व्यय	8.11	134
पठियापाली से झालपानी के बीच डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग के निर्माण में संदिग्ध व्यय	8.12	136
बारिश के दौरान चेकडैम एवं वनमार्ग निर्माण पर संदिग्ध व्यय	8.13	137
सड़क किनारे वृक्षारोपण में निष्फल व्यय	8.14	138
परिशिष्ट		141-176

प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन का भाग 'क' वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धित कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वन एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम को दर्शाता है।

प्रतिवेदन का भाग 'ख' वन विभाग के व्यय की लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये प्रेक्षणों को दर्शाता है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 40 कंडिकाएं सम्मिलित हैं जिनमें राशि ₹ 1,568.91 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है जो कर के कम आरोपण/अनारोपण, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति एवं संदेहास्पद/निरर्थक व्यय इत्यादि से संबंधित है। विभाग/शासन द्वारा ₹ 1,399.13 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किए गए है जिसमें से ₹ 88.91 करोड़ वसूल किये गये।

I. सामान्य

गत वर्ष के ₹ 12,840.46 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ ₹ 14,770.73 करोड़ रही। इसमें से 57 प्रतिशत राशि कर राजस्व (₹ 10,712.25 करोड़) और कर भिन्न राजस्व (₹ 4,058.48 करोड़) द्वारा राज्य को प्राप्त हुई। शेष 43 प्रतिशत राशि भारत शासन के विभाज्य संघीय करों में राज्यांश (₹ 6,320.44 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 4,776.21 करोड़) से प्राप्त हुई।

(कंडिका 1.1.1)

जून 2012 के अंत में, दिसम्बर 2011 तक जारी, 2,185 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 8,428 लेखा परीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 4,495.26 करोड़ समाहित थी लम्बित हैं।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, खनन एवं उत्खनन, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, भू-राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व आदि के प्राप्तियों की नमूना जाँच में ₹ 555.69 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण राजस्व की हानि के 18,824 प्रकरण पाये गये। वर्ष 2011-12 के दौरान सम्बन्धित विभागों द्वारा 5701 प्रकरणों में, जिसमें ₹ 106.24 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष के दौरान इसमें से विभाग द्वारा ₹ 11.86 लाख की वसूली की गई।

(कंडिका 1.13.1)

II. वाणिज्यिक कर

क्रय और विक्रय को छुपाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी कर और शास्ति ₹ 18.94 लाख लगाने में विफल रहा।

(कंडिका 2.13)

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर-II बिलासपुर द्वारा अनियमित छूट देने के कारण कर एवं शास्ति का अनारोपण ₹ 21.08 लाख।

(कंडिका 2.14)

निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर की गलत दर लागू करने के कारण कर और शास्ति का कम आरोपण ₹ 24.90 लाख।

(कंडिका 2.16, 2.17.1)

कर की निम्न दर अपनाए जाने से कर का कम आरोपण ₹ 20.24 लाख।

(कंडिका 2.17.2)

सोया फलोर के विक्रय में अनियमित छूट देने के कारण कर एवं शास्ति का अनारोपण ₹ 4.66 करोड़।

(कंडिका 2.19)

अनुसूची की प्रविष्टियों का सत्यापन करने में निर्धारण अधिकारी विफल रहा जिससे प्रवेश कर का अनारोपण हुआ ₹ 1.24 करोड़।

(कंडिका 2.20)

किये गये क्रयों में अनियमित छूट प्रदान करने से प्रवेश कर का अनारोपण ₹ 8.31 लाख।

(कंडिका 2.21)

समाधान राशि की कम प्राप्ति भुगतान में विलम्ब बकाया राशि के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण और गलत समायोजन के कारण राजस्व की हानि ₹ 7.07 करोड़।

(कंडिका 2.23)

III. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क

उप पंजीयक द्वारा दस्तावोजों के पंजीयन के समय मार्गदर्शिका का अनुपालन नही करने से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण ₹ 43.24 लाख।

(कंडिका 3.9)

मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों का न्यून मूल्याँकन करने से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 19.84 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 3.13)

IV. भू - राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों से नजूल भूमि पर विभाग द्वारा प्रीमियम और भू - भाटक का आरोपण करने में विफलता से राजस्व ₹ 59.73 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 4.8)

V. वाहनो पर कर

परिवहन अधिकारियों द्वारा आवश्यक फीस बिना लिए व्यापार प्रमाणपत्रों को जारी करने के कारण फीस का अन/कम आरोपण ₹ 4.43 करोड़।

(कंडिका 5.9)

जिला परिवहन अधिकारी कांकेर द्वारा गाडियों का पंजीयन बिना प्रवेश कर का आरोपण करने के कारण कर का अनारोपण ₹ 6.13 लाख।

(कंडिका 5.12)

परिवहन अधिकारियों द्वारा फार्म -19 के अनुसार पंजी का संधारण की जाँच और उसके अनुसार व्यापार कर का आरोपण करने में विफल रहने से व्यवसायियों से ₹ 4.17 करोड़ की कम प्राप्ति।

(कंडिका 5.13)

VI. अन्य कर प्राप्तियाँ

अ : विद्युत पर कर एवं शुल्क

विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण की निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि :

- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम में गलत प्रावधान को सम्मिलित किए जाने से उपकर का आरोपण दो विभिन्न स्थानों पर हो रहा है जिससे उपभोक्ताओं पर राशि ₹ 252.63 करोड़ का अतिरिक्त भार आया।

(कंडिका 6.2.10)

- उद्योगों को गलत छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण विद्युत शुल्क एवं ब्याज की राशि ₹ 15.77 करोड़ का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.11)

- अधिसूचना के निरस्त हो जाने के बावजूद भी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा छूट जारी किए जाने से राशि ₹ 44.68 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.12.2)

- छूट हेतु अयोग्य टीजी सेट को छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने से राशि ₹ 35.69 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.14)

- मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा अयोग्य उद्योगों को छूट जारी किये जाने से राशि ₹ 44.74 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.15)

- स्टैण्डबाय टीजी सेट को अनियमित रूप से छूट दिये जाने से राशि ₹ 16.10 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अवसूली।

(कंडिका 6.2.16)

- एक उद्योग द्वारा छूट अप्राप्त उद्योगों को विद्युत ऊर्जा का विक्रय किये जाने के बावजूद छूट जारी रखने के कारण राशि ₹ 20.90 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.17)

- अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निर्माण कंपनी लिमिटेड पर राशि ₹ 47.62 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.18)

- अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के संयंत्र को थर्मल पावर प्लांट में बदलने पर भी मुख्य विद्युत निरीक्षक राशि ₹ 5.40 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं ब्याज आरोपित करने में असफल रहा।

(कंडिका 6.2.19)

- मुख्य विद्युत निरीक्षक राशि ₹ 22.36 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं ब्याज आरोपित करने में असफल रहा।

(कंडिका 6.2.21)

VII. अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ

अ : वन प्राप्तियाँ

वनमंडलाधिकारियों द्वारा समयबद्ध सीमा में वनोपज का परिवहन करने में विफल रहने से राजस्व हानि ₹ 59.83 लाख।

(कंडिका 7.9)

ब: ब्याज प्राप्तियाँ

वित्त विभाग/शासन द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु निबंधनो एवं शर्तो को शामिल न किये जाने से दण्ड ब्याज वसूल न होना।

(कंडिका 7.12.7.1)

प्रशासनिक विभागो द्वारा सुसंगत अभिलखों का संधारण करने में विफलता तथा वित्त विभाग में प्रणाली के अभाव में ऋणो के भुगतान और वसूली पर नियत्रंण न होने के परिणामस्वरूप (कुल ₹ 249.29 करोड़) ऋण राशि की मांग/निर्धारण ब्याज तथा दांडिक ब्याज न होना।

(कंडिका 7.12.8)

ऋण स्वीकृत विभागों द्वारा बकाया ऋण राशि का सत्यापन किये बिना पुर्नभुगतान किये जाने से ब्याज की कम प्राप्ति ₹ 4.29 करोड़।

(कंडिका 7.12.9)

VIII. वन विभाग

आपदा राहत कोष से वनमंडलाधिकारियों द्वारा अस्वीकृत कार्यो को किये जाने से अनियमित व्यय ₹ 10.76 करोड़।

(कंडिका 8.6)

कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ वनमंडलाधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण की गणना में दरों की वृद्धि को ध्यान में न रखे जाने से कम प्राप्ति ₹ 85.98 लाख।

(कंडिका 8.7)

कांकेर एवं कोरिया वनमंडलाधिकारियों द्वारा एक दिन में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न निर्माण कार्यो में लगे समान मजदूरों को भुगतान करने से प्रमाणकों में संदिग्ध व्यय ₹ 4.94 लाख।

(कंडिका 8.8)

डब्लू.बी.एम. सड़क और चेक डेम का निर्माण करने से अनियमित और संदिग्ध व्यय ₹ 1.89 करोड़।

(कंडिका 8.11, 8.12 एवं 8.13)

भाग - क

राजस्व

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है	इस अध्याय में राज्य शासन द्वारा ली गई राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर, लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया, विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर शासन/विभागों द्वारा कार्यवाही करने की प्रक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति, वाणिज्यिक कर के निष्पादन लेखा परीक्षाओं में दिए गए सुझाव पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही एवं वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा के परिणाम को प्रस्तुत किया गया है।
राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा ली गई प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 14,770.73 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत था। शेष 43 प्रतिशत प्राप्तियों की राशि ₹ 11,096.65 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ।
निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं का अनुपालन न होना	दिसम्बर 2011 तक जारी 2,185 निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल 8,428 कंडिकाएँ राशि ₹ 4,495.26 करोड़ जून 2012 तक अनुपालन के अभाव में लंबित थे। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक था परन्तु मार्च 2012 तक 39 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त (30 जून 2012) नहीं हुए, उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमितताओं को सुधारने में असफल रहे।
पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए राशि की कम वसूली	वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए प्रकरण में विभागों द्वारा ₹ 534.53 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की गई जिसमें मार्च 2012 तक मात्र ₹ 39.97 करोड़ (7.48 प्रतिशत) की राशि वसूल की गई।

विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें	वर्ष 2011-12 में हमने पाया कि चार विभागों द्वारा सात[1] विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें की गई जिसमें राशि ₹105.31 करोड़ के 188 कंडिकाएँ निर्णित की गई जबकि अन्य विभागों द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकों के लिए कोई पहल नहीं की गई। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि शासन सामयिक रूप से सभी विभागों का विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठक आयोजन करना सुनिश्चित करें ताकि लंबित कंडिकाओं को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से निराकरण किया जा सके।
लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर किए गए संशोधन	लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर विभाग/शासन ने नियमों में अधिसूचना/परिपत्र द्वारा बदलाव किए। परिवहन विभाग द्वारा कर निर्धारण व्हील बेस के आधार पर नहीं किया जा रहा था एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मोबाइल यंत्र पर प्रवेश कर नहीं लिया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा रेखांकित किए जाने पर संबंधित विभाग ने नियमों में आवश्यक संशोधन किए गये।
हमारा निष्कर्ष	वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 555.69 करोड़ की वित्तीय प्रभाव से संबंधित लेखा परीक्षा प्रेक्षण जारी किए गए। शासन/विभागों द्वारा ₹ 106.24 करोड़ के प्रेक्षण स्वीकार किए गए। यह सिफारिश की जाती है कि शासन स्वीकृत मामलों की राशि शीघ्र वसूल करने के लिए प्रयास करे। पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया राजस्व राशि कुल लंबित राशि का 29.58 प्रतिशत था। राज्य सरकार जल्द से जल्द लंबित राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे। शासन द्वारा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के प्रति उत्तर में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए एवं उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जिन्होने निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं का जवाब तय समय सीमा पर नहीं भेजा और समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया राजस्व को वसूल करने हेतु कार्यवाही करने में विफल रहे है।

[1] पंजीयन, वाणिज्यिक कर और खनन एवं उत्खनन द्वारा एक-एक, वन विभाग द्वारा चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित की गई।

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य निवल आगम संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़े नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व**					
	•कर राजस्व	5,618.08	6,593.72	7,123.25	9,005.14	10,712.25
	•कर भिन्न राजस्व	2,020.45	2,202.21	3,043.00	3,835.32	4,058.48
	योग	**7,638.53**	**8,795.93**	**10,166.25**	**12,840.46**	**14,770.73**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	•विभाज्य निवल आगम संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	4,035.00	4,257.91	4,380.66	5,425.19	6,320.44[2]
	•सहायता अनुदान	2,205.12	2,608.92	3,606.74	4,453.89	4,776.21
	योग	**6,240.12**	**6,866.83**	**7,987.40**	**9,879.08**	**11,096.65**
3.	**राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**13,878.65**	**15,662.76**	**18,153.65**	**22,719.54**	**25,867.38**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**55**	**56**	**56**	**57**	**57**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि राज्य शासन द्वारा संग्रहित कुल राजस्व में वर्ष 2011-12 के दौरान 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, इसके विरूद्ध पिछले वर्ष में 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इसी तरह, भारत सरकार से प्राप्तियों में पिछले वर्ष के 24 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व कुल राजस्व का 57 प्रतिशत रहा जो पिछले वर्ष के समतुल्य रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान शेष राजस्व 43 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

[2] विवरण के लिय कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखा वर्ष 2011-12 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कॉरपोरेशन कर, 0021- आय कर कार्पोरेशन कर को छोड़कर, 0032- संपत्ति कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038-संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 901- राज्यों को समानुदेशित निवल आगामों का हिस्सा के दर्ज राशि कर-राजस्व के अंतर्गत दिखाए गए है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश में सम्मिलित किया गया।

1.1.2 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की तुलना में 2011-12 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक कर	2,502.69	2,946.78	3,031.16	4,094.96	4,886.25	19.32
	केन्द्रीय विक्रय कर	521.00	664.16	681.00	745.83	1,120.00	50.17
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	843.10	964.10	1,187.72	1,506.44	1,596.98	6.01
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	462.72	495.59	583.13	785.85	845.82	7.63
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	394.85	415.10	416.91	502.53	637.97	26.95
5.	वाहनों पर कर	276.94	313.78	351.88	427.52	502.18	17.46
6.	माल और यात्रियों पर कर	510.72	420.71	696.10	675.14	825.67	22.30
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	11.54	7.68	8.81	8.82	11.07	25.51
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.40	6.33	6.86	10.68	15.75	47.33
9.	भू-राजस्व	88.12	359.49	159.68	247.37	270.56	9.37
	योग	**5,618.08**	**6,593.72**	**7,123.25**	**9,005.14**	**10,712.25**	**18.95**

(स्रोत :छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

वाणिज्यिक कर एवं केंन्द्रीय विक्रय कर : वृद्धि (19.32 और 50.17 प्रतिशत) लौह अयस्क, सीमेंट और कोयला के दाम में वृद्धि होने से, आगत कर पर दिये गए छूट का प्रतिसत्यापन, कर अपवंचन के विरूद्ध उठाए गए कदम एवं केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत अंतरर्राज्यीय बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

राज्य उत्पाद : वृद्धि (6.01 प्रतिशत) प्रक्रिया शुल्क से आय और शराब की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क : वृद्धि (7.63 प्रतिशत) दस्तावेजों की पंजीकरण की संख्या में बढ़ोतरी एवं अप्रैल 2011 से संपत्ति के बाजार मूल्य में संशोधन की वजह से हुई।

विद्युत पर कर और शुल्क : वृद्धि (26.95 प्रतिशत) समझौता फीस के रूप में अतिरिक्त राजस्व के कारण हुई।

वाहनों पर कर : वृद्धि (17.46 प्रतिशत) नवम्बर 2010 से कर की दरों में वृद्धि और राजस्व की वसूली के लिए किए गए प्रयासों के कारण हुई।

अन्य विभागों से अनुरोध (अप्रैल 2012) किए जाने के बावजूद भी अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)।

1.1.3 वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक राज्य द्वारा संग्रहित कर - भिन्न राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की तुलना में 2011-12 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1,031.55	1,243.24	1,660.87	2,470.44	2,744.82	11.11
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	258.08	322.29	345.85	305.17	341.64	11.95
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	205.61	237.40	220.70	170.95	216.57	26.69
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	97.62	126.04	105.37	222.00	336.49	51.57
5.	अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ	96.43	135.17	537.82	602.01	325.05	(-) 46.01
6.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7.62	1.67	35.67	10.26	21.11	105.75
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	10.59	11.49	13.03	15.97	16.36	2.44
8.	पुलिस	12.31	8.22	6.69	18.22	19.41	6.53
9.	लोक निर्माण	11.67	13.59	14.61	15.74	15.81	0.44
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	281.84	95.58	96.97	(-)0.84	0.74	188.10
11.	सहकारिता	7.13	7.52	5.42	5.40	20.48	279.26
	योग	**2,020.45**	**2,202.21**	**3,043.00**	**3,835.32**	**4,058.48**	**5.82**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग : वृद्धि (11.11 प्रतिशत) कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

ब्याज प्राप्तियाँ : ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि (26.69 प्रतिशत) रोकड़ शेष के निवेश पर ज्यादा ब्याज प्राप्त होने से हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई : वृद्धि (51.57 प्रतिशत) कृषकों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा जलकर जमा करने के कारण हुई।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर

वर्ष 2011-12 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्ष के संबंध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अंतर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
क. कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार पर कर इत्यादि	6,000.00	6,006.25	(+) 6.25	0.10
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,550.00	1,596.98	(+) 46.98	3.03
3.	विद्युत पर कर एवं अन्य शुल्क	632.51	637.97	(+) 5.46	0.86
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	875.00	845.82	(-) 29.18	(-) 3.33
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	700.00	825.67	(+) 125.67	17.95
6.	वाहनों पर कर	475.00	502.18	(+)27.18	5.72
7.	भू - राजस्व	250.00	270.56	(+) 20.56	8.22
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	3.00	7.80	(+) 4.80	160.00
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.84	15.75	(+) 8.91	130.26
10.	होटल शुल्क प्राप्तियाँ कर	2.30	3.27	(+) 0.97	42.17
ख. कर भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	2,700.00	2,744.82	(+) 44.82	1.66
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	400.00	341.64	(-)58.36	(-)14.59
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	302.40	216.57	(-) 85.83	(-)28.38
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	282.71	336.49	(+) 53.78	19.02
5.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	22.15	21.11	(-) 1.04	(-)4.70
6.	विविध सामान्य सेवाएँ	18.32	16.36	(-) 1.96	(-)10.70
7.	पुलिस	13.50	19.41	(+) 5.91	43.78
8.	लोक निर्माण	10.37	15.81	(+) 5.44	52.46
9.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6.50	6.59	(+) 0.09	1.38
10.	जेल-अन्य प्राप्तियाँ	1.81	2.30	(+) 0.49	27.07

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ों में (-) 28.38 से 160 प्रतिशत अंतर रहा।

संबंधित विभागों द्वारा दिये गए अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्कः कमी (3.33 प्रतिशत) वर्ष 2011-12 के दौरान महिलाओं को हस्तांतरण विलेख के मुद्रांक शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दिये जाने के कारण हुई।

वाहनों पर कर : वृद्धि (5.72 प्रतिशत) कर की दर बढ़ने एवं नए वाहनों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि की वजह से हुई।

विद्युत पर कर और शुल्क : वृद्धि (0.86 प्रतिशत) समझौता शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने से हुई।

राज्य उत्पादः वृद्धि (3.03 प्रतिशत) शराब की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

1.3 कुल बकाया राजस्व एवं पाँच साल से अधिक बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों द्वारा कुछ प्रमुख राजस्व शीर्ष में 31 मार्च 2012 तक बकाया राजस्व ₹ 719.92 करोड़ सूचित किया गया जिसमें से ₹ 212.96 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था, नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 तक बकाया राशि	31 मार्च 2012 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	विक्रय, व्यापार पर कर आदि	556.09	156.53
2	वाहनों पर कर	9.50	4.15
3	राज्य उत्पाद शुल्क	24.88	22.79
4	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	5.03	2.87
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	97.98	10.15
6	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1.65	1.54
7	वानिकी एवं वन्य जीव	1.62	0.24
8	भू - राजस्व[3]	23.17	14.69
	योग	**719.92**	**212.96**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि, कुल बकाया राशि का 29.58 प्रतिशत था।

अतः राज्य शासन को यह अनुशंसा की जाती है कि बकाया राशियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करें।

1.4 कर अपवंचन

वर्ष 2011-12 के दौरान विभागों द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर माँगों के विवरण नीचे वर्णित है:

[3] 27 जिलों में से केवल 14 की जानकारी प्राप्त है।

स. क्र.	विभाग का नाम	31 मार्च 2011 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान के प्रकरण	कुल	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण कर अतिरिक्त मांग शास्ति आदि सम्मिलित कर समुत्थापित की गई		31 मार्च 2012 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	93	56	149	41	100.07	108
2.	आबकारी	2	निरंक	2	निरंक	निरंक	2

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 मार्च 2012 की स्थिति में कुल प्रकरणों में से केवल 28 प्रतिशत प्रकरण एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कोई भी प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया, जो निराकरण के लिए एक वर्ष से अधिक समय से लंबित था।

1.5 प्रतिदाय

विभागों द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2011-12 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदायों और वर्ष 2011-12 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष		प्राप्त प्रकरण		अनुमत्य प्रतिदाय		अंत शेष	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
वाणिज्यिक कर	129	4.63	2,048	2,010.64	2,045	2,012.32	132	**2.95**
राज्य उत्पाद शुल्क	2	0.01	70	8.55	70	8.55	2	**0.01**
योग	**131**	**4.64**	**2,118**	**2,019.19**	**2,115**	**2,020.87**	**134**	**2.96**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि 94 प्रतिशत से ज्यादा प्रकरणों में प्रतिदाय स्वीकार किए गए।

1.6 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के द्वारा शासन के विभागों के लेन देन की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण कर यह सत्यापित करना की महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमित्ताएँ जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमित्ताएँ विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षण

दिसम्बर 2011 तक जारी 2,185 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 8,428 कंडिकाओं में ₹ 4,495.26 करोड़ की राशि जून 2012 को लंबित थी जो पिछले दो वर्षों के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शित है:

विवरण	जून 2010	जून 2011	जून 2012
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,990	2,094	2,185
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,462	7,874	8,428
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	3,313.41	3,429.36	4,495.26

30 जून 2012 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

स. क्र.	विभाग का नाम	वसूली की प्रकृति	लंबित नि. प्रति. की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	373	2,417	348.81
		मनोरंजन कर	67	85	1.99
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	254	617	34.43
3.	राजस्व	भू- राजस्व	531	1,602	406.77
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	121	846	113.96
5.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	114	337	335.10
6.	भौमिकी एवं खनन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	127	447	800.77
7.	वन (राजस्व)	वन प्राप्तियाँ	299	999	1,107.14
8.	ऊ र्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	11	36	695.10
9.	अन्य कर विभाग	अन्य कर प्राप्तियाँ	288	1,042	651.19
	योग		2,185	8,428	4,495.26

1.7 राज्य शासन के प्रति उत्तरदायित्व एवं शासन हितों के संरक्षण में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होन आवश्यक है परन्तु मार्च 2012 तक 39 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमित्ताओं को सुधारने में पहल नहीं किये।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन प्रभावकारी प्रक्रिया की संस्थापना करने हेतु जरूरी कदम उठाए जिससे लेखा परीक्षा आपत्तियों पर उचित कार्यवाही हो।

1.8 विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखा परीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समय के दौरान) निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण तथा निराकृत कंडिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1	28	3.70
वाणिज्यिक कर	1	16	2.01
अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1	14	10.32
वानिकी एवं वन्य जीव (राजस्व)	4	93	60.10
वानिकी एवं वन्य जीव (व्यय)		37	29.18
योग	**7**	**188**	**105.31**

ऊपर वर्णित ब्यौरे के आधार पर यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान तीन विभागों द्वारा प्रत्येक एक एवं वन विभाग द्वारा चार बैठक आहुत की गयी जिसमें 188 कंडिकाएँ (जिसमें ₹105.31 करोड़ सम्मिलित हैं) निराकृत की गयी। अन्य विभागों द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाई गयी।

यह सिफारिश की जाती है कि शासन लंबित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा सामयिक विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.9 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार द्वारा विभागों को भेजे गए प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर को संबंधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित कर छः सप्ताह के अंदर उनका जवाब भेजने के लिए कहा गया था। शासन से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 40 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के सचिवों को अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य भेजा गया। 40 प्रारूप कंडिकाओं में से 23 कंडिकाओं की आपत्ति को विभाग ने स्वीकार किया।

1.10 लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण - सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन के सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक

उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मार्च 2012 की स्थिति में भू-राजस्व विभाग ने वर्ष 2004-05 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल एक कंडिका के संबंध में विभागीय टिप्पणी निम्न विवरण के अनुसार 69 माह के विलंब के बावजूद लेखा परीक्षा के मतांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है:

स. क्र.	विभाग का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा को प्रस्तुत करने का दिनांक	अंतिम दिनांक जबसे विभागीय टिप्पणी देय थी	कंडिकाओं की संख्या जिनकी विभागीय टिप्पणी देय थी	मार्च 2012 के अंत तक महीनों में विलंब
1	भू-राजस्व	2004-05	23.3.2006	23.6.2006	1	69

कार्यपालिका के दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति/(लो.ले.स.) ने समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत की गई कार्यवाही की टीप अनुशंसा सहित संबंधित को प्रेषित किया जाता है। लो. ले. स. ने वर्ष 1998-99 से 2009-10 तक की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 92 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की, तथा 40 कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा दी। परंतु संबंधित विभाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार पाँच अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की टीप अपेक्षित थी, जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है:

वर्ष	विभाग का नाम					कुल
	राज्य उत्पाद	उर्जा	पंजीयन	परिवहन	भौमिकी एवं खनिकर्म	
1998-99	-	-	-	-	1	1
1999-00	1	1	-	-	-	2
2000-01	-	-	1	1	-	2
कुल	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

1.11 पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, करों का अनारोपण/कम आरोपण राजस्व की हानि, माँग सृजित करने में विफलता इत्यादि के ₹ 744.11 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभागों द्वारा ₹ 534.53 करोड़ (वाणिज्यिक करः ₹ 54.33 करोड़, मुद्रांक शुल्कः ₹ 1.77 करोड़, राज्य उत्पादः ₹ 11.63 करोड़, परिवहनः ₹ 11.10 करोड़, भू-राजस्वः ₹ 2.78 करोड़, उत्खनन ₹ 6.96 करोड़, वनः ₹10.66 करोड़, विद्युतः ₹ 50.86 करोड़, एवं अन्य ₹ 384.44 करोड़) की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें मार्च 2012 तक मात्र ₹ 39.97 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2012 तक वसूल की गई राशि
1.	2006-07	15.99	2.92	2.33
2.	2007-08	92.87	52.88	5.40
3.	2008-09	486.08	446.79	28.78
4.	2009-10	99.21	20.89	3.30
5.	2010-11	49.96	11.05	0.16
	योग	**744.11**	**534.53**	**39.97**

ऊपर वर्णित तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत राशि में से पिछले पाँच वर्षों में विभागों द्वारा केवल 7.48 प्रतिशत की वसूली की गई।

यह सिफारिश की जाती है कि कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में राजस्व की त्वरित वसूली के लिए शासन द्वारा उचित कदम उठाए जाए।

1.12 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण करना

क्रमवार अनुच्छेद **1.12.1** और **1.12.2** में **वाणिज्यिक कर विभाग** की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है जिसमें पिछले 10 वर्षो में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण भी है, जो वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए गए है। .

1.12.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2012 के अनुसार उनकी स्थिति तालिका में नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)
2002-03	239	1,553	181.41	5	80	7.20	5	30	0.91	244	1,603	187.70
2003-04	244	1,603	187.70	12	136	61.32	1	111	36.34	255	1,628	212.68
2004-05	255	1,628	212.68	13	141	9.24	निरंक	43	17.73	268	1,726	226.12
2005-06	268	1,726	226.12	14	115	15.40	निरंक	71	2.82	282	1,770	238.70
2006-07	282	1,770	238.70	16	190	20.04	1	30	0.52	297	1,930	258.23
2007-08	297	1,930	258.23	2	26	2.50	निरंक	1	0.006	299	1,955	260.72
2008-09	299	1,955	260.72	20	142	14.31	निरंक	43	0.39	319	2,054	274.64
2009-10	319	2,054	274.64	32	320	63.34	1	72	17.27	350	2,302	320.71
2010-11	350	2,302	320.71	27	195	38.88	10	113	17.24	367	2,384	342.35
2011-12	367	2,384	342.35	10	67	9.22	निरंक	18	4.21	377	2,433	347.36

यह सिफ़ारिश की जाती है कि विभाग/शासन राजस्व हित में लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु उचित एवं सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.12.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाए गए विषयों पर शासन/विभाग द्वारा दिया गए आश्वासन

1.12.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले दस वर्षों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा जिनसे राशि वसूल की गई है विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹लाख में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की कुल संख्या	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की संचयी स्थिति
2001-02	7	593.32	निरंक	निरंक	निरंक	17.20
2002-03	11	501.65	निरंक	निरंक	निरंक	0.92
2003-04	10	2,999.41	निरंक	निरंक	निरंक	0.96
2004-05	9	301.76	1	13.92	निरंक	निरंक
2005-06	14	429.00	निरंक	निरंक	6.11	6.11
2006-07	10	210.88	2	24.35	निरंक	6.11
2007-08	7	73.43	1	31.59	निरंक	निरंक
2008-09	4	4,946.24	1	4,749.30	निरंक	निरंक
2009-10	5	336.32	5	336.32	निरंक	निरंक
2010-11	10	1,842.71	7	202.29	निरंक	निरंक
योग	**87**	**12,234.72**	**17**	**5,357.77**	**6.11**	**31.30**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 87 कंडिकाओं (सन्निहित राजस्व ₹ 122.35 करोड़) में से 17 कंडिकाएँ सन्निहित राजस्व ₹ 53.58 करोड़ विभाग द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 31.30 लाख (0.58 प्रतिशत) ही वसूल की गई।

स्वीकृतं प्रकरणों की वसूली हेतु विभाग में मौजूदा यान्त्रिकी प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने सूचित किया कि सभी स्वीकृत मामलों में व्यापारियों को वसूली हेतु मांग पत्र जारी कर दिया गया है। यदि राशि 30 दिनों की अनुमत्य समय के भीतर जमा नहीं किए तो आर.आर.सी जारी कर वसूली की जाती है। तथापि वास्तविकता यह है कि स्वीकृत प्रकरणों में विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान मात्र 0.58 प्रतिशत राशि वसूल की गई।

चूँकि स्वीकृत मामलों में विभाग द्वारा की गई प्रगति बहुत कम है, हम अनुशंसा करते है कि विभाग शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

1.12.2.2 विभाग/ शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है विभागों/शासन के मंतव्यो को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में **वाणिज्यिक कर विभाग** की निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए विषय जो पिछले दस लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए, साथ ही विभाग द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही जो उसके और शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी वर्णित है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशसाओं का विवरण	अद्यतन स्थिति
2003-04	नए उद्योगों के लिए वाणिज्यिक कर की छूट	3	1) योजना के तहत छूट दी गई इकाइयों के प्रदर्शन को नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।	विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2010) कि वाणिज्यिक और उद्योग विभाग द्वारा योजना को लागू करते समय सिफ़ारिश से संबन्धित मुद्दों को शामिल किया जा रहा है।
			2) उद्योग और वाणिज्यिक कर विभाग के बीच समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पात्रता प्रमाण पत्र के अनुदान में देरी न हो।	
			3) आंतरिक नियंत्रण तंत्र, आवधिक विवरणियां और निरीक्षण/सर्वेक्षण के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे योजना का दुरूपयोग रोका जा सके।	
2007-08	वाणिज्यिक कर विभाग का कंप्यूटरीकरण	7	1) विभाग को समयबद्ध कार्यान्वयन तैयार कर कम्प्युटरीकृत व्यवस्था लागू कर प्रत्येक मॉड्यूल के लक्ष्य की तारीख तय कर पूरी तरह से बदलाव लाना चाहिए।	विभागीय अधिकारियों की एक समिति ने बिन्दु वार सुझाव के कार्यान्वयन के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के लिए पूरी तरह से बदलाव करने की योजना तैयार की है।
			2) योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	शासन ने सिस्टम विश्लेषक का एक पद, प्रोग्रामर के पाँच पद, सहायक प्रोग्रामर के छह पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 167 पदों को स्वीकृत किया है।
			3) केंद्रीय सर्वर से निरंतर सभी सर्कल और अन्य कार्यालयों, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में उन लोगों के लिए कनेक्टिविटी, सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।	विभाग (सितम्बर 2009) ने कहा कि, कनेक्टिविटी की समस्या को हल कर लिया गया है भविष्य में केंद्रीय सर्वर से निरंतर उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ अनुबंध किया गया है।
			4) अधिकृत परिवर्तन अनुरोधों एवं की गयी कार्यवाही का दस्तावेज तैयार किया जा सकता है।	मांग और सुझाव के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए एक नीति तैयार की गई है।
			5) चेक पोस्टों के लिए उचित मोड्यूल	विभाग ने कहा कि मेसर्स

			सम्मिलित किए जावे।	सीएमसी लिमिटेड द्वारा चेक पोस्टों के लिए उचित मोड्यूल तैयार किया जा रहा है।
			6) बैक अप प्रक्रियाओं और पहुँच नियंत्रण को मजबूत किया जाना।	विभाग ने कहा कि बैक अप प्रक्रियाओं और पहुँच नियंत्रण के लिए अक्षरांकीय पासवर्ड नीति बनाई गई है और इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को जारी किया गया है।
			7) विभाग द्वारा सभी कार्यालयों से स्थापित हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त कर, उपलब्ध हार्डवेयर के वार्षिक रखरखाव के लिए अनुबंध करना चाहिए।	विभाग ने कहा कि सभी कार्यालयों से स्थापित हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। वार्षिक रखरखाव के लिए मेसर्स एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम, रायपुर के साथ समझौता किया गया है।
विभाग (सितम्बर 2012) ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है जिसके तहत ई- पंजीयन, ई - चालान, सी - फॉर्म और एफ- फॉर्म को ऑन-लाइन पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि घोषणा पत्र ऑन लाइन जारी किया जा सके। सभी फॉर्म वेबसाइट (TINXSYS) पर अपलोड किए जा रहे है।				
2008-09	केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण एवं संग्रह	5	1) प्रति-सत्यापन के लिए घोषणा पत्रों के चयन के लिए मापदंड निर्धारित करना।	घोषणा पत्रों के प्रति-सत्यापन के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।
			2) शाखा अंतरण/आढत विक्रय पर कर से छूट देने हेतु सांख्यिकी विवरण तैयार करना।	पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शाखाओं की प्रविष्टि के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।
			3) फॉर्म की उपयोगिता प्रमाण-पत्र वृत्तों द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों को प्रतिसत्यापन के लिए प्रेषित करना।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र को कर निर्धारण मामलों के साथ संलग्न कर घोषणा पत्र के सत्यापन के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है.
	छ.ग. वाणिज्यिक कर से छ.ग. वैट की ओर पारगमन	4	1) उन सभी पंजीकृत डीलरों की समीक्षा हो जिन्होने तीन साल से विवरण प्रस्तुत नहीं किया।	उन पंजीकृत डीलरों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे है जिन्होने विवरणी प्रस्तुत नहीं की।
			2) डीलरों द्वारा खरीद/बिक्री सूचियों को ऑन-लाइन प्रस्तुत करने के लिए, विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर में प्रवधान बनाना	उन व्यापारियों के लिए जिनकी वार्षिक सकल बिक्री ₹ 40 लाख से अधिक है, विवरण ऑन लाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
			3) चेक पोस्टों को मुख्यालय के साथ जोड़ना।	मुख्यालय/वृत्त के साथ चेक पोस्ट जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
2010-11	अंतर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के लिए उपयोग किए जा रहे घोषणा	6	1) दूसरे राज्य से घोषणा पत्र फार्म के नमूना प्रति प्राप्त करना चाहिए ताकि कर निर्धारण के समय विश्वसनीयता की जाँच की जा सके।	विभाग ने कहा कि ई-पंजीयन, ई-चालान, सी-फॉर्म और एफ-फॉर्म को ऑन- लाइन पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि घोषणा पत्र को ऑन लाइन

	-पत्रों का प्रतिसत्यापन।		2) वैधानिक फार्म के उपयोगिता प्रमाण पत्र जो कि व्यवसायी द्वारा जमा की गयी है को वृत्तों से सहायक आयुक्त को प्रतिसत्यापन हेतु अग्रेषित करना चाहिये।	जारी किया जा सके। सभी फॉर्म वेबसाइट (TINXSYS) पर अपलोड किए जा रहे है ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार में प्रयोग किए जा रहे घोषणा पत्रों का प्रतिसत्यापन हो।
			3) प्रदत्त छूट/राहत की परिणाम जाँच हेतु डाटाबेस का सृजन करना चाहिये।	
			4) इन फार्मों की स्वीकृति के पहले अनिवार्य जाँच हेतु विभिन्न बिंदुओं पर एक चेकलिस्ट तैयार करना चाहिये।	
			5) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ एवं उनके द्वारा प्रदत् निष्पादन को मजबूत करना सुझावों को समयबद्ध सुनिश्चित करना।	
			6) ऑनलॉइन फार्म निर्गत करने की व्यवस्था का पहल करना चाहिए।	
विभाग (सितम्बर 2012) नें कहा है कि सभी सिफ़ारिशों के मामले में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है एवं कम्प्यूटरीकरण के पर्यवेक्षण के लिए एनआईसी को नियुक्त किया गया है।				

1.13 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.13.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखा परीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, खनन एवं उत्खनन एवं अन्य कर प्राप्तियों के 111 ईकाइयों[4] के अभिलेखों की नमूना जाँच किया गया और 18,824 मामलों में सम्मिलित ₹ 555.69 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का अवलोकन किया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,701 मामलों में सम्मिलित राशि ₹ 106.24 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। इनमें से विभागों ने ₹ 11.86 लाख की वसूली की।

4

(₹करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	प्रकरणों की संख्या	राशि	स्वीकृत प्रकरण	राशि
1	वाणिज्यिक कर	11	118	9.35	03	0.11
2	उत्पाद	06	587	13.92	82	8.28
3	पंजीयन	08	517	4.17	76	0.74
4	परिवहन	09	2423	22.13	2282	19.06
5	भू-राजस्व	38	11962	47.55	2981	26.01
6	खनन एवं उत्खनन	12	2739	375.86	263	51.86
7	वन (प्राप्तियां)	12	335	23.38	14	0.18
8	वन (व्यय)	15	143	59.33	निरंक	निरंक
	योग	111	18824	555.69	5701	106.24

1.13.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में **विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण** विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वन व्यय पर नौ कंडिकाओं सहित 40 कंडिकाएं (जिनका चुनाव इस वर्ष व पूर्ववर्ती अवधि की लेखापरीक्षा जांच में से किया गया है तथा जिनको पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था) सम्मिलित हैं जिनमें राशि ₹ 1,568.91 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है जो कर के कम आरोपण/अनारोपण, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति एवं संदेहास्पद/निरर्थक व्यय इत्यादि से संबंधित है। शासन ने ₹ 1,399.13 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की जिसमें से ₹ 88.91 करोड़ की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2012)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से आठ में की गई है।

1.14 लेखा परीक्षा से प्रेरित होकर किए गये संशोधन

लेखा परीक्षा से प्रेरित होकर विभाग/शासन द्वारा नियमों में किए गये संशोधन जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए प्रेक्षण	अधिसूचना/परिपत्र क्र.	किया गया बदलाव	कंडिका क्र.
1.	परिवहन	बैठक क्षमता का निर्धारण व्हील बेस के आधार पर नही किए जाने से कर का कम आरोपण।	अधि. क्र. 3651/टेक /परि/2012 दिनांक 6 जुलाई, 2012 (छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 158 के उपनियम 3)	व्हील बैस की श्रेणियां तीन से बढ़ाकर नौ कर दिये गये ताकि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा सही बैठक क्षमता करारोपण के लिए निर्धारित की जा सके।	5.11
2.	परिवहन	व्यापार-कर वार्षिक रूप से सात के गुणांक गाडियों पर लिया जाता था जिससे स्पष्टता नहीं थी।	प्रा. अधि. क्र. 7296/डी. 197/21-अ/प्रा./छ. ग./11 दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 (छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1991 के अधिनियम 4)	अब व्यापार कर प्रत्येक गाड़ी के आधार पर ली जा रही है।	5.13
3.	वणिज्यिक कर	प्रवेश कर की अनुसूची में प्रावधानों के बावजूद प्रवेश कर आरोपित करने हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गये।	परि. क्र. उपा/वाक/ प्रवर्तन/2012/ 1477 दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 अनुसूची-II छ.ग. प्रवेश कर अधिनियम 1976, (सरल क्र. 49 या 53)	मोबाइल के मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया जाना है।	2.20

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 14.00 करोड़ के उल्लेखित प्रकरण प्रस्तुत किए हैं जो हमारी अभिलेखों की नमूना जांच में पाए गए प्रेक्षणों से लिए गए हैं जो वेट का कम आरोपण, प्रवेश कर का कम/अन आरोपण, कर का अपवंचन, शास्ति का अनारोपण, घोषणा पत्रों पर अनियमित छूट, मुजराई की अनुचित छूट के कारण कम आरोपण, कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग आदि और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सरल समाधान योजना को लागू करने में कमी से संबंधित थे।
कर संग्रहण में वृद्धि	वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से ₹ 6.25 करोड़ अधिक थी।
आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य का प्राप्त न किया जाना	वर्ष के दौरान, कर्मचारी वर्ग की अनुपलब्धता के कारण विभाग द्वारा किसी इकाई की लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई गई।
हमारे वर्ष 2011-12 में निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	हमने वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग की 11 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की और छूट/कटौती का त्रुटिपूर्ण प्रदाय करना, कर का अन/कम आरोपण, कर योग्य पूर्ण आवर्त का गलत निर्धारण, कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग आदि के 118 प्रकरणों को पाया जिसकी राशि ₹ 9.35 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, विभाग ने सात प्रकरणों में ₹ 18.05 लाख की वसूली की जिसमें चार प्रारूप कंडिकाओं की राशि ₹ 6.61 लाख भी समाहित थी।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत करे साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करे ताकि भविष्य में हमारे द्वारा पाई गई तंत्र की कमजोरियों तथा उक्त प्रकृति की त्रुटियों को टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित कर का कम/अन आरोपण, घोषणा पत्रों पर अनियमित छूट, कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग आदि और अधिकतर उन प्रकरणों में जहाँ हमारे मत को स्वीकार किया गया है, त्वरित कार्यवाही हेतु पहल की आवश्यकता है।

2.1 कर प्रशासन

राज्य में व्यवसायियों के प्रकरणों के निर्धारण द्वारा मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) प्रवेश कर (प्र.क.) वृत्ति कर (व.क.) एवं विलासिता कर (वि.क.) के करारोपण एवं संग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग उत्तरदायी है। वाणिज्यिक कर विभाग राज्य के लिए राजस्व के अधिकतम भाग का योगदान करता है। विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनके अधीन बने नियमों को लागू करता है:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क.);
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (के.वि.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (छ.ग.प्र.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (छ.ग.व.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 और
- छत्तीसगढ़ विलासिता कर अधिनियम, 1988

शासन स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख प्रधान सचिव होता है। विभाग का प्रमुख आयुक्त होता है और उसको अपने कत्तव्यों के निष्पादन के लिए 4 अपर आयुक्त, 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.) और 69 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) सहायता करते हैं।

2.2 विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि[1] पर कर की वास्तविक प्राप्तियों सहित कुल कर प्राप्तियाँ निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर (+) आधिक्य/ (-) कमियाँ	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	3,200.00	3,023.70	(-) 176.30	(-) 5.51	5,618.08	53.82
2008-09	3,470.00	3,610.94	(+) 140.94	4.06	6,593.72	54.76
2009-10	3,447.12	3,712.16	(+) 265.04	7.69	7,123.25	52.11
2010-11	4,524.13	4,840.79	(+) 316.66	7.00	9,005.14	53.76
2011-12	6,000.00	6,006.25	(+) 6.25	0.10	10,712.25	56.07

(स्रोतः छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे)

हमने पाया कि वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग द्वारा प्रस्तावित ₹ 6,268.72 करोड़ के विरूद्ध वित्त विभाग (वि.वि.) द्वारा ₹ 6,000 करोड़ का बजट अनुमान (ब.अ.) अनुमोदित

[1] मुख्य शीर्ष 0040-विक्रय, व्यापार आदि पर कर (101 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 102 राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 103 मोटर स्पिरिट और स्नेहको की बिक्री पर कर, 104 बिक्री-कर पर अधिभार, 105-अपरिष्कृत तेल की बिक्री पर कर, 106 गन्ने की खरीद पर कर, 107 आवर्त्त कर की प्राप्तियाँ, 108 अधिनियम, 1985 के अंतर्गत किसी प्रायोजन के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकारों के अन्तरण पर कर, 109-निर्माण कार्य करार अधिनियम, 1985 के निष्पादन में सम्मिलित सम्पत्तियों के अन्तरण पर कर, 800-अन्य प्राप्तियाँ)

किया। ब.अ. का निर्धारण करने में वि.वि. सही था क्योंकि ब.अ. और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर केवल 0.10 प्रतिशत ही था।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से संग्रहण राज्य के कुल कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। 2007-08 के अतिरिक्त वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से कुल राजस्व संग्रहण बजट अनुमान से अधिक रहा। राज्य की कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत, 52 और 56 के मध्य था।

2.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विक्रय, व्यापार पर कर (वेट और केन्द्रीय विक्रय कर सम्मिलित), प्रवेश कर और वृत्ति कर की बकाया राजस्व की राशि 31 मार्च 2012 को ₹ 556.09 करोड़ थी जिसमें ₹156.53 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक का बकाया था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2007-08	156.53	183.33
2008-09	183.33	194.39
2009-10	194.39	438.57
2010-11	438.57	450.85
2011-12	450.85	556.09

(स्रोतः विभाग द्वारा दिए गए आँकड़े)

2.4 कर निर्धारिती का चित्रण

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या 64,393 थी जिसमें से 5,246 बड़े कर भुगतान कर्त्ता[2] एवं शेष छोटे कर भुगतान कर्त्ता थे। इन व्यवसायियों में से 55,539 व्यवसायियों को विवरणी भरना वांछित था और 1,04,415 विवरणी वर्ष के दौरान प्राप्त हुए। विभाग द्वारा शेष विवरणियों के संबंध में कहा गया कि व्यवसायियों को देय अग्रिम कर के साथ जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

2.5 प्रत्येक कर निर्धारिती पर वेट का संग्रहण

वर्ष	कर निर्धारितियों की संख्या	विभाग के अनुसार वेट राजस्व (₹ करोड़ में)	वित्त लेखे के अनुसार वेट राजस्व (₹ करोड़ में)	राजस्व/कर निर्धारिती (राशि ₹ में)
2007-08	59,499	2502.69	2448.27	420627.24
2008-09	63,446	2968.09	2943.67	467813.57
2009-10	69,727	3085.12	3031.15	442457.01
2010-11	58,299	4047.58	4031.50	624279.49
2011-12	64,393	5269.97	4884.97	818407.28

2 बड़े कर भुगतान कर्त्ता वह व्यापारी हैं जिनकी वार्षिक कर देयता ₹ 60,000 से अधिक है और जिन्हे मासिक कर भुगतान करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त तालिका से यह दर्शित है कि वित्त लेखे और राज्य आँकड़ों के अनुसार वेट राजस्व में अंतर काफी अधिक है जिसका समाशोधन किया जाना आवश्यक है।

2.6 कर निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष 2011-12 के अंत में लंबित प्रकरण जैसा कि विभाग द्वारा प्रदत्त किया गया निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

कर का नाम	प्रारम्भिक शेष (2011-12)	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत में लम्बित प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत (कालम 5 से 4)
मूल्य संवर्धित कर	50,752	72,013	1,22,765	68,813	53,952	56.05
वृत्ति कर	9,642	11,328	20,970	12,080	8,890	57.61
प्रवेश कर	21,223	34,656	55,879	32,988	22,891	59.03
विलासिता कर	23	118	141	76	65	53.90
निर्माण कार्य करार पर कर	417	115	532	113	419	21.24
कुल	**82,057**	**1,18,230**	**2,00,287**	**1,14,070**	**86,217**	**56.95**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 57 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

राजस्व हित में शासन इन लम्बित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2.7 संग्रहण की लागत

संग्रहण पर व्यय के ससंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर के संबंध में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं पूर्व वर्षों के सकल संग्रहण पर किए गए व्यय निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष के सकल संग्रहण में व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009-10	3712.16	25.71	0.69	0.88
2010-11	4840.79	29.99	0.62	0.96
2011-12	6006.25	40.63	0.68	0.75

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

हमने पाया कि वर्षों के दौरान विभाग द्वारा संग्रहण पर किए गए व्यय के प्रतिशत में परिवर्तन है। वर्ष 2009-10 के मुकाबले वर्ष 2010-11 में संग्रहण की लागत घटी थी किन्तु इसमें वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि हुई। फिर भी, तीन वर्षों के दौरान जब संग्रहण की लागत की तुलना अखिल भारतीय औसत से की गई तो यह निम्नतर थी।

2.8 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर, प्रवेश कर, वृत्ति कर और विलासिता कर पर कर निर्धारण पूर्व स्थिति और नियमित कर निर्धारण के पश्चात् सकल संग्रहित कर के विवरण और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त पूर्व पाँच वर्षों के विवरण नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व कर निर्धारण स्थिति में संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क भुगतान में विलम्ब के लिए शास्ति	वापसी की राशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार शुद्ध संग्रहण	संग्रहण प्रतिशत में (कालम 3 से 7)
विक्रय, व्यापार पर कर, प्र.क., वृ.क. और वि.क.	2007-08	3668.63	126.97	10.44	14.55	3545.77	3545.10	103.46
	2008-09	4089.42	52.77	8.12	18.35	4046.88	4038.41	101.05
	2009-10	4691.64	190.93	87.35	57.33	4470.69	4325.16	104.94
	2010-11	5,859.41	387.55	41.78	60.15	5490.23	5355.67	106.72
	2011-12	6,329.89	618.59	18.86	62.18	6905.16	6837.80	91.67

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान कर निर्धारण पूर्व स्थिति में करों के संग्रहण का प्रतिशत निम्नतम था।

2.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) की स्थिति: वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान, हमने नि. प्र. के माध्यम से कर का कम आरोपण/अनारोपण, अव/अवसूली, अवनिर्धारण, राजस्व हानियाँ, त्रुटिपूर्ण छूट, त्रुटिपूर्ण गणना इत्यादि के 1,055 प्रकरणों में ₹ 91.84 करोड़ राजस्व सन्निहित था, को इंगित किया। इसमें से विभाग/शासन ने 206 प्रकरणों में जिसमें ₹ 3.55 करोड़ सन्निहित था, के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किये। निम्नलिखित तालिका में विस्तृत विवरण दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन के वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	10	176	0.18	97	0.11
2007-08	4	37	0.03	16	0.07
2008-09	20	185	0.62	10	0.48
2009-10	32	295	35.93	10	0.30
2010-11	28	362	55.08	73	2.59
योग		**1,055**	**91.84**	**206**	**3.55**

2.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति: विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कर का कम आरोपण/अनारोपण, अवनिर्धारण के प्रकरणों में राशि ₹ 74.09 करोड़ सन्निहित थी को हमारे द्वारा इंगित किया गया था। विभाग द्वारा राशि ₹ 54.33 करोड़ के प्रेक्षण मान्य किए गए जिसमें से मार्च 2012 तक ₹ 8 लाख की वसूली कर ली गई जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2012 तक की गई वसूली
1.	2006-07	2.11	0.24	0.08
2.	2007-08	0.74	0.32	निरंक
3.	2008-09	49.46	47.49	निरंक
4.	2009-10	3.36	3.36	निरंक
5.	2010-11	18.42	2.92	निरंक
	योग	**74.09**	**54.33**	**0.08**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि मात्र 0.15 प्रतिशत वसूली ही विभाग द्वारा की जा सकी है, जो कि स्वीकार की गई राशि की तुलना में नगण्य है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि विभाग कम से कम मान्य प्रकरणों में सम्मिलित राशि की वसूली हेतु कदम उठाए, जैसा कि कार्यवाही समयरूद्ध हो जाने के कारण राजस्व की हानि का खतरा है।

2.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा किसी संगठन के आंतरिक नियत्रंण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर का केवल एक पद स्वीकृत था। आगे, वर्ष 2011-12 के दौरान शाखा में पदस्थ एकमात्र सहायक आयुक्त का स्थानांतरण होने के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की जा सकी।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में और अधिक पदों की स्वीकृति कर शाखा को मजबूत बनाया जाए।

2.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग की 11 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और अवनिर्धारण, कर/ब्याज/शास्ति का कम आरोपण/अनारोपण, कर की गलत दर लगाया जाना इत्यादि के ₹ 9.35 करोड़ के 118 प्रकरण पाये जिन्हें निम्नानुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	छूट/कटौती का त्रुटिपूर्ण प्रदाय	17	0.42
2	कर का अनारोपण/कम आरोपण	39	2.92
3	कर योग्य आवर्त का गलत निर्धारण	14	3.61
4	कर की त्रुटिपूर्ण दर का प्रयोग	4	0.17
5	अन्य अनियमितताएं	44	2.23
	योग	**118**	**9.35**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा चालू वर्ष से संबंधित तीन प्रकरणों में ₹ 11.44 लाख की वसूली की गई।

विभाग द्वारा प्रारूप कंडिकाओं में इंगित चार प्रकरणों में ₹ 6.61 लाख की पूर्ण वसूली कर ली गई।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों, जिसमें पूर्व वर्षों में पाये गये प्रेक्षण भी शामिल है तथा राशि ₹ 14.00 करोड़ सन्निहित है, को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

2.12 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में विक्रय कर/मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.), केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के कर निर्धारण अभिलेखों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और कुछ प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना, कर/शास्ति/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की दर गलत लगाया जाना, कर योग्य आवर्त्त पर गलत कटौती, गलत छूट और अन्य प्रकरणों पाया गया जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है। हमारे द्वारा ये प्रकरण केवल उदाहरण स्वरूप और नमूना जांच के आधार पर लिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा में इंगित की गई कुछ त्रुटियाँ जो कर निर्धारण अधिकारी से संबंधित है, किन्तु न केवल यह अनियमितताएं बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा के संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। शासन को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए जिससे ऐसी गलतियों से बचा जा सके।

वाणिज्यिक कर अधिनियम

2.13 कर का अपवंचन और शास्ति का अनारोपण

> छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (छ.ग.वा.क.) अधिनियम, 1994 के धारा 28 के अनुसार जब इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण किया जा चुका है और इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से, किसी कालावधि के दौरान कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है या उस पर कम दर से कर निर्धारण हुआ है या उसमें से कोई कटौती गलत तौर पर की गई है या समंजन गलत दी गई है तो आयुक्त जहां गलत कर निर्धारण व्यापारी के कारण हुआ माना जा सकता है, व्यवसायी को निर्देशित कर सकता है कि व्यवसायी निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त शास्ति चुकायेगा जो उस राशि से अधिक नहीं होगी। छ.ग.वा.क.अधिनियम 1994 की अनुसूची-II के अनुसार द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) पर अवधि 2004-05 एवं 2005-06 में 9.2 प्रतिशत अधिभार सहित (कर पर 15 प्रतिशत) कर की दर आरोपणीय थी।

सहायक आयुक्त (स.अ.) रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2011) के दौरान पाया गया कि एक व्यवसायी जो एल.पी.जी.का क्रय-विक्रय करता था, की अवधि 2004-05 और 2005-06 का कर निर्धारण जनवरी 2008 और दिसम्बर 2008 में किया गया था, का सकल आवर्त्त ₹ 3.48 करोड़ और ₹ 3.25 करोड़ क्रमशः था। आगे कर निर्धारण अभिलेखों का 59-ए नस्ती के साथ प्रतिसत्यापन पर यह पाया गया कि व्यवसायी ने उक्त वर्षों में 59-ए[3] प्रपत्रों के 134[4] घोषणापत्रों पर ₹ 72.75 लाख और ₹ 20.80 लाख का एल.पी.जी.आयात किया। यद्यपि व्यवसायी ने उन क्रयों को अपने लेखा पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया और संगत विक्रय जो क्रयों में दस प्रतिशत लाभ[5] को जोड़कर गणना की गई, को कर अपवंचन के लिए छिपाया। इससे ₹ 9.47 लाख का कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिकतम शास्ति ₹ 9.47 लाख भी आरोपणीय था (जैसा कि **परिशिष्ट-2.1** में दर्शित)।

हमारे द्वारा विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने (जुलाई 2012) पर शासन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 13.84 लाख का मांग उठाई गई है जिसमें ₹ 4.11 लाख की वसूली कर ली गई है। 60 प्रपत्रों (2003-04 का अंतिम शेष) के निर्धारण के संबंध में यह बताया गया कि प्रकरण में जांच जारी है और आगे की कार्यवाही जानकारी प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

---

3 घोषणापत्र 59-ए एक दस्तावेज जो कि पंजीकृत व्यवसायी को प्रांत बाहर से माल का आयात करने हेतु विभाग द्वारा जारी किया जाता है जिसपर माल भेजनेवाला और पानेवाला का नाम, जगह जहां से माल भेजा गया, गंतव्य स्थान और माल का विवरण, मात्रा और मूल्य रहता है।

4 वर्ष 2004-05 के लिए आंशिक विक्रय मूल्य ₹ 42.44 लाख की गणना यह मानते हुए किया गया है कि वर्ष 2003-04 का अंतिम शेष 60 घोषणापत्रों का उपयोग वर्ष 2004-05 में किया गया और वर्ष 2003-04 में प्रत्येक घोषणापत्र के विरूद्ध क्रय किये गये क्रय के आधार पर प्रपत्र का न्यूनतम मूल्य ₹ 64,300 लिया गया है।

5 लाभ = सकल लाभ (कर चुका) + परिवहन खर्चे + चढ़ाव/उतार खर्चे

2.14 घोषणापत्रों पर अनियमित छूट

शासन ने दिनांक 12.11.2001 के अधिसूचना के अन्तर्गत आयरन और स्टील के विक्रय को करारोपण से मुक्त किया जब अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा विक्रीत किया जाए और ऐसा व्यवसायी अपने कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उक्त मालों के विक्रय के संबंध में घोषणापत्र ए-2, जो उक्त मालों का निर्माता या उत्तरवर्ती पंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी हो, को प्रस्तुत करता है।

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क.)- II, बिलासपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2011) में हमने यह पाया कि एक व्यवसायी जो आयरन और स्टील का निर्माण एवं क्रय-विक्रय करता था, का अवधि 2005-06 का कर निर्धारण फरवरी 2009 में किया गया, को ₹ 3.53 करोड़ के ए-2[6] घोषणापत्रों समर्थित विक्रय पर कर की छूट प्रदान की गई। ए-2 घोषणापत्रों की जांच में हमने पाया कि व्यवसायी ने एम.एस.राउंड और टार स्टील अपंजीकृत व्यवसायियों को बेचा था और कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण के दौरान ए-2 घोषणापत्रों के आधार पर कर की अनुचित छूट प्रदान की। चूंकि विक्रय अपंजीकृत व्यवसायियों को किया गया था इसीलिए व्यवसायी छूट के लिए योग्य नहीं था। इससे ₹ 7.06 लाख का कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त शास्ति भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 21.18 लाख की मांग उठाई गई हैं।

2.15 कर समंजन की गलत स्वीकृति से कम आरोपण

छ. ग. वा. क. अधिनियम के धारा 13 के अनुसार जब कोई पंजीयत व्यवसायी अनुसूची –II में विनिर्दिष्ट मालों पर अनुसूची – III में विनिर्दिष्ट मालों को छोड़कर जो उसके हाथों कर चुका हो और पंजीयत विक्रेता दारा उसे विक्रीत हो अन्यथा जो करमुक्त हो, तो व्यवसायी वैसे कर चुका क्रयों पर समंजन का पात्र होगा। पुनः छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल ने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छ.ग. विरूद्ध यूनिक रोलिंग मिल (2003) व्ही.के.एन. 583 निर्णित किया कि करमुक्त इकाइयों से क्रय किया गया माल कर चुका नहीं होता है वह समंजन प्राप्त करने के योग्य नहीं है ।

वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.-I), बिलासपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (मई 2010) कि एक व्यवसायी जो सीमेंट पोल का निर्माण एवं विक्रय करता था, की अवधि 2005-06 का कर निर्धारण अगस्त 2008 में किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 41.22 लाख का

6 व्यवसायी एक घोषणापत्र ए-2, जो विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी किया जाता है, माल के विक्रय की छूट के दावे के समर्थन में अपने कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

सीमेंट के उपभोग को कर चुका मानते हुए समंजन ₹ 2.84 लाख प्रदाय किया। आगे प्रकरण से संबंधित बिलों की जांच में यह पाया गया कि सीमेन्ट उन व्यवसायियों से क्रय किया गया था जिन्होंने मेसर्स ग्रासीम सीमेंट से क्रय किया था जो कि एक करमुक्त इकाई थी। चूंकि व्यवसायी द्वारा क्रय सीमेंट करमुक्त था अतः प्रदाय समंजन अनियमित था। अतः उपभोगित सीमेन्ट ₹ 41.22 लाख पर गलत समंजन प्रदाय करने से ₹ 2.84 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) करने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 2.84 लाख का मांग व्यवसायी के विरूद्ध उठाई गई है (अक्टूबर 2011) और बकाया की जल्द वसूली के लिए उसका बैंक खाता निष्क्रिय कर दिया गया है। आगामी वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

2.16 कर का कम आरोपण

छ. ग. मू. सं. क. अधिनियम के अनुसूची-II, भाग-4 के प्रविष्टि क्र.1 के अनुसार, जो वस्तुएं अनुसूची-I और इस अनुसूची के भाग-1, भाग-2 और भाग-3 में सम्मिलित नहीं है पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। केश तेल अवशिष्ट माल होने से 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। छ.ग.वेट अधिनियम के धारा 22 यह प्रावधानित करता है कि आयुक्त, जहां कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण व्यापारी की भूल के कारण हुआ है निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने अधिकतम शास्ति अधिरोपित करेगा लेकिन वह निर्धारित कर की राशि से कम नहीं होगा।

सहायक आयुक्त (स.आ.) वाणिज्यिक कर रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2010) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो नारियल तेल (केश तेल), सरसों तेल और मसालों का क्रय विक्रय करता था, का अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक का कर निर्धारण सितम्बर 2009 में किया गया, का सकल आवर्त ₹ 3.45 करोड़ था जिसमें केश तेल का आवर्त्त ₹ 1.39 करोड़ था। कर निर्धारण अधिकारी ने केश तेल के आवर्त्त पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 13.28 लाख का करारोपण किया। चूंकि केश तेल अवशिष्ट माल होने से 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है अंतर दर (12.5-4 = 8.5) 8.5 प्रतिशत से ₹ 11.39 लाख[7] करारोपणीय था। अतः गलत दर के अनुप्रयोग से कर ₹ 11.39 लाख का कम आरोपण फलित हुआ। इसके अतिरिक्त, शास्ति ₹ 11.39 लाख भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित किये जाने (जुलाई 2012) पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 22.78 लाख की मांग उठाई गई है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

[7] ₹ 139 लाख - ₹ 5.36 लाख = ₹ 134 लाख X 8.5/100 = ₹ 11.39 लाख

2.17 कर की कम दर का प्रयोग

राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक 45 दिनांक 28.4.2006 से चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय मालों की सूची 'पूँजीगत वस्तुओं' के रूप में अधिसूचित किया। डीजल इंजन और उसके भाग पूँजीगत माल की सूची में शामिल नहीं है। आगे, छ.ग.वेट कर अधिनियम, 2005 के अनुसार सभी अन्य माल जो अनुसूची-I एवं अनुसूची-II के भाग-1 से 3 में वर्णित नहीं है, 12.5 प्रतिशत से करारोपणीय है। डीजल इंजन अवशिष्ट माल होने से 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

2.17.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) वृत्त-I, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2011) में हमने यह पाया कि एक व्यवसायी जो डीजल इंजन और उसके भाग का क्रय-विक्रय करते थे, के अवधि 2007-08 का कर निर्धारण दिसम्बर 2010 में किया गया, का सकल आवर्त्त ₹ 28.58 लाख था जिसमें ₹ 27.10 लाख डीजल इंजन और भाग का विक्रय था। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण का कर निर्धारण करते हुए आवर्त्त ₹ 27.10 लाख पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 1.04 लाख का करारोपण किया और शेष विक्रय ₹ 1.48 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर ₹ 16,000/- आरोपित किया। चूंकि डीजल इंजन और भाग पूँजीगत माल नहीं है और किसी अनुसूची में वर्णित नहीं है अतः विक्रय ₹ 27.10 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर ₹ 3.01 लाख करारोपणीय था। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर करारोपण से ₹ 2.12 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर, शासन ने बताया कि ₹ 2.47 लाख का मांग जारी हुआ है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

ए.सी.ड्राइव, डी.सी.ड्राइव, प्रोग्रामिंग लाजिक कन्ट्रोलर सिस्टम और लुब्रिकेंटिक सिस्टम अधिसूचना क्रमांक 45 दिनांक 28.4.2006 के अन्तर्गत अधिसूचित पूँजीगत मालों की सूची में शामिल नहीं है। छ.ग.वेट अधिनियम, 2005 के अनुसार सभी अन्य वस्तुएँ जो अनुसूची-I और अनूसूची-II के भाग-1 से 3 में वर्णित नहीं है, 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। ए.सी.ड्राइव, डी.सी.ड्राइव, प्रोग्रामिंग लाजिक कन्ट्रोलर सिस्टम और लुब्रिकेटिंग सिस्टम अवशिष्ट माल होने से 12.5 की दर से करारोपणीय है।

2.17.2 सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क.)-III, दुर्ग के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (जनवरी 2012) कि एक व्यवसायी जो विद्युत सामग्री यथा ए.सी. ड्राइव, डी.सी. ड्राइव, प्रोग्रामिंग लाजिक कान्ट्रालर सिस्टम और लुब्रिकेंटिग सिस्टम के निर्माण एवं विक्रय करता था, की अवधि 2006-07 का कर निर्धारण अक्टुबर 2009 में किया गया। कर व्यवसायी द्वारा विक्रय ₹ 2.79 करोड़ को पूंजीगत माल मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। अतः 12.5 प्रतिशत की दर से कर

₹ 10.71 लाख के बदले ₹ 30.95 लाख आरोपणीय था। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर से करारोपण करने से ₹ 20.24 लाख का कम करारोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित किये जा पर (जुलाई 2012) विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि विक्रीत माल आयरन और स्टील उद्योगों के लिए मशीनरी पार्ट्स थे और अधिसूचना क्रमांक 45 दिनांक 28.04.2006 के अन्तर्गत आते हैं।

हम सहमत नहीं है क्योंकि ये माल उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित पूँजीगत मालों में वर्णित नहीं हैं।

2.18 अनियमित आगत कर की छूट के कारण कर का अनारोपण

छ. ग. मू. सं. क. अधिनियम के धारा 8 के अनुसार, अनुसूची-II के विनिर्दिष्ट मालों पर कॉलम (3) के संगत प्रविष्टि में वर्णित दरों से करारोपण होगा। आगे अधिनियम की धारा 13 (ब) प्रावधानित करता है कि जब कोई पंजीकृत व्यापारी प्रांत के अंदर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर चुका कर कोई माल क्रय करता है और वह आगत कर की छूट का दावा करता है तो ऐसे तरीके एवं ऐसे अवधि जैसा विनिर्दिष्ट हो, प्रदाय किया जावेगा। फर्नेस आयल पर चार प्रतिशत की दर से करारोपण विहित है।

स.आ.वा.क.- II, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने यह पाया (दिसम्बर 2010) कि एक व्यवसायी जो वायर के निर्माता एवं विक्रेता थे, का अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 का कर निर्धारण फरवरी 2010 में किया गया। व्यवसायी ने ₹ 39.95 लाख का फर्नेस आयल क्रय किया जिसपर कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.60 लाख की आगत कर छूट चार प्रतिशत की दर से के विरूद्ध ₹ 4.99 लाख का आगत कर छूट 12.5 प्रतिशत की दर से प्रदाय किया। इसीलिए अनुमत्य दर से अधिक आगत कर छूट प्रदाय किये जाने से ₹ 3.40 लाख का कम आगत का आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर, विभाग ने बताया कि प्रकरण को धारा 22(1) के अन्तर्गत पुनः खोला गया और ₹ 3.40 लाख की मांग उठाई।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम

2.19 कर का अनारोपण

के.वि.क.अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी जो कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में घोषित मालों को छोड़कर अन्य वस्तुएं की बिक्री बिना 'सी' फार्म के करता है तो 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य में ऐसी वस्तु की बिक्री पर आरोपणीय कर की दर दोनों में से जो अधिक हो से कर देय होगी।

छ. ग. मू. सं. क. अधिनियम के अनुसूची-II के भाग-II के प्रविष्टि क्रमांक 50 के अनुसार पिसान, आटा, मैदा, सूजी, बेसन इत्यादि चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। आगे राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक 15 दिनांक 30.03.2006 से 'आटा, मैदा, सूजी और बेसन' को अवधि 2006-07 के लिए करमुक्त किया न कि 'पिसान' को। आगे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स विशम्भर सहाय शीतल प्रसाद विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2004 एन.टी.एन.में भी निर्णित किया कि आटा (गेहूँ पिसान) और बेसन (चना पिसान) अलग वस्तुएं हैं।

सहायक आयुक्त, संभाग- II, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (नवम्बर 2011) कि एक व्यवसायी जो तेलों, तेल बीजों और सोया पिसान के निर्माण एवं बिक्री करता था, का अवधि 2006-07 का कर निर्धारण जून 2010 में किया गया। व्यवसायी का सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय ₹ 17.42 करोड़ का था जिसमें बिना 'सी' फार्म[8] सोया पिसान की विक्रय ₹ 15.55 करोड़ था। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त को 'आटा' मानते हुए छूट प्रदान की। चूंकि पिसान उक्त अधिसूचना से करमुक्त नहीं था और आटा से भिन्न था, अतः 10 प्रतिशत की दर से ₹ 1.55 करोड़ कर आरोपणीय था। इससे ₹ 1.55 करोड़ कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिकतम शास्ति ₹ 3.11 करोड़ भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि ₹ 4.66 करोड़ (शास्ति ₹ 3.11 करोड़ सहित) की मांग उठाई गई। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

---

8 सी फार्म एक घोषणा पत्र जो विभाग द्वारा पंजीकृत व्यवसायी को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रांत बाहर से रियायती दर पर मालों के आयात के लिये प्रदाय किया जाता है।

प्रवेश कर अधिनियम

2.20 प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (छ.ग.प्र.क. अधिनियम) के धारा 3(1)(ए) के अनुसार एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट मालों के प्रवेश पर, उसके उपभोग, उपयोग या बिक्री पर प्रवेश कर का आरोपण होगा। अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 53 प्रावधानित करता है 'सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों जो अन्य जगह विनिर्दिष्ट न हो' पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। मोबाइल हैंडसेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक माल है और अनूसूची में कहीं भी विनिर्दिष्ट नहीं है अतः प्रविष्टि क्रमांक 53 के अनुसार करारोपणीय है। आगे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स ड्राइव इंडिया डॉट काम विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य और अन्य 2011 (19) एस.टी.जे.में निर्णित किया कि मोबाइल हैंडसेट वायरलैस रिसेप्शन यंत्र के अन्तर्गत शामिल है यथाक्रम, यह प्रविष्टि 53 में भी शामिल किया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित है।

सहायक आयुक्त (स.आ.)-II, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (नवम्बर 2011) कि एक व्यवसायी जो मोबाइल हैंडसेट के क्रय-विक्रय करता था, की अवधि 2006-07 का कर निर्धारण जून 2010 में किया गया। व्यवसायी ने ₹ 124.28 करोड़ मूल्य का मोबाइल हैंडसेट शाखा अंतरण से प्राप्त किया जिसपर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की अनुसूची-III की वस्तु मानते हुए प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया। हालाँकि मोबाइल हैंडसेट इलेक्ट्रॉनिक माल है और अधिनियम के प्रविष्टि क्रमांक 53 के अनुसार करारोपणीय है। इसीलिए ₹ 124.28 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 1.24 करोड़ का प्रवेश कर आरोपणीय था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि का सत्यापन एवं उसके अनुरूप करारोपण करने में असफल रहने से प्रवेश कर ₹ 1.24 करोड़ का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने सभी संभागों को एक परिपत्र जारी किया (अक्टूबर 2012) जिसमें उनको निर्देशित किया गया कि मोबाइल हैंडसेट पर प्रवेश कर की जांच करें एवं एक प्रतिशत की दर से करारोपण करें जहां करारोपण नहीं हुआ है। आगे वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

2.21 कर का अनारोपण

छ.ग.प्र.क. अधिनियम के धारा 3 के अनुसार एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है न कि बिक्री पर। उक्त अधिनियम के अनुसूची-III के अनुसार राइस ब्रान दिनांक 4.9.2004 में 2 प्रतिशत से करारोपणीय है जब छत्तीसगढ़ के बाहर से आयातित हो।

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क.) राजनांदगांव के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि एक व्यवसायी जो राइस ब्रान और खाद्य तेल के निर्माण एवं बिक्री करता था, की अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2006 का कर निर्धारण जनवरी 2008 और जुलाई 2009 में किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2004-05 में कुल क्रय ₹ 42.16 करोड़ में से ₹ 3.83 करोड़ और वर्ष 2005-06 में कुल क्रय ₹ 27.91 करोड़ में से ₹ 24.84 लाख की गलत छूट उत्पादन के प्रारम्भ होने के पूर्व मालों के क्रय के आधार पर प्रदान किया। साथ ही क्रय ₹ 1.95 करोड़ का अव निर्धारण भी था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फरवरी 2009 में वर्ष 2005-06 के एकपक्षीय निर्धारण के दौरान व्यवसायी का सकल क्रय ₹ 29.86 करोड़ निर्धारित किया गया, को बिना कोई कारण उल्लेखित किये, विचार नहीं किया गया। इसीलिए वर्ष 2004-05 (₹ 3.83 करोड़) और 2005-06 (₹ 24.84 लाख) प्रदाय और वर्ष 2005-06 छूट ₹ 4.08 करोड़ के दौरान कुल क्रय (₹ 1.95 करोड़) की कमी अनियमित थी। इससे ₹ 8.31 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ (जैसा कि **परिशिष्ट-2.2** में दर्शित)। इसके अतिरिक्त शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा विभाग और शासन को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 24.15 लाख का मांग जारी हुआ है। वसूली पर जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

2.22 अनियमित छूट से प्रवेश कर का अनारोपण

छ.ग.प्र.क. अधिनियम के धारा 3 के अनुसार अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट मालों पर स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या बिक्री पर प्रवेश कर देय है। अधिनियम की अनुसूची-II की प्रविष्टि क्रमांक 31 यह विहित करती है कि सभी प्रकार के सेनेटरी माल एवम् फिटिंग्स पर कर की दर एक प्रतिशत है। आगे, प्रकरण मेसर्स महेश इंटरप्राइजेज विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य (2000) 119 एस.टी.सी.578 (ए.पी.) में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि कास्ट आयरन पाइप्स और फिटिंग्स कास्ट आयरन से अलग है और घोषित माल नहीं है इसीलिए प्रविष्टि 'वाटर सप्लाई और सेनेटरी फिटिंग्स' में सम्मिलित है।

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर-II, दुर्ग के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि एक व्यवसायी जो कास्ट आयरन पाइप्स और फिटिंग्स के क्रय-विक्रय करते थे, की अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 का कर निर्धारण

नवम्बर 2009 में किया गया। व्यवसायी ने ₹ 3.49 करोड़ का सी.आई. पाइप्स क्रय किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त क्रय सी.आई. पाइप्स को आयरन और स्टील एवं अनुसूची-III के अन्तर्गत मानते हुए कमी प्रदान की। चूंकि सी.आई पाइप्स और फिटिंग्स उक्त निर्णय के अनुसार 'सभी प्रकार के सेनेटरी माल और फिटिंग्स' के अनुसूची-II के अन्तर्गत आते हैं। अतः प्रवेश कर ₹ 3.49 लाख एक प्रतिशत की दर से आरोपणीय था। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची के प्रविष्टि का सत्यापन करने में असफल होने से ₹ 3.49 लाख की प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि अनुसूची-II के अन्तर्गत 'सभी प्रकार के सेनेटरी माल एवं फिटिंग्स की प्रविष्टि नहीं है' इसीलिए यह अनुसूची- III के अन्तर्गत आता है अतः कर का आरोपण नहीं किया गया।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि अनुसूची में सभी प्रकार के सेनेटरी माल एवं फिटिंग्स की विशेष प्रविष्टि है।

2.23 छत्तीसगढ़ बकाया राशि सरल समाधान योजना 2010

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976, छत्तीसगढ़ विलासिता कर अधिनियम 1988 और छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम 1995 के अन्तर्गत बकाया राशि[9] के निपटारा करने के लिए छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना 2010, नवम्बर 2010 में लागू की। बकाया प्रकरणों का निराकरण बकाया राशि के 60 प्रतिशत के भुगतान पर किया जाना था। कोई बकायादार जो योजना के अन्तर्गत लाभ इच्छुक थे, को 31 जनवरी 2011 तक दो प्रतियों में आवेदन पत्र जमा करना और स्वीकृत समाधान राशि[10] को सूचना के प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर जमा करना आवश्यक था।

समाधानकर्ता द्वारा जारी किये गये समाधान प्रमाण पत्र (प्रारूप-3) के उपवाक्य 4 के अनुसार बकायादार के विरूद्ध कोई भी अपराध/त्रुटि के लिए संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी और बकायादार के विरूद्ध कोई भी शास्ति आरोपित नहीं की जावेगी। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स विकास इंटरप्राइजेज विरूद्ध सहायक आयुक्त (मार्च 2007) में निर्णित किया कि बकायादार के विरूद्ध कोई अपराध/त्रुटि के लिए संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत कोई शास्ति आरोपित नहीं की जावेगी और कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जावेगी चूंकि योजना के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण किया गया और प्रार्थी के पक्ष में समाधान प्रमाण पत्र जारी किये गये।

---

9 बकाया राशि का विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत करों, ब्याज एवं शास्ति का बकाया जो कर निर्धारण अवधि 31 मार्च 2006 तक संबंधित हो और 31 अक्टुबर 2010 को लंबित हो।

10 समाधान राशि का तात्पर्य सरल समाधान योजना 2010 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों का बकाया निर्धारण एवं भुगतान (बकाया राशि का 60 प्रतिशत)।

विभाग ने 9507 बकायादारों को कुल ₹ 15.66 करोड़ का लाभ राज्य में प्रदाय किया। हमने आठ इकाईयों[11] में 102 बकायादारों के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि उन बकायादारों को योजना के अन्तर्गत ₹ 8.05 करोड़ का लाभ प्रदान किया गया। 102 बकायादारों में से शीर्ष दस लाभार्थी, जिनको कुल लाभ (₹ 15.66 करोड़) का 25 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुआ, नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ लाखों में)

स. क्र.	बकायादारों का नाम	बकाया राशि	समाधान राशि
1	मेसर्स लार्सन और टुब्रो लिमिटेड	242.75	33.18
2	मेसर्स बुधिया आटो	209.37	62.62
3	मेसर्स रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड	116.71	54.49
4	मेसर्स कक्कड़ आटो	88.34	53.00
5	मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड	81.60	48.96
6	मेसर्स हाई-टेक एब्रासिव लिमिटेड	81.29	44.19
7	मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन कंपनी लिमिटेड	76.64	45.99
8	मेसर्स बोटल्दा ट्रेक्टर्स	48.24	11.46
9	मेसर्स किचन एप्लायन्सेज	43.01	25.80
10	मेसर्स ए.सी.सी.लिमिटेड (पावर प्लांट)	42.54	18.38
	कुल	**1030.49**	**398.07**

योजना के अनुपालन से संबंधित अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि नमूना जांच के 102 प्रकरणों में से 96 में कुछ अनियमितताएं थी जो कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

[11] तीन अपर आयुक्त और पांच उपायुक्त कार्यालय

2.23.1 बकाया राशि की गणना में शास्ति राशि को सम्मिलित न करना

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010 के नियम 2(3) के अनुसार बकायादार को दिनांक 31.10.2010 के बकाया राशि का 40 प्रतिशत के छूट प्राप्त होगा और बकाया राशि का शेष 60 प्रतिशत समाधान राशि के रूप में भुगतान करना होगा। आगे, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010, के नियम 2(3)(च) के अनुसार, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत शास्ति एवं ब्याज के सभी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम इत्यादि के धारा 32(9) के अनुसार यदि उस पर निर्धारित किए गए कर का या उस पर अधिरोपित की गई शास्ति का या उससे शोध्य अन्य रकम का भुगतान विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर नहीं करता है तो वह बकाया कर शास्ति या अन्य रकम के दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति का भुगतान का दायी होगा।

रायपुर संभाग के तीन अपर आयुक्त और दो उपायुक्त बिलासपुर संभाग के दो उपायुक्त एवम् दुर्ग संभाग के एक उपायुक्त के सरल समाधान के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (जून 2012) कि 88 बकायादारों जिनका कर निर्धारण अवधि 1991-92 से 2005-06 से संबंधित कुल बकाया ₹ 15.99 करोड़ था ने बकाया राशि के निपटारे हेतु योजना की सुविधा प्राप्त की। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर जमा करने का मांग पत्र/राजस्व वसूली प्रमाण पत्र/अपील आदेश जून 1995 से अक्टुबर 2010 के मध्य निर्धारण किये गये थे। इन बकायादारों ने कर की राशि विनिर्दिष्ट समय में जमा नहीं किया और कर के भुगतान में विलंब 12 से 5602 दिनों के मध्य था। इसके बावजूद समाधानकर्ता अधिकारियों ने 31.10.2010 तक शास्ति का विचार किये बिना बकाया राशि की गणना की। अतः समाधानकर्ता अधिकारियों द्वारा शास्ति को बकाया राशि में शामिल करने में असफल होने से समाधान राशि ₹ 5.25 करोड़ (₹ 8.76 करोड़ का 60 प्रतिशत) की कम वसूली हुई (जैसा कि **परिशिष्ट-2.3** में दर्शित है)।

2.23.2 समाधान राशि के कम आरोपण से राजस्व हानि

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010 के नियम 2(3)(ख) के अनुसार, अपील, द्वितीय अपील अथवा निगरानी में बकायादार के द्वारा जो आंशिक भुगतान किया गया है उसे भी कुल बकाया राशि में समायोजित कर भुगतान की गई राशि मानकर गणना की जावेगी।

रायपुर के तीन अपर आयुक्तों एवं दो उपायुक्त और बिलासपुर संभाग के एक उपायुक्त के सरल समाधान अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2012) में हमने पाया कि 41 बकायादारों जिनकी बकाया राशि ₹ 9.85 करोड़ थी, ने योजना का लाभ लिया।

बकायादारों ने प्रथम/द्वितीय अपील में ₹ 3.35 करोड़ का आंशिक भुगतान किया। उक्त नियमानुसार, भुगतान राशि को केवल बकाया राशि के विरूद्ध समायोजित करना था। इसके बावजूद भी, अभिलेखों के जांच में पाया गया कि समाधानकर्ता प्राधिकारियों ने प्रथम/द्वितीय अपील के आंशिक भुगतान ₹ 3.35 करोड़ को बकाया राशि ₹ 9.85 करोड़ के बदले समाधान राशि (जो कि समाधानकर्ता प्राधिकारियों द्वारा गणना की गई) ₹ 5.89 करोड़ में समायोजित किया। इसीलिए अपील राशि के आंशिक भुगतान को समाधान राशि में समायोजन किये जाने से ₹ 1.35 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट-2.4** में दर्शित है) की कम वसूली हुई।

2.23.3 समाधान राशि के भुगतान में विलंब

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान नियम 2010 के नियम 6 एवं 9(4) के अनुसार बकायादार को प्रारूप-2 के प्राप्ति दिनांक के 15 दिनों के अंदर समाधान राशि जमा करनी होगी, असफल होने पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आगे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स डी.एम.वुलेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य विरूद्ध वाणिज्यिक कर विभाग और अन्य (मार्च 2005) में निर्णित किया कि कर निर्धारिती जो योजना के अन्तर्गत लाभ का दावा करता है, को समाधान राशि को 15 दिनों के भीतर भुगतान शर्तें का पालन करने के लिए बाध्यकारी है। समाधान राशि को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में असफल होने पर योजना का लाभ नहीं हो सकता। आगे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मेसर्स विकास इंटरप्राइजेज विरूद्ध सहायक आयुक्त के प्रकरण में (मार्च 2007) निर्णित किया कि बकायादार के विरूद्ध कोई अपराध/त्रुटि के लिए संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत कोई शास्ति और कार्यवाही नहीं की जा सकती, चूंकि योजना के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण किया गया और प्रार्थी के पक्ष में समाधान प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

रायपुर संभाग के दो अपर आयुक्त के सरल समाधान अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (जून 2012) कि बकाया राशि के दो प्रकरणों में बकाया राशि ₹ 1.11 करोड़ थी। समाधानकर्ता प्राधिकारी ने ₹ 44.26 लाख की छूट प्रदाय करते हुए ₹ 66.38 लाख की समाधान राशि निर्धारित की। आगे अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि बकायादारों ने समाधान राशि, प्रारूप-दो[12] की प्राप्ति के 15 दिनों की स्वीकृत अवधि के पश्चात् 6 से लेकर 28 दिनों के विलंब से जमा किया। चुँकि बकायादारों ने समाधान राशि को समय से जमा नहीं किया था, अतः उनको उक्त योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। इसीलिए स्वीकृत समय-सीमा के अंदर भुगतान में असफल रहने के कारण ₹ 44.26 लाख (जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में प्रदर्शित) की हानि हुई।

---

12 प्रारूप 2- एक प्रपत्र जिसमें समाधानकर्ता द्वारा समाधान राशि की गणना की जाती है और संबंधित बकायादार को समाधान राशि जमा करने के लिए जारी किया जाता है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग/शासन (जुलाई 2012) पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि मेसर्स विकास इंटरप्राइजेज विरूद्ध सहायक आयुक्त के प्रकरण में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार, प्रार्थी के पक्ष में समाधान प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात कोई शास्ति/कार्यवाही नहीं की जा सकती।

चूँकि विभाग माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय से अवगत था अतः योजना के अन्तर्गत राजस्व हानि को रोकने के लिए प्रकरणों के निराकरण के दौरान सभी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए थी।

2.23.4 वापसी समायोजन आदेश का समाधान राशि में गलत समायोजन

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010 नियम के अनुसार, बकायादार के किसी भी आंशिक भुगतान को कर भुगतान की राशि मानकर बकाया राशि में समायोजित की जायेगी।

रायपुर संभाग के अपर आयुक्त के सरल समाधान अभिलेखों की जांच (जून 2012) में हमने पाया कि एक बकायादार के प्रकरण में बकाया राशि ₹ 14.97 लाख का समाधानकर्ता प्राधिकारी ने समाधान राशि ₹ 8.98 लाख निर्धारित किया। अभिलेखों के जांच में आगे पाया गया कि वापसी समायोजन आदेश की राशि को वापसी राशि पर विचार किये बिना, कुल बकाया राशि के 60 प्रतिशत में समायोजित किया गया। इसे पहले कुल बकाया राशि से घटाया जाना चाहिए था और शेष बकाया राशि (वापसी समायोजन आदेश के समायोजन के बाद) का 60 प्रतिशत जमा कराया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। समाधानकर्ता प्राधिकारी ने वापसी ₹ 6.80 लाख को बकाया राशि के बदले समाधान राशि से समायोजन किया। अतः वापसी समायोजन आदेश के गलत समायोजन से ₹ 2.72 लाख का कम वसूली हुई।

हमने विभाग/शासन को उनके टिप्पणी के लिए इंगित किया (जुलाई 2012); उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2012)।

2.23.5 निष्कर्ष

चूँकि योजना के विहित प्रावधानों के अनुसार, समाधान प्रमाणपत्रों के जारी होने के पश्चात् प्रकरणों को पुनः खोला नहीं जा सकता है, इसलिए यह आपेक्षित था कि समाधानकर्ता प्राधिकारियों द्वारा समाधान राशि की गणना के समय आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए थी। शास्ति का सम्मिलित न करना, समाधान राशि का कम आरोपण, लाभ का अनियमित विस्तार और वापसी समायोजन आदेश का गलत समायोजन जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में इंगित है, कर निर्धारण प्राधिकारियों के पर्याप्त सावधानी के अभाव का सूचक हैं जिससे राजकोष की प्रत्यक्ष हानि हुई।

तीसरा-अध्यायः मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने पंजीयन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान न्यून मुल्यांकन और बाजार मूल्य मार्गदर्शिका का पालन नहीं करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण से संबंधित चुने हुए प्रेक्षणों में से ₹ 97.49 लाख के प्रकरण प्रस्तुत किए।
कर संग्रहण में कमी	पिछले पांच वर्षों में राज्य के कुल कर राजस्व में मुद्रांक एवं पंजीयन फीस का योगदान 7.52 से 8.73 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 में प्राप्ति 3.33 प्रतिशत कम रही जिसका कारण विभाग ने महिलाओं के पक्ष में विक्रय विलेख में दो प्रतिशत की छूट दिया जाना बताया।
आन्तरिक लेखापरीक्षा को महत्व नहीं दिया जाना	वर्ष 2011-12 के दौरान, हमने पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए विभाग द्वारा न ही कोई योजना अनुमोदित की गई और न ही लेखापरीक्षा की गई। आगे, प्रकोष्ठ में स्वीकृत दो सहायक आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी के स्थान पर एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी पदस्थ रहे।
2011-12 में हमारे द्वारा सम्पन्न लेखापरीक्षा के परिणाम	हमने वर्ष 2011-12 में पंजीयन विभाग के आठ ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और 517 प्रकरणों में, प्रकरणों के निराकरण में अपरिमित विलम्ब, मुद्रांक शुल्क का कम निर्धारण, विलेखों का गलत वर्गीकरण और अन्य अनियमितताएं, जिसमें राशि ₹ 4.17 करोड़, सन्निहित थी, पाये गये। विभाग द्वारा 76 प्रकरणों में ₹74.44 लाख अवनिर्धारण मान्य की गई।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत करे, साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करे ताकि हमारे द्वारा पाए गए तंत्र की कमियों में सुधार लाया जा सके तथा सामान्य भूल को भविष्य में टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित अवसूली, शुल्क के अवनिर्धारण, इत्यादि की वसूली हेतु त्वरित कार्यवाही हेतु पहल की आवश्यकता है खासकर उन प्रकरणों में जिस पर हमारा मत स्वीकार्य हो।

3.1 कर प्रशासन

पंजीयन विभाग शासन के लिए मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व एकत्र करता है जो कि शासन के राजस्व आय का मुख्य स्त्रोत है। लिखतों के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जाता है तथा पंजीयन फीस निर्धारित दरों पर देय होता है। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से बचने के उपाय सामान्यतः संपत्तियों का न्यून मूल्यांकन, दस्तावेजों को पंजीयन प्राधिकारियों के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना और निष्पादकों द्वारा पंजीयन प्रधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क का कम/नहीं भुगतान किया जाना हैं।

विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों का पालन मुद्रांक एवं पंजीयन फीस प्राप्ति करने के लिए करता है:

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- पंजीयन अधिनियम, 1908;
- भारतीय स्टाम्प नियम, 1975; और
- छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उसका पुनरीक्षण नियम, 2000

पंजीयन विभाग का प्रमुख शासन स्तर पर सचिव तथा विभाग स्तर पर महानिरीक्षक पंजीयन सह अधीक्षक मुद्रांक (म.नि.पं.) हैं जिसकी सहायता के लिए दो उप-महानिरीक्षक पंजीयन, 10 जिला पंजीयक सह मुद्रांक संग्राहक (जि.प.) तथा 88 उप- पंजीयक (उ.पं.) होते हैं।

3.2 मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से वास्तविक प्रप्तियाँ, राज्य के कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियॉं	अन्तर आधिक्य (+)/ कमी(-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियॉं	कुल कर प्राप्तियों के सापेक्ष में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	471.47	462.72	(-) 8.75	(-) 1.86	5618.08	8.24
2008-09	520.00	495.59	(-) 24.41	(-) 4.69	6593.72	7.52
2009-10	515.00	583.13	(+) 68.13	(+) 13.23	7123.25	8.19
2010-11	650.35	785.85	(+)135.50	(+) 20.83	9005.14	8.73
2011-12	875.00	845.82	(-)29.18	(-) 3.33	10,712.25	7.90

(स्रोतः वित्त लेखे छत्तीसगढ़ शासन)

पिछले पांच वर्षों में मुद्रांक एवं पंजीयन फीस का राज्य के कर राजस्व में योगदान 7.52 से 8.73 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2011-12 के दौरान, बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्ति में कमी (-3.33 प्रतिशत) के कारण के संबंध में विभाग द्वारा कहा गया कि महिलाओं को विक्रय विलेख में मुद्रांक शुल्क में दो प्रतिशत की छूट था।

हमने पाया कि, वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा ₹864.10 करोड़ के प्रस्तावित बजट अनुमान के विरूद्ध वित्त विभाग द्वारा ₹875 करोड़ का बजट अनुमान अनुमोदित की गई।

3.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को मुद्रांक और पंजीयन फीस के रूप में बकाया राजस्व राशि ₹ 5.03 करोड़ थी, जिसमें से राशि ₹ 2.87 करोड़ पांच वर्षों से अधिक का बकाया था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2007-08	2.87	3.05
2008-09	3.05	3.68
2009-10	3.68	4.69
2010-11	4.69	5.43
2011-12	5.43	5.03

(स्रोतः विभागीय आंकडों के अनुसार)

3.4 संग्रहण की लागत

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के संदर्भ में, सकल संग्रहण, राजस्व संग्रहण पर व्यय और सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत सहित वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान पूर्व वर्षों में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत निम्नानुसार थे:

(₹करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्षों में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009-10	583.13	14.94	2.56	2.77
2010-11	785.85	18.52	2.36	2.47
2011-12	845.82	20.75	2.45	1.60

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि राज्य का संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2009-10 और 2010-11 में अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम था, वर्ष 2011-12 में बढ़ोत्तरी हुई है।

हम अनुशंसा करते है कि शासन को राजस्व संग्रहण पर व्यय कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थितिः 2006-07 से 2010-11 के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से मुद्रांक शुल्क के अवनिर्धारण, लिखतों का गलत वर्गीकरण इत्यादि के 2,150 प्रकरणों में, जिसमें ₹18.68 करोड़ निहित थे, को इंगित

किया। इनमें से, 1439 प्रकरणों में शामिल ₹10.20 करोड़ के लेखापरीक्षा टीप को विभाग/ शासन ने स्वीकार किया। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है:

(₹ लाख में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	14	132	182.33	131	182.33
2007-08	30	515	100.31	511	97.86
2008-09	20	635	663.00	13	38.00
2009-10	11	326	293.00	298	282.00
2010-11	28	542	629.00	486	420.00
योग		**2150**	**1867.64**	**1439**	**1020.19**

3.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थितिः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 से 2010-11 में, न्यून मूल्यांकन के प्रकरण, मुद्रांक शुल्क से छूट इत्यादि और अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों में ₹12.17 करोड़ समाहित थी, इंगित किये गये थे। विभाग द्वारा ₹1.78 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की गई जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹करोड़ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार राशि
1	2006-07	8.69	0.03
2	2007-08	निरंक	निरंक
3	2008-09	1.60	1.14
4	2009-10	निरंक	निरंक
5	2010-11	1.88	0.61
योग		**12.17**	**1.78**

3.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ.ले.प.शा.) आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के उपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है जो संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील है।

हमने पाया कि सहायक आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी के दो स्वीकृत पद के विरूद्ध एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शाखा में पदस्थ थे। आगे, वर्ष 2011-12 के लिए विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा संचालन के लिए कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई थी। अतः हमारे द्वारा स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को विभाग नहीं खोज पाया।

विभाग ने कहा कि शाखा में पदस्थ लेखापरीक्षक, लंबित कंडिकाओं के निराकरण के लिये लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तैयारी में व्यस्त थे, अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पन्न नहीं की गई।

हम अनुशंसा करते है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाए और लेखापरीक्षा सुचारू रूप से करने हेतु लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाए।

3.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 के दौरान, पंजीयन विभाग के आठ ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और 517 प्रकरणों में, प्रकरणों के निराकरण में अपरिमित विलम्ब, मुद्रांक शुल्क का कम निर्धारण, लिखतों का गलत वर्गीकरण और अन्य अनियमितताएं पायी, जिसमें राशि ₹ 4.17 करोड़ निहित थी जो निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत है:

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रकरणों के निराकरण में अपरिमित विलंब	208	2.09
2.	न्यून मूल्यांकन, लिखतों के गलत वर्गीकरण एवं मुद्रांक शुल्क के कम निर्धारण से राजस्व हानि	162	0.58
3.	अन्य अनियमितताएँ	147	1.50
	योग	**517**	**4.17**

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 76 प्रकरणों में ₹ 74.44 लाख का कम निर्धारण स्वीकार किया गया जो वर्ष 2011-12 में इंगित किये गये थे।

विभाग द्वारा एक प्रकरण में पूर्ण राशि ₹ 3.25 लाख भी वसूल किया जो प्रारूप कंडिका के माध्यम से इंगित किया गया था।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिसमें ₹ 97.49 लाख की राशि निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

3.8 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने विभिन्न पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में अधिनियमों/नियमों/शासन की अधिसूचनाओं/निर्देशों के पालन न किए जाने के कई प्रकरण पाये जिनमें मुद्रांक शुल्क, पंजीयन फीस इत्यादि की हानि हुई जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है। उक्त प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। पंजीयन अधिकारियों द्वारा हुई ऐसी गलतियां हमारे द्वारा प्रतिवर्ष इंगित की जाती है, किन्तु न केवल ये अनियमितताएं बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। शासन के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उन्नत किया जावे जिससे ऐसी गलतियों से बचा जा सके।

3.9 मार्गदर्शिका का पालन न किया जाना

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतो का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अनुसार संपत्तियों का बाजार मूल्य की गणना मार्गदर्शिका और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जावेगी और तदनुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की जावेगी। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (क) के अनुसार यदि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि उस संपत्ति का, जो कि ऐसे लिखत की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन किन्ही नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम उपवर्णित किया है तो वह ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करने के पूर्व उसे ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के अवधारण के लिये कलेक्टर को प्रेषित करेगा। बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप एक की कंडिका 8 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित भूमि का बाजार मूल्य उसी क्षेत्र में सिंचित भूमि के दर की ढ़ाई गुना होगी।

3.9.1 उप पंजीयक, रायपुर के कार्यालय में पंजीकृत (जुलाई 2010 और फरवरी 2011) लिखतों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2011) के दौरान दो दस्तावेजों से हमने देखा कि 1.703 हेक्टेयर परिवर्तित भूमि[1] विक्रय की गयी। भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थी। मार्गदर्शिका की कंडिकाओं के अनुसार इन संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 3.71 करोड़ था जिन पर मुद्रांक शुल्क ₹ 27.09 लाख और पंजीयन फीस ₹ 2.97 लाख आरोपणीय था। जबकि, उप पंजीयक ने इन दस्तावेजों की बिना उचित जॉच के इन संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 2.94 करोड़ निर्धारित किया और मुद्रांक शुल्क ₹ 21.49 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 2.36 लाख आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 6.21 लाख[2] का कम आरोपण हुआ।

शासन/ विभाग को हमारे इंगित (मई 2012) किए जाने के पश्चात, विभाग ने बताया (जून 2012) कि प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये गये है और निर्णय लंबित है।

1 परिवर्तित भूमि इसका अभिप्राय वह भूमि जो गैर कृषि कार्यो के लिये परिवर्तित की गयी है।

2 हेक्टेयर दर से गणना करने पर

मार्गदर्शिका के प्रारूप-एक की कंडिका सात के अनुसार, यदि नगरपालिक क्षेत्र में कृषि भूमि का टुकड़ा एक से अधिक क्रेताओ द्वारा जो एक ही परिवार के सदस्य नहीं है संयुक्त रूप से क्रय किया जाता है तथा प्रत्येक के हिस्से में 0.243 हेक्टेयर तक भूमि आती है, तब संपत्ति का मूल्यांकन स्लैब आधार पर की जाएगी। प्रारूप तीन की कंडिका 5 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में 0.243 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि का बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से की जावेगी यदि विक्रीत भूमि क्रेता की भूमि से लगी हो। इस संबंध में पटवारी द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

3.9.2 उप पंजीयक रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर और नवंबर 2011 के मध्य) के दौरान हमने देखा कि तीन दस्तावेजों में 1.101 हेक्टेयर भूमि नगरपालिक क्षेत्र में स्थित थी जिसमें क्रेता एक ही परिवार के सदस्य नहीं थे एवं प्रत्येक क्रेता के पास 0.243 हेक्टेयर से कम हिस्सा था। दूसरे प्रकरण उप-पंजीयक धमतरी में यह पाया गया कि एक लिखत में 0.110 हेक्टेयर भूमि नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित थी और पटवारी प्रमाण पत्र के अनुसार, यह भूमि क्रेता की भूमि से लगी हुई नहीं थी। इन चार संपत्तियों का बाजार मूल्य स्लैब आधार[3] पर ₹ 5.20 करोड़ था जिन पर मुद्रांक शुल्क ₹ 42 लाख और पंजीयन फीस ₹ 4.16 लाख आरोपणीय था। तथापि, उपपंजीयकों ने भूमि का मूल्य निर्धारण करते समय स्लैब आधार को अपनाने के बजाय समस्त दस्तावेजों में हेक्टेयर दर[4] का आरोपण किया और संपत्ति का मूल्य ₹ 1.44 करोड़ निर्धारित किया और मुद्रांक शुल्क ₹ 11.52 लाख और पंजीयन फीस रू 1.09 लाख का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति का ₹ 3.75 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ और मुद्रांक शुल्क ₹ 30.48 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 3.07 लाख का कम आरोपण हुआ।

शासन/विभाग को हमारे इंगित (मई 2012) किए जाने के पश्चात, शासन ने बताया (अगस्त 2012) कि प्रकरण निर्णय हेतु लंबित है।

3 नगरीय क्षेत्र में 0.243 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की भूमि के बाजार मूल्य की गणना स्लैब दर से की जाती है, अर्थात प्रथम 0.05 हेक्टेयर के लिए प्लाट दर का 100 प्रतिशत, तत्पश्चात प्रत्येक 0.05 हेक्टेयर के लिए 75,40 और 25 प्रतिशत।

4 हेक्टेयर दर- हेक्टेयर दर नगरीय क्षेत्रों में 0.243 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि पर प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की जाती है। इसी तरह प्लॉट दर भूमि के छोटे टुकड़े 0.243 हेक्टेयर तक के लिए प्रति वर्गमीटर की दर से गणना की जाती है।

बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप तीन की कंडिका 5 के अनुसार नगरपालिक क्षेत्र में 0.243 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि का बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से जावेगी यदि भूमि क्रेता की भूमि से लगी है। इस संबंध में पटवारी द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदाय की जावेगी। इसी तरह, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में विशेष उपखण्ड के अनुसार, नगरपालिक सीमा के बाहर स्थित विशेष ग्रामों (ग्राम बरोदा को शामिल करते हुए 32 ग्राम) के संपत्ति का बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप एक की कंडिका 1 के अनुसार अर्थात स्लैब आधार पर की जावेगी, यदि कुछ ग्रामों के लिए भूमि का क्षेत्रफल 0.101 हेक्टेयर तथा शेष ग्रामों के लिए 0.150 हेक्टेयर से नीचे या बराबर है।

3.9.3 उप पंजीयक रायपुर में पंजीकृत लिखतों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2011) के दौरान हमने देखा कि चार लिखतों में, मार्गदर्शिका के उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। चार लिखतों में से दो लिखतों में 0.323 हेक्टेयर भूमि नगरपालिक क्षेत्र में स्थित थी और अन्य दो लिखतों में 0.409 हेक्टेयर भूमि नगरपालिक क्षेत्र के बाहर स्थित थी। इन समस्त प्रकरणों में, पटवारी के द्वारा भूमि के क्रेता की भूमि से सटे होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे। अतः भूमि का मूल्यांकन स्लैब आधार पर किया जाना चाहिए था परंतु उपपंजीयक द्वारा संपत्तियों का मूल्यांकन हेक्टेयर दर पर किया गया। मार्गदर्शिका के अनुसार, इन संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 87.59 लाख था जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 6.32 लाख और पंजीयन फीस ₹ 70,653 आरोपणीय था जबकि, संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 43.91 लाख निर्धारित किया गया और मुद्रांक शुल्क ₹ 3.19 लाख और पंजीयन फीस ₹ 35,716 आरोपित की गयी। इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति का ₹ 43.68 लाख का अवमूल्यांकन हुआ और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 3.48 लाख का कम आरोपण हुआ।

शासन/विभाग को हमारे इंगित (मई 2012) किए जाने के पश्चात, विभाग ने बताया कि प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किए गए हैं और वे निर्णय हेतु लम्बित हैं।

3.10 सिंचित भूमियों और दो फसली भूमियों की संपत्तियों का गलत मूल्यांकन

वर्ष 2010-11 के लिए संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित) के प्रारूप तीन के प्रावधानों की कंडिका 7 के अनुसार सिंचित दो फसली भूमि का बाजार मूल्य सिंचित भूमि की दर का 25 प्रतिशत बढ़ाकर निर्धारित की जावेगी। सिंचित भूमि और असिंचित भूमि की दरें बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में पृथक से विहित की गयी हैं। आगे, कंडिका 9 के अनुसार वाणिज्यिक फसल के लिए बाजार मूल्य में अतिरिक्त 25 प्रतिशत जोड़ा जाता है।

उपपंजीयक बेरला और रायपुर के कार्यालयों में पंजीकृत लिखतों की नमूना जाँच (अक्टूबर और नवंबर 2011 के मध्य) के दौरान हमने देखा कि 11 दस्तावेजों में से, पाँच दस्तावेजों में संलग्न राजस्व अभिलेखों से 12.527 हेक्टेयर भूमि सिंचित दो फसली भूमि घोषित थी, परंतु उपपंजीयक ने उनको केवल सिंचित भूमि के रूप में पंजीकृत किया। शेष दस्तावेजों

में, संलग्न पटवारी प्रतिवेदनों और अभिलेखों (खसरा, ऋण पुस्तिका) से 9.045 हेक्टेयर भूमि सिंचित भूमि घोषित थे, परंतु उपपंजीयक ने उनको असिंचित भूमि के रूप में पंजीकृत किया।

मार्गदर्शिका के अनुसार इन संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 2.70 करोड़[5] था जिन पर मुद्रांक शुल्क ₹ 19.19 लाख और पंजीयन फीस ₹ 2.17 लाख आरोपणीय था। जबकि, उपपंजीयकों ने बाजार मूल्य ₹ 1.98 करोड़ निर्धारित किया और मुद्रांक शुल्क ₹ 14.32 लाख और पंजीयन फीस ₹ 1.60 लाख आरोपित किया। अतः उप पंजीयकों के तरफ से संलग्न अभिलेखों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन न करने के भूल के परिणामतः संपत्तियों का ₹ 71.85 लाख का अवमूल्यांकन हुआ और मुद्रांक शुल्क ₹ 4.87 लाख और पंजीयन फीस ₹ 57,400 कम आरोपण हुआ।

शासन/ विभाग को हमारे इंगित (मई 2012) किए जाने के पश्चात, शासन ने बताया (अगस्त 2012) कि उप पंजीयक बेरला के प्रकरण में एक प्रकरण में वसूली प्रक्रियाधीन है और शेष प्रकरण निर्णय हेतु लंबित है।

3.11 अनियमित छूट के कारण मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 (क) के अनुच्छेद 33 के अनुसार दान की लिखत पर वही मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है जो उस संपत्ति के जो कि दान की विषय वस्तु है के बाजार मूल्य के बराबर हस्तांतरण पत्र पर लगता है। आगे, उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 9(1) के अनुसार चुकायी गई मुद्रांक शुल्क पर 5 प्रतिशत उपकर आरोपणीय होगी। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचना दिनांक 31.3.2008 द्वारा महिला के पक्ष में अनन्यतः अंतरित की जाने वाली संपत्ति के प्रकरणों में अधिनियम के अनुच्छेद 23 के अधीन प्रचलित दरों में दो प्रतिशत की कमी की। जबकि "ज्वाला प्रसाद विरूद्ध उ.प्र. राज्य" (ए.आई.आर 2005), के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि हस्तांतरण पर मुद्रांक शुल्क में कमी दान की लिखतों पर लागू नहीं होगी।

कार्यालय उप पंजीयक दुर्ग में पंजीकृत लिखतों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2011) कि 14 दान के विलेख जिनका बाजार मूल्य ₹ 2.98 करोड़ था, अक्टूबर 2009 और मार्च 2011 के मध्य निष्पादित की गयी थी। विलेख महिलाओं के पक्ष में थे अतः उपपंजीयक द्वारा इन विलेखों पर दो प्रतिशत छूट मान्य करते हुए मुद्रांक शुल्क राशि ₹ 13.37 लाख आरोपित की गयी। जबकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उपपंजीयक के द्वारा दी गई छूट अनियमित थी और इन विलेखों पर मुद्रांक शुल्क ₹ 19.64 लाख आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क राशि ₹ 6.27 लाख का कम आरोपण हुआ।

शासन/विभाग को हमारे इंगित (मई 2012) किये जाने के पश्चात, शासन ने बताया (अगस्त 2012) कि प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये गए हैं और निर्णय के

5 हेक्टेयर दर से गणना करने पर

आधार पर छः प्रकरणों में ₹ 3 लाख वसूल की जा चुकी है और शेष आठ प्रकरण निर्णय हेतु अभी तक लंबित है।

3.12 संपत्तियो का अवमूल्यांकन

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उसका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अनुसार एक केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड गठित की जावेगी जो स्थावर सम्पत्ति के मूल्यांकन के संबंध में बाजार मूल्य के निर्धारण के लिये मानक बनाएगी, जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा अंकित सूचना/सम्पत्ति लेनदेन के आंकड़े विश्लेषण के अनंतिम दरों के साथ प्राप्त करेगी और अंतिम अनुमोदन देगी। दरें जो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका कहलाती है राज्य में प्रत्येक पंजीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जावेगी। पंजीकरण अधिकारी को चाहिए कि वे भारतीय मुद्रांक अधिनियम और पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के साथ और बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुरूप स्थावर सम्पत्ति का बाजार मूल्य गणना करे। पंजीकरण अधिकारी अर्थात उप पंजीयक को भारतीय मुद्रांक अधिनियम और पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रावधानों और मार्गदर्शिका के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण करना चाहिए। भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-47(क) के अनुसार, यदि उप पंजीयक के पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि एक दस्तावेज सम्यक रूप से मुद्रांकित या मूल्यांकित नहीं है वह दस्तावेज जिला पंजीयक को उचित मूल्यांकन हेतु भेजेगा।

उपपंजीयक दुर्ग के कार्यालय में पंजीकृत लिखतों की नमूना जाँच (जून 2011) के दौरान हमने पाया कि मार्च 2010 और मार्च 2011 के मध्य पंजीकृत 12 लिखतों में न तो बाजार मूल्य उचित रूप से निर्धारित किए गए थे और न ही प्रकरण जिला पंजीयक को उचित मूल्यांकन हेतु भेजे गये थे। अनुमोदित मार्गदर्शिका के अनुसार इन दस्तावेजों में वर्णित संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 1.91 करोड़ था जिस पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 17.71 लाख आरोपणीय था। जबकि संपत्तियों का बाजार मूल्य निर्धारित करते समय उपपंजीयक के द्वारा मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और संपत्तियाँ ₹ 1.40 करोड़ मूल्यांकित की गयी। तदनुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 12.97 लाख आरोपित की गयी। अतः संपत्तियों के मूल्य निर्धारित करते समय उपपंजीयक के द्वारा मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन न करने के कारण इन संपत्तियों का ₹ 51 लाख से अवमूल्यांकन हुआ और ₹ 4.74[6] लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट-3.1** में दर्शाये अनुसार)

शासन/विभाग को हमारे इंगित (मई 2012) किए जाने के पश्चात शासन ने बताया (अगस्त 2012) कि समस्त प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किए गए थे और आदेशों

6 हेक्टेयर दर, स्लैब दर और प्लाट दर से गणना क्रमशः छः, तीन और तीन विलेखों में की गई।

के अनुसार, 7 प्रकरणों में ₹1.66 लाख वसूल किए जा चुके थे, एक प्रकरण में ₹1.72 लाख वसूली हेतु लंबित है और शेष चार प्रकरण निर्णय हेतु अभी तक लंबित है।

3.13 मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों का न्यून मूल्यांकन

बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम, 2000 के प्रारूप एक की कंडिका 6 (अ) के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में मुख्य सड़क से 20 मीटर गहराई/दूरी तक स्थित सम्पत्तियों को मुख्य सड़क से लगी मानकर मुख्य सड़क के लिए निर्धारित दर से गणना की जावेगी। परन्तु, यह भी कि यदि कोई क्रेता 20 मीटर की गहराई/दूरी से अधिक गहराई तक की भूमि क्रय करता है तब सम्पूर्ण सम्पत्ति को मुख्य सड़क से लगा मानकर गणना की जावेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारूप तीन की कंडिका 11 के अनुसार यह सीमा मुख्य मार्ग से 46 मीटर गहराई तक होगी।

उप पंजीयक धमतरी और रायपुर में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच (अक्टूबर और दिसम्बर 2011 के मध्य) के दौरान, 14 दस्तावेजों में हमने पाया कि समर्थित साक्ष्य जैसे पटवारी प्रतिवेदन, नक्शा इत्यादि में सम्पत्ति को मुख्य मार्ग से लगा दर्शाया गया (**परिशिष्ट-3.2** में दर्शाए अनुसार)। अतः मार्गदर्शिका के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 6.03 करोड़ था जिस पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 52.84 लाख आरोपणीय था। जबकि, उप पंजीयक द्वारा संलग्न समर्थित साक्ष्य पर विचार किए बिना सम्पति को मुख्य मार्ग से दूर मानते हुए बाजार मूल्य की गणना ₹ 3.70 करोड़ की गई जिस पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 33 लाख आरोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप, सम्पति के बाजार मूल्य का ₹ 2.33 करोड़ न्यून मूल्यांकन हुआ और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 19.84 लाख[7] का कम आरोपण हुआ।

शासन/विभाग को हमारे इंगित (मई 2012) किए जाने के पश्चात, शासन ने कहा (अगस्त 2012) कि प्रकरण निर्णय हेतु मुद्रांक संग्राहक के पास लंबित है।

3.14 दो या दो से अधिक विक्रेताओं का एक दस्तावेज तैयार करने से सम्पत्ति का न्यून मूल्यांकन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम अधिनियमित करता है कि यदि उपपंजीयक (उ.पं.) के पास विश्वास करने योग्य कारण हो कि सम्पति का बाजार मूल्य न्यूनतम मूल्य से कम उपवर्णित किया गया है तब दस्तावेज को उचित बाजार मूल्य की गणना के लिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा जाएगा। सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांत वर्ष 2010-11 (केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अनुमोदित) के प्रारूप-एक की कंडिका एक के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना स्लैब दर से की जावेगी यदि भूमि 0.243 हेक्टेयर से कम अथवा बराबर हो। मार्गदर्शिका में दर्शाये गए विशेष प्रयोजन के अनुसार उपरोक्त गणना की सीमा कुछ क्षेत्रों में 0.150 हेक्टेयर होगी।

कार्यालय उप पंजीयक रायपुर में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच (अक्टूबर 2011) के दौरान हमने पाया कि चार दस्तावेज जुलाई 2010 और मार्च 2011 के मध्य पंजीकृत किए

7 हेक्टेयर दर, स्लैब दर और प्लाट दर से गणना क्रमशः दस, दो और दो विलेखों में की गई।

गये जिसमें प्रत्येक दस्तावेज में दो या दो से अधिक विक्रेताओं से भूमि क्रय की गई थी। प्रत्येक विक्रेताओं के हिस्से में भूमि 0.243 हेक्टेयर से कम थी। चूँकि प्रत्येक विक्रेता के भू-खण्ड के खसरा और ऋण पुस्तिका अलग है, अतः मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के उद्देश्य से प्रत्येक सम्पति का मूल्यांकन अलग-अलग की जानी चाहिए। लेकिन निष्पादकों द्वारा दो या दो से अधिक विक्रेताओं की सम्पत्तियों को एक साथ एकत्र कर दस्तावेज तैयार किया गया जिससे प्रत्येक दस्तावेज में क्षेत्रफल निर्धारित सीमा 0.243 हेक्टेयर से अधिक हो गयी और दस्तावेज का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया गया।

अनुमोदित मार्गदर्शिका के अनुसार, इन दस्तावेजों में सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 2.85 करोड़ था जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 22.99 लाख और पंजीयन फीस ₹ 2.29 लाख आरोपणीय थी। इसके विपरीत, उपपंजीयक द्वारा सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 84.48 लाख मूल्यांकित किया गया जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 6.64 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 68,164 आरोपित किया गया। परिणामस्वरूप, सम्पत्ति का ₹ 2.01 करोड़ न्यून मूल्यांकन हुआ और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 17.96 लाख[8] का कम आरोपण हुआ।

शासन/विभाग को हमारे द्वारा इंगित (मई 2012) किए जाने के पश्चात, शासन ने कहा (अगस्त 2012) कि प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को भेजा गया है जो निर्णय हेतु लंबित है।

8 स्लैब दर से गणना किए जाने पर

चौथा-अध्यायः भू-राजस्व

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 1.04 करोड़ के उल्लेखित प्रकरण प्रस्तुत किए हैं जो हमारी अभिलेखों की नमूना जांच में पाए गए प्रेक्षणों से लिए गए हैं जो शहरी स्थानीय निकाय की नजूल भूमि पर भू-भाटक और प्रब्याजी का कम आरोपण और भू-भाटक और प्रब्याजी का कम आरोपण से संबंधित हैं।
कर संग्रहण में वृद्वि	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से क्रमशः 259.49 प्रतिशत, 32.67 प्रतिशत, 45.51 प्रतिशत और 8.22 प्रतिशत अधिक थी।
आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव	विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प.श.) का गठन नहीं किया गया है। आं.ले.प.श. के अभाव में विभाग बकाया की वसूली, नियमित मांग सृजित करना, इत्यादि हेतु पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने में असफल रहा।
हमारा निष्कर्ष	विभाग के लिए यह आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करें ताकि प्रणाली की कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लाई गई कमियों को दूर किया जा सके।

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व विभाग राजस्व का संग्रहण कृषि और वाणिज्यिक फसलों पर कर, भूमि विकास कर, ग्रामीण विकास कर, पर्यावरण एवं विकास उपकर, शाला भवन उपकर, प्रब्याजी और भाटक, भूमि के व्यपवर्तन पर कर, भू-भाटक और शास्तियों इत्यादि के रूप में करता है। शासकीय देय बकायादारों से राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.प.) जारी करके वसूल की जाती है। तहसीलदारों की बकायादारों से शासकीय देय वसूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विभाग निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों और संहिताओं का पालन करता है:-

- भू-राजस्व संहिता 1959;
- छत्तीसगढ़ लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988;
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (रा.पु.प.) खण्ड I से VI एवं
- छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005

शासन स्तर पर भू-राजस्व विभाग का प्रमुख, प्रमुख सचिव होता है। इनकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख (आ.बं.भू.अभि.) तथा चार संभागीय आयुक्त (सं.आ.) होते हैं, संभागों के अंतर्गत शामिल जिलों के उपर संभागीय आयुक्त, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक जिले में, विभाग की गतिविधियों को कलेक्टर प्रशासित करता है। जिले में एक या अधिक सहायक कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/जिले के उप संभागों के प्रभारी/डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर को सहायता प्रदान करते हैं।

4.2 भू-राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान भू-राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों सहित कुल कर प्राप्तियाँ उक्त अवधि के दौरान निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अंतर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	96.76	88.12	(-) 8.64	(-) 8.93	5618.08	1.57
2008-09	100.00	359.49	(+) 259.49	259.49	6593.72	5.45
2009-10	120.36	159.68	(+) 39.32	32.67	7123.25	2.24
2010-11	170.00	247.37	(+) 77.37	45.51	9005.14	2.75
2011-12	250.00	270.56	(+) 20.56	8.22	10712.25	2.53

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान भू-राजस्व की प्राप्तियां कुल कर प्राप्तियों की 1.57 और 5.45 प्रतिशत के मध्य रही। उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 में वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से 8.93 प्रतिशत कम थी। जबकि वर्ष 2008-09,

2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः 259.49 प्रतिशत, 32.67 प्रतिशत, 45.51 प्रतिशत आधिक्य था, जो त्रुटि पूर्ण बजट को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने ₹ 250 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया था जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दी। वर्ष के दौरान विभाग की वास्तविक प्राप्तियां ₹ 270.56 करोड़ थी, जिसमें कि बजट अनुमान से 8.22 प्रतिशत की वृद्धि थी।

हमारे निवेदन करने (सितम्बर 2012) के बावजूद विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों में अंतर का कारण उपलब्ध नहीं कराया।

4.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 31 मार्च 2012 की स्थिति में ₹ 23.17 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 14.69 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था। अवधि 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान राजस्व बकाया का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2007-08	14.69	9.52
2008-09	9.52	11.85
2009-10	11.85	37.37
2010-11	37.37	34.52
2011-12	34.52	23.17*

(स्रोत- कार्यालय, आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर)

** राज्य के 27 जिलों में से 14 जिलों[1] के संदर्भ में दी गयी जानकारी पर आधारित।*

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.शा.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील हैं। कर्मचारी वर्ग की कमी के कारण विभाग में आ.ले.प.शा. की स्थापना नहीं की गई और इससे 2011-12 में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि शासन को विभाग में आं.ले.प.शा. की स्थापना पर विचार करना चाहिए जिससे राजस्व का कम/अवसूली, रिसाव इत्यादि को रोका जा सके।

[1] बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कांकेर, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा एवं सुकुमा।

4.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 14,635 प्रकरणों में प्रक्रिया फीस, प्रब्याजी, शास्ति इत्यादि की अवसूली जिसमें राजस्व ₹ 135.13 करोड़ सन्निहित था को इंगित किया गया। इनमें से 10,726 प्रकरणों में ₹ 105.23 करोड़ सन्निहित थे, के लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग/शासन द्वारा स्वीकार किए गए। निम्न तालिका में विस्तृत विवरण दर्शाया गया हैः

(₹ लाख में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	16	219	931.13	201	539.13
2007-08	24	2,721	2,570.00	2,700	2,516.00
2008-09	24	3,616	6,023.00	2,566	4,147.92
2009-10	20	4,037	2,744.00	3,099	2,710.00
2010-11	19	4,042	1,244.41	2,160	610.13
योग		**14,635**	**13,512.54**	**10,726**	**10,523.18**

4.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा कर का अनारोपण/कम आरोपण शास्ति इत्यादि पर राशि ₹ 13.87 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभाग द्वारा ₹ 2.78 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया जिसमें से ₹ 2.63 करोड़ राशि वसूल की गई, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

क्रं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	कुल राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2012 तक की गई वसूली
1	2007-08	0.07	निरंक	निरंक
2	2008-09	2.23	0.05	2.23
3	2009-10	0.71	0.65	0.40
4	2010-11	10.86	2.08	निरंक
योग		**13.87**	**2.78**	**2.63**

4.6 लेखापरीक्षा[2] परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 38 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की और भू-राजस्व और प्रब्याजी की वसूली न होना, प्रक्रिया फीस की

[2] वर्ष के दौरान 38 इकाईयों की लेखापरीक्षा खोजें जिसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 की निष्पादन लेखापरीक्षा, "भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण" में शामिल किया गया है।

अवसूली/कम वसूली, उपकर का अनारोपण/अप्राप्ति इत्यादि के ₹ 47.55 करोड़ के 11962 प्रकरण पाए गए जिसे निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	भू-राजस्व और प्रब्याजी की वसूली न होना	7,659	18.35
2.	उपकर का अनारोपण/अवसूली	656	2.50
3.	प्रक्रिया फीस की अवसूली/कम वसूली	770	2.18
4.	रा.व.प्र.प. के निर्गम में विलम्ब	658	5.21
5.	अन्य अनियमितताएं	2,219	19.31
	योग	**11,962**	**47.55**

हमारे द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान, भू-भाटक और प्रब्याजी की वसूली न होना, प्रक्रिया फीस का अनारोपण/कम आरोपण, उपकर का अनारोपण/अवसूली, रा.व.प्रा.प. के निर्गम में विलम्ब इत्यादि के इंगित 2,981 प्रकरणों में जो ₹ 26 करोड़ थी, को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। इनके विपरीत विभाग द्वारा एक मामले में केवल ₹ 0.29 लाख की वसूली की जा सकी।

कुछ उल्लेखित मामले जिनमें ₹ 1.04 करोड़ समाहित है, को निम्न कंडिकाओं में दर्शाया गया है:

4.7 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमारे द्वारा भू-राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की जांच में भू-राजस्व और प्रब्याजी का कम आरोपण पाया गया, जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। यह उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। इस प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा में प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है लेकिन ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती है, बल्कि लेखापरीक्षा सम्पादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। शासन के लिए यह आवश्यक है कि, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए एवं आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की जाए जिससे इन त्रुटियों को टाला, पता लगाया तथा सुधारा जा सके।

4.8 शहरी स्थानीय निकाय की नजूल[3] भूमि पर भू-भाटक और प्रब्याजी का कम आरोपण

> राजस्व पुस्तक परिपत्र (रा.पु.प.) खंड-(IV) क्रमांक 2 की कंडिका 26 के अनुसार व्यवसायिक प्रयोजन के लिए स्थानीय निकाय के अधिपत्य में स्थित नजूल भूमि पर प्रब्याजी भूमि के बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत और भू-भाटक प्रब्याजी का 7.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है।

कार्यालय कलेक्टर कांकेर के नजूल अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2009) में हमने पाया कि 46,784 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम कांकेर के अधिपत्य में थी। इसी में से नगर निगम कांकेर ने वर्ष 2007-08 में 1913.45 वर्ग मीटर भूमि पर व्यावसायिक परिसर का निर्माण कर इससे नियमित रूप से आय प्राप्त कर रही है। चूँकि यह भूमि व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जा रही है, इस पर अप्रैल 2007 से मार्च 2009 तक की प्रब्याजी एवं भू-भाटक क्रमशः ₹ 51.94 लाख एवं ₹ 7.79 लाख आरोपणीय थी। (**परिशिष्ट-4.1** में दर्शाये अनुसार)

हमारे द्वारा विभाग एवं शासन को इंगित (जून 2012) करने पर कलेक्टर कांकेर ने बताया कि (दिसम्बर 2012) प्रब्याजी एवं भू-भाटक का आरोपण कृषि भूमि के व्यपवर्तन दर के आधार पर किया गया एवं पट्टेदार द्वारा अप्रैल 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए प्रब्याजी राशि ₹ 11,481 एवं भूभाटक राशि ₹ 4,210 को मई 2010 में जमा किया गया।

उत्तर रा.पु.प. के अनुरूप नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा कृषि भूमि के व्यपवर्तन के दर से कर का आरोपण किया गया है न कि नजूल भूमि के लिए अतः प्रब्याजी ₹ 51.83 लाख तथा भू-भाटक ₹ 7.75 लाख का कम आरोपण हुआ।

4.9 प्रब्याजी एवं भू-भाटक का कम आरोपण

> राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड (IV) की कंडिका 23 के अनुसार नजूल भूमि के लिए भूमि की कीमत का निर्धारण पंजीकरण हेतु अनुमोदित मार्गदर्शक दर या संशोधित न्यूनतम दर जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

छत्तीसगढ सरकार के आदेश[4] दिनांक 25.02.2009 के अनुसार ग्राम लाखोली, गुजरा और देवदा में 30.63 हेक्टेयर भूमि तेल कंटेनर डिपो के लिए एक पट्टेदार इंडियन ऑइल टेनिकिन लिमिटेड को इस शर्त के साथ आवंटित किया गया था कि प्रब्याजी जो भूमि की कीमत के बराबर और निर्धारित प्रब्याजी का 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक जमा किया जाएगा। तहसीलदार आरंग के भूमि आवंटन प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच में हमने पाया (मई 2010) कि पट्टेदार को देवदा गांव में 10.66 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी (फरवरी 2009)। चूँकि उक्त भूमि मुख्य मार्ग से लगी हुई थी, भूमि की कीमत

3 नजूल भूमि का अभिप्राय ऐसी भूमि से है जिसका कृषि के लिए महत्व न हो।

4 क्र.-एफ-4-136/7-1/08

2008-09 के मार्गदर्शक दरों के अनुरूप मुख्य मार्ग से लगी हुई भूमि के लिए ₹ आठ लाख प्रति हेक्टेयर थी। तदनुसार, प्रब्याजी राशि ₹ 85.28[5] लाख भूमि की कीमत के बराबर तथा भू-भाटक प्रब्याजी के 7.5 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 6.40 लाख आरोपणीय थी। इस के विरूद्ध कलेक्टर ने भूमि को मुख्य मार्ग से दूर माना और तदनुसार भूमि का मूल्यांकन ₹ 4.10 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से किया और प्रब्याजी ₹ 43.71[6] लाख और भू-भाटक ₹ 3.28 लाख वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप प्रब्याजी और भू-भाटक क्रमशः ₹ 41.57 और ₹ 3.12 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमने शासन/विभाग को उनके अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2012); हमे उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2013)।

---

5 10.66 हेक्टेयर * ₹ 8 लाख प्रति हेक्टेयर

6 10.66 हेक्टेयर * ₹ 4.10 लाख प्रति हेक्टेयर

पाँचवां अध्याय - वाहनों पर कर

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है	इस अध्याय में हमने परिवहन विभाग में ₹ 17.89 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणो को प्रस्तुत किया है जिसे हमने अभिलेखो की नमूना जाँच के दौरान पाया। हमने परिवहन विभाग में मालयान एवं यात्रीयान के स्वामियों से कर एवं शास्ति की अवसूली, व्यवसायियों पर ट्रेड फीस का अनारोपण/कम आरोपण, गलत बैठक क्षमता आवंटित करने के कारण वाहन कर का कम आरोपण, प्रवेश कर का संदाय किए बिना वाहनो का पंजीयन एवं व्यापार कर का कम आरोपण से संबंधित बहुत से उदाहरण पाया है।
कर संग्रहण में वृद्धि	यद्दपि वास्तविक प्राप्तियाँ में 2007-08 में 6.75 प्रतिशत तथा 2008-09 में 0.55 प्रतिशत गिरावट थी लेकिन वही 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में इनमे क्रमशः 0.12 प्रतिशत, 4.27 प्रतिशत एवं 5.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य प्राप्त नही किया जाना	वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा 16 ईकाईयाँ आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु चयनित की गयी जिसमे से केवल 06 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई।
2011-12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	हमने वर्ष 2011-12 में परिवहन विभाग से संबंधित नौ ईकाईयों की अभिलेखो की नमूना जाँच की एवं 2,423 प्रकरणों में ₹ 22.13 करोड़ के वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण, ट्रेड टैक्स एवं ट्रेड फीस के कम आरोपण से राजस्व हानि का पता लगाया। विभाग ने 2,282 प्रकरणों में ₹ 19.06 करोड़ के वाहनों पर कर का अनारोपण, राजस्व हानि एवं अन्य अनियमित्ताओं को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को अपने आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रणाली में व्याप्त कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लायी गयी कमियों का भविष्य में टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित किये गये कर की अवसूली, कम आरोपण इत्यादि को वसूल करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, विशेष रूप से उन प्रकरणो में, जिनमें हमारी आपत्तियों को मान्य किया गया है।

5.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों में से एक है। राज्य में वाहनो पर कर का आरोपण एवं संग्रहण छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम,1991 और प्रावधानों के अन्तर्गत समय-समय पर इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। व्यापार कर के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, अन्य फीस जैसे पंजीयन फीस, फिटनेस फीस और अनुज्ञा फीस, मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार आरोपणीय है। समय पर करों के भुगतान न होने की स्थिति में निर्धारित दर से शास्ति और ब्याज भी आरोपणीय है। गैर परिवहन यानों के प्रकरण में कर की प्राप्ति जीवनकाल कर के रूप में एकमुश्त जबकि परिवहन यानों से कर और अतिरिक्त कर उक्त अधिनियम में विहित दरों से मासिक/त्रैमासिक रूप में किया जाता है।

विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमो का अनुसरण करता है:-

- मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो. या. अधिनियम);
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (के. मो. या. नियम);
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम (छ. ग. मो. या. क. अ.)1991 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम; और
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम,1994

मोटरयानों पर कर के उदग्रहण का प्रशासन, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प. आ.) द्वारा किया जाता है जिन्हे मुख्यालय स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक अति प. आ., एक संयुक्त प. आ., एक सहायक प. आ. एवं एक उप संचालक (उ.सं.वि.) होते है। इसके अतिरिक्त तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी(क्षे. प. अ.), तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.(अति. क्षे. प. अ.),दस जिला परिवहन अधिकारी (जि. प. अ.),परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते है। इसके अतिरिक्त पंद्रह चेक पोस्ट एवं दो उप चेक पोस्ट संबंधित क्षे. प. अ./ अति. क्षे. प. अ./ जि. प. अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में रहते है।

5.2 वाहनों पर कर से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ उस अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर कमी (-)/ अधिक (+)	अंतर का प्रतिशत (कॉलम 2 से 3)	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	297.00	276.94	(-) 20.06	(-) 6.75	5618.08	4.93
2008-09	315.50	313.78	(-) 1.72	(-) 0.55	6593.72	4.76
2009-10	351.47	351.88	(+) 0.41	0.12	7123.25	4.94
2010-11	410.00	427.52	(+) 17.52	4.27	9005.14	4.75
2011-12	475.00	502.18	(+) 27.18	5.72	10712.25	4.69

(स्रोत:- छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

हमने पाया कि वर्ष 2011-12 के दौरान वित्त विभाग ने परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित किये गये ₹ 465.87 करोड़ के विरूद्ध ₹ 475.00 करोड़ के प्रस्ताव को सहमति दी।

वर्ष 2011-12 के दौरान परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण जीवनकाल कर की दरों में वृद्धि एवं विभाग द्वारा वसूली हेतु किये गये अतिरिक्त प्रयासों को दिया।

5.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 की स्थिति में ₹ 9.50 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 4.15 करोड़ का बकाया पाँच वर्षो से अधिक समय से था। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के बकाया राजस्व की स्थिति प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	बकायों का अंतशेष
2007-08	4.15	3.92
2008-09	3.92	4.01
2009-10	4.01	8.57
2010-11	8.57	14.65
2011-12	14.65	9.50

(स्रोत :- परिवहन विभाग द्वारा दिये गये आकड़ें)

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी संगठन का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.प.शा.) आंतरिक नियंत्रण संरचना का महत्वपूर्ण भाग होता है एवं इसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में दो वरिष्ठ लेखापरीक्षको एवं चार कनिष्ठ लेखा परीक्षको की स्वीकृत पदो के विरूद्ध दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं दो सहायक ग्रेड पदस्थापित थे। आगे विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार यद्दपि विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 16 ईकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई थी तथापि केवल छह ईकाईयों की ही लेखापरीक्षा वर्ष भर के दौरान हो पायी। ₹ 1.27 करोड़ राशि के 35 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ उठाई गयी एवं आ. ले. प. शा. द्वारा संबंधित ईकाईयों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि आ.ले.प.शा. के स्टाफ को भी मुख्यालय पर महालेखाकार से प्राप्त पत्रों का निस्तारण एवं लोक लेखा समिति से प्राप्त कंडिकाओं के निराकरण हेतु संबद्द किया गया था। अतः लेखा परीक्षा हेतु चयनित सभी ईकाईयाँ पूरी नहीं जी जा सकी। आगे यह भी कहा गया कि शेष ईकाईयों की लेखा परीक्षा शीध्र पूरी कर ली जावेगी। इसी संदर्भ मे यह कहा गया कि आ. ले. प. शाखा द्वारा उठाई गयी

कुल आपत्ति में से ₹ 2.37 लाख की वसूली भी एक इकाई द्वारा की गयी (दिसम्बर 2012 तक)।

हम सुझाव देते है कि विभाग नियमित रूप से लेखा परीक्षा करने के लिए अतिरिक्त मानव क्षमता को नियुक्त करें।

5.5 संग्रहण की लागत

सकल संग्रहण पर व्यय के संसगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान यान पर कर का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं पूर्व वर्षो के सकल संग्रहण पर किए गए व्यय निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009-10	351.88	7.39	2.10	2.93
2010-11	427.52	7.93	1.85	3.07
2011-12	502.18	10.00	1.99	3.71

(स्रोतः- छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

हमने पाया कि वर्ष भर के दौरान विभाग द्वारा संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता में विचलन था। यद्दपि 2009-10 की तुलना में 2010-11 में विभाग की संग्रहण की लागत घट गयी थी परन्तु वही पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में बढ़ गयी थी। लेकिन संग्रहण की लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से तुलना करने पर कम ही था,जिसकी सराहना की जाती है।

5.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.6.1 - निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (नि प्र): वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान हमने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर और शास्ति की अवसूली,कर का अनारोपण और राजस्व हानि के ₹ 39.27 करोड के 4161 प्रकरणों को इंगित किया था, जिसमें से शासन ने ₹ 16.36 करोड़ के 2467 प्रकरणों को मान्य किया। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	2	15	3.10	12	2.89
2007-08	7	1686	14.18	1051	7.61
2008-09	8	1758	11.89	746	3.89
2009-10	11	345	6.85	344	0.89
2010-11	3	357	3.25	314	1.08
योग		**4161**	**39.27**	**2467**	**16.36**

5.6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति : वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹ 17.69 करोड़ की कर और शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण,से संबंधित प्रकरण इंगित किये थे। विभाग ने इनमें से ₹ 11.10 करोड़ के आपत्तियाँ स्वीकार कर ₹ 2.13 करोड़ की वसूली (मार्च 2012 तक) की, जो निम्न तालिका में दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2012 तक वसूल की राशि
2006-07	1.27	1.27	0.30
2007-08	6.69	3.58	0.96
2008-09	3.48	0.12	0.29
2009-10	5.95	5.86	0.58
2010-11	0.30	0.27	निरंक
योग	**17.69**	**11.10**	**2.13**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाये गये स्वीकार्य प्रकरणों में विभाग द्वारा केवल 19.19 प्रतिशत की वसूली की गयी थी।

5.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने परिवहन विभाग के नौ ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में वर्ष 2011-12 के दौरान मोटरयान कर एवं शास्ति की अ/कम वसूली, कर का अनारोपण एवं राजस्व की हानि, व्यापार कर एवं शुल्क का कम आरोपण राशि ₹ 22.13 करोड़ के 2423 प्रकरणों को इंगित किया, जिन्हे मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	व्यापार कर की कम वसूली	517	9.09
2.	कर एवं शास्ति की अवसूली	1493	10.59
3.	अन्य अनियमितताएं	413	2.45
योग		**2423**	**22.13**

2011-12 के दौरान विभाग ने 2282 प्रकरणो में वाहनों पर कर के अनारोपण,राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताओं ₹ 19.06 करोड़ को स्वीकार किया।

₹ 17.89 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे कंडिकाओं में वर्णित है।

5.8 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने कई परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की एवं अधिनियम/ नियम/ शासकीय अधिसूचनाएं/ निर्देशों के पालन न होने से कर के अनारोपण/ कम आरोपण के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित है। ये

उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित है। जो विभागीय कार्यवाही में कमियों को दर्शाता है। यद्धपि हम प्रत्येक वर्ष परिवहन अधिकारियों द्वारा विस्मृत समान प्रकरण को उठाते है लेकिन अनियमितताएं न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा के होने तक संज्ञान में नहीं आती। अतः शासन को इस प्रकार की अनियमितता का दोहराव न होने देने के लिए नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने की आवश्यकता है।

5.9 व्यवसायियों से व्यापार फीस की कम/अवसूली

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 33 के अनुसार किसी व्यवसायी के कब्जे में रखा मोटरयान पंजीयन की अनिवार्यता से इस शर्त पर छूट प्राप्त होगा कि वह अपने व्यवसाय क्षेत्र की अधिकारिता सीमा के भीतर स्थित पंजीयन प्राधिकारी से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। नियम 39 के अनुसार एक व्यापार पंजीयन चिन्ह को एक समय में एक से ज्यादा वाहनो पर अथवा उस श्रेणी से भिन्न जिसके लिए व्यापार प्रमाण् पत्र दिया गया है उपयोग नहीं किया जा सकता। आगे नियम 34 (1) के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र के नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन के साथ नियम 81 में वर्णित फीस भी संलग्न होनी चाहिए।

तीन[1] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, दो[2] अति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों एवं जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद के पंजीयन अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2011 से फरवरी 2012 के बीच) में हमने पाया कि 2008-09 से 2010-11 के बीच 286 व्यवसायियों द्वारा 4,59,832 मोटर साइकल/मोपेड़ एवं 1,07,355 अन्य वाहन पंजीकृत किए गए। नियमानुसार इन वाहनों से ₹ 4.44 करोड़ ट्रेड फीस वसूलनीय थी (***परिशिष्ट 5.1*** में दर्शित)। यद्दपि दो[3] परिवहन अधिकारियों द्वारा ₹ 1.82 करोड़ की जगह केवल ₹ 1.41 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया। बाकी चार[4] परिवहन अधिकारियों द्वारा 3,30,988 वाहनो से कोई ट्रेड फीस न तो आरोपित और न ही वसूल किया गया। इसके चलते ₹ 4.43 करोड़[5] की ट्रेड फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

हमने शासन/विभाग को यह प्रकरण सूचित (मार्च 2012 से मई 2012) किया तो विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ₹ 9.37 लाख की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

---

[1] अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर

[2] दुर्ग एवं राजनांदगाँव

[3] बिलासपुर एवं दुर्ग

[4] अम्बिकापुर, महासमुंद, रायपुर एवं राजनांदगाँव

[5] ट्रेड फीस का अनारोपण- ₹ 2.63 करोड़, ट्रेड फीस का कम आरोपण- ₹ 1.80 करोड़

5.10.1 यात्री यान एवं मालयान के स्वामियों से कर की अवसूली

छ. ग. मो. क. अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के अनुसार वाहन जो कि राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग हेतु रखे गये है पर प्रथम अनुसूची में उल्लेखित दर के अनुसार कर आरोपित किया जावेगा। यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिये कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किंतु रकम से अनाधिक ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार अधिरोपित की गई है। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान अधिकारी को चाहिए की मांग पत्र जारी करके राशि को भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करें। संदर्भित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी किसी निश्चित समयावधि के लिए अपने वाहन को आफ रोड रखना चाहता है तो उसे वह समयावधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारूप ट में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है।

दस[6] परिवहन कार्यालयों के कर रजिस्टर की नमूना जाँच (अक्टूबर 2010 से सितम्बर 2011) में पाया गया कि यद्दपि 718 मालयानो, 233 मैक्सी केब एवं 527 यात्रीयानो के स्वामियों ने अवधि अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2011 के बीच का पथ कर ₹ 9.09 करोड़ (**परिशिष्ट 5.2** में दर्शित) संदाय नहीं किया। इन वाहन के स्वामियों द्वारा आफ रोड घोषणापत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद परिवहन अधिकारियों ने इन डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए। इसके चलते ₹ 9.09 करोड़ का कर वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, असंदत रकम पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मार्च 2012 से मई 2012 के बीच)। उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2012) कि ₹ 17.22 लाख की वसूली पहले ही की जा चुकी है एवं पाँच परिवहन अधिकारियों (अम्बिकापुर, धमतरी, कवर्धा, कोरिया एवं राजनांदगाँव) द्वारा ₹ 19.79 लाख की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किए जा चुक है। अन्य पाँच परिवहन अधिकारियों के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2012)।

5.10.2 मंजिली गाड़ी परमिट पर प्रचालित वाहनो से वाहन कर की कम वसूली

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर के करारोपण रजिस्टर की नमूना जाँच (जुलाई 2011) में हमने पाया कि मंजिली गाड़ी परमिट पर प्रचालित आठ वाहनों के वाहन स्वामियों से ₹ 17.45 लाख (अप्रैल 2010 से मार्च 2011) वाहन कर के रूप में बकाया था। इसके विपरीत केवल ₹ 12.22 लाख ही क्षे. प. अ. द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किया गया एवं

[6] क्षे. प. अ. अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर, अति क्षे प अ दुर्ग एवं राजनांदगाँव, जि. प. अ. धमतरी, जांजगीर, कवर्धा, कोरिया एवं महासमुंद

शेष राशि ₹ 5.23 लाख वसूलने के कोई प्रयास नहीं किए गए (***परिशिष्ट 5.3*** में दर्शित)। इसके चलते ₹ 5.23 लाख के कर का कम वसूली हुआ। इसके अतिरिक्त असंदायित रकम पर अधिनियम की धारा 13 के अधीन शास्ति ₹ 5.23 लाख भी आरोपणीय था।

हमने विभाग/शासन को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित (अप्रैल 2012) किया। विभाग ने कहा (मई 2012) कि मांग पत्र जारी किए जा चुके है।

5.11 बैठक क्षमता की गलत गणना से वाहन कर का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994, के नियम 158 के उप नियम 3 के अनुसार किसी मंजिली गाड़ी जिसका व्हील बेस 166 इंच (4200 एम एम) हो, की बैठक क्षमता 46 सीट से कम नहीं होगी । मंजिली गाड़ी पर कर का आरोपण उसकी बैठक क्षमता एवं तय की गयी दूरी पर आधारित होता है।

हमने दो[7] क्षे. प. अधिकारियों के पंजीयन अभिलेखों की जाँच में पाया (जुलाई से सितम्बर 2011) कि चार यात्री वाहन क्षे प अ द्वारा 32 एवं 41 बैठक क्षमता के साथ पंजीकृत किये गये (मार्च 2010 से जनवरी 2011 के बीच) जबकि वाहनों का व्हील बेस 166 इंच था। इसके चलते कर के रूप में वाहन स्वामियों पर ₹ 3.46 लाख[8] का कम आरोपण हुआ।

हमने विभाग/शासन के उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित (जून 2012) किया। विभाग ने उत्तर (सितम्बर 2012) में कहा कि छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994, के नियम नियम 158 के उप नियम 3 में संशोधन हेतु एक अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें तीन श्रेणी के व्हील बेस को नौ श्रेणी के व्हील बेस से प्रतिस्थापित किया गया है एवं लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए रकम को वसूलने के प्रयास किए जा रहे है।

---

7 बिलासपुर एवं रायपुर

8

वाहन क्र.	सीट की हानि	प्रति सीट कर का आरोपण (₹ में)	परमिट माह (12 माह * 5वर्ष)	राशि (₹ में)
CG 04 E - 2126	5	160	60	4800
CG 04 E - 2120	5	160	60	4800
CG 10 G - 0774	14	160	60	134400
CG 10 G - 0756	12	160	60	115200
योग				345600

5.12 प्रवेश कर का संदाय किए बिना वाहनों का पंजीयन

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976, की धारा 3-A एवं अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 1999 एवं 2 अप्रैल 2007 के अनुसार 10 प्रतिशत का प्रवेश कर उस वाहन स्वामी पर आरोपणीय होगा जो अन्य राज्य से वाहन खरीद कर छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं के उपयोग के लिए लाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त 2002 द्वारा क्षे.प.अ. को उनकी अधिकारिता सीमा के भीतर वाहनों पर उक्त अधिनियम की धारा 3-A के प्रावधानों को लागू करने हेतु अधिकृत किया है।

जिला परिवहन अधिकारी, कांकेर के पंजीयन प्रकरणो की जाँच (मार्च 2012) में हमने पाया कि अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2011 के बीच 10 वाहन (***परिशिष्ट 4.5*** में दर्शित) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से स्वंय के उपयोग के लिए खरीदे गये थे। अप्रैल 1999 एवं अप्रैल 2007 के अधिसूचना के अनुसार पंजीयन के पहले इन वाहनों के स्वामियों पर ₹ 6.13 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। तथापि जि.प.अधिकारी कांकेर द्वारा इन वाहनों को बिना कर का संदाय किए पंजीकृत किया गया। जि. प. अ. कांकेर द्वारा न तो नियमानुसार प्रवेश कर संग्रहित किया गया और न ही वाणिज्य कर विभाग से कर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इसके कारण ₹ 6.13 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

हमने विभाग/शासन के उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित (जून 2012) किया। विभाग ने उत्तर (अगस्त 2012) दिया कि संबंधित जि. प. अ. को प्रवेश कर के अनारोपण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

5.13 व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स की कम वसूली

छ. ग. मो. या. क. अधिनियम की धारा 4 सहपठित के. मो. या. नियम, के नियम 33 के अनुसार व्यवसायियों जिसे मोटर यान अधिनियम,1988 के अधीन व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह अपने व्यापार के अनुक्रम में अपने कब्जे में रखे वाहनों के संदर्भ में ट्रेड टैक्स का संदाय करेंगा। आगे छ. ग. मो. या. क. अधिनियम की तृतीय अनुसूची में व्यवसायियों के कब्जे में उसके व्यापार के अनुक्रम में रखे प्रथम सात वाहन एवं अतिरिक्त सात वाहन के लाट के लिए ट्रेड टैक्स की दर निर्धारित है।

के. मो. या. नियम 1989 के नियम 43 (1) के अनुसार व्यवसाय प्रमाण पत्र के प्रत्येक धारक को दोहरी प्रति में एक रजिस्टर फार्म 19 का संधारण करना होगा जोकि एक सजिल्द पुस्तक होगी एवं पन्ने एक क्रम से होंगे। आगे नियम 43 के उप नियम 3 के अनुसार रजिस्टर और दोहरी प्रति पंजीयन प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

सात[9] परिवहन अधिकारियों के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2010 से फरवरी 2012 के बीच) में पाया गया कि 336 व्यवसायियों ने अपने संबंधित परिवहन अधिकारियों से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तथापि हमने पाया कि परिवहन अधिकारियों के पास व्यवसायियों के कब्जे में रखे वाहनो के संबंध में कोई अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा था, इसके चलते व्यवसायियों के पास रखे वाहनो की वास्तविक संख्या निश्चित नहीं की जा सकता है। लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल 2008 से सितम्बर 2011) विभिन्न श्रेणी के 230686 वाहन (***परिशिष्ट 5.5*** में दर्शित) पंजीकृत किए गए। परिवहन अधिकारियों द्वारा किए गए पंजीयन के आधार पर व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स ₹ 4.22 करोड़ वसूलनीय था। इसके विपरीत केवल ₹ 5.05 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया। अतः पंजीयन अधिकारियों द्वारा फार्म 19 में संधारित रजिस्टर की जाँच करने में हुई विफलता के कारण व्यवसायियों से ₹ 4.17 करोड़ का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (जून 2012)। उत्तर में विभाग ने कहा (सितम्बर 2012) कि ट्रेड टैक्स की वसूली हेतु एक अधिसूचना जारी की गयी है। आगे विभाग ने ₹ 22.63 लाख की ट्रेड टैक्स की वसूली की है (दिसम्बर 2012)

हम यह अनुशंसा करते हैं कि विभाग व्यवसायी द्वारा विक्रीत वाहनो का विवरणी/ विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में क्षे प अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु जोर देवे ताकि ट्रेड टैक्स में कम वसूली को रोका जा सके।

9 क्षे प अ अम्बिकापुर, बिलासपुर, एवं रायपुर, अति क्षे प अ दुर्ग, जि प का धमतरी, कवर्धा एवं महासमुंद

छठवाँ अध्यायः अन्य कर प्राप्तियाँ

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है	हमने इस अध्याय में 'विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में पाये गये राशि ₹1,186.17 करोड़ के परिणाम को प्रस्तुत किया है। देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध न रखने के बावजूद ₹ 5.51 करोड़ के शास्ति के अनारोपण संबंधी एक प्रकरण भी हमने प्रस्तुत किया।
कर संग्रहण में वृद्धि	वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान विद्युत पर कर एवं शुल्क की प्राप्तियाँ बजट अनुमान से कम थी जबकि वर्ष 2011-12 में उसमें बजट अनुमान से 6.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियाँ बजट अनुमान से अधिक रही। वर्ष 2011-12 के दौरान, बजट अनुमान से 3.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
आंतरिक लेखापरीक्षा को महत्व नहीं दिया जाना	ऊर्जा विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग कार्यरत नहीं था। वर्ष 2011-12 के दौरान आबकारी विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा के लिए योजना तैयार नहीं की गई थी, यद्यपि विभाग एक संयुक्त संचालक एवं एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पद के साथ कार्य कर रहा था।
पूर्व वर्षों में हमारे द्वारा इंगित प्रेक्षण	वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान आबकारी विभाग की लेखापरीक्षा में हमारे निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा शुल्क की अवसूली, अनुज्ञप्ति फीस की कम वसूली, शास्ति की अवसूली, मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली के 3928 प्रकरणों में ₹ 121.67 करोड़ की राजस्व हानि को इंगित किया गया। विभाग/शासन ने 2,534 प्रकरणों में ₹ 33.69 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया।
हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम	हमने मार्च 2012 से जून 2012 के मध्य 'विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित की। जिसमें शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, विद्युत शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट एवं विद्युत शुल्क की अनियमित वापसी के प्रकरण पाये गये जिसमें 1,186.17 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित था। ऊर्जा विभाग ने इसे मान्य करते हुए ₹1,090.76 करोड़ की वसूली हेतु मांग पत्र प्रेषित किये

	जिसमें से राशि ₹ 12.86 करोड़ की वसूली की गई। हमारे द्वारा वर्ष 2011-12 के मध्य राज्य आबकारी विभाग के छः कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच की गई एवं 587 प्रकरणों में ₹ 13.92 करोड़ शुल्क के अवसूली, शास्ति के अनारोपण, अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली, मनोरंजन शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण इत्यादि पाया गया। विभाग के द्वारा 82 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 8.28 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवनिर्धारण, अनुज्ञप्ति फीस, शुल्क इत्यादि स्वीकार किया गया परंतु कोई वसूली नहीं की गई।
निष्कर्ष	ऊर्जा विभाग की लेखापरीक्षा में हमने देखा कि, विद्युत शक्ति के उत्पादक/वितरक द्वारा जमा किये जा रहे विवरणों की समीक्षा की कमी के वजह से शुल्क के अभुगतान/कम भुगतान के प्रकरणों का पता लगाने में विभाग असफल रहा। उद्योग विभाग एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक के मध्य समन्वय की कमी के कारण छूट के पात्रता की जांच किये वगैर छूट जारी की गई। विभाग 125 केव्हीए तक के विद्युत उत्पादकों का अभिलेख संधारित नहीं करने तथा उनके द्वारा विवरणी प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उनका निरीक्षण करने में असमर्थ रहा। इसके अलावा विभाग अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर उपभोक्ताओं पर दो भिन्न-भिन्न जगह पर लगने वाले उपकर से बचाने में असफल रहा तथा विभिन्न अधिसूचना/नीति के एक साथ प्रभावी रहने से अयोग्य कंपनी की छूट प्रदान करता रहा। आबकारी विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को क्रियाशील बनायें एवं नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा करे, ताकि भविष्य में हमारे द्वारा इंगित कमियों को टाला जा सके। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि विभाग लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ करने विशेष कर स्वीकृत प्रकरणों में वसूली पर विचार करे।

अः विद्युत पर कर एवं शुल्क

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने मार्च 2012 से जून 2012 के मध्य 'विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित की। जिसमें शुल्क के अनारोपण/कम आरापेण, विद्युत शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट एवं विद्युत शुल्क की अनियमित वापसी के प्रकरण पाये गये जिसमें राशि ₹1186.17 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसे अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या/ लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	राशि
1	**विद्युत शुल्क के आरापेण एवं संग्रहण (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)**	**1/4**	**1186.17**

ऊर्जा विभाग ने इसे मान्य करते हुए ₹1,090.76 करोड़ की वसूली हेतु मांग पत्र प्रेषित किए जिसमें से वर्ष 2012-13 में राशि ₹ 12.86 करोड़ की वसूली की गई।

पुनः दो प्रकरणों में विभाग ने राशि ₹ 74.44 करोड़ की पूर्ण वसूली की है।

6.2 'विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' एक निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्याँश

- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम में गलत प्रावधान को सम्मिलित किए जाने से उपकर का आरोपण दो विभिन्न स्थानों पर हो रहा है जिससे उपभोक्ताओं पर राशि ₹ 252.63 करोड़ का अतिरिक्त भार आया।

(कंडिका 6.2.10)

- उद्योगों को गलत छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण विद्युत शुल्क एवं ब्याज की राशि ₹ 15.77 करोड़ का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.11)

- अधिसूचना के निरस्त हो जाने के बावजूद भी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा छूट जारी किए जाने से राशि ₹ 44.68 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.12.2)

- छूट हेतु अयोग्य टीजी सेट को छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने से राशि ₹ 35.69 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.14)

- मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा अयोग्य उद्योगों को छूट जारी किये जाने से राशि ₹ 44.74 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.15)

- स्टैण्डबाय टीजी सेट को अनियमित रूप से छूट दिये जाने से राशि ₹ 16.10 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अवसूली।

(कंडिका 6.2.16)

- एक उद्योग द्वारा छूट अप्राप्त उद्योगों को विद्युत ऊर्जा का विक्रय किये जाने के बावजूद छूट जारी रखने के कारण राशि ₹ 20.90 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.17)

- अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निर्माण कंपनी लिमिटेड पर राशि ₹ 47.62 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.18)

- अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के संयंत्र को थर्मल पावर प्लांट में बदलने पर भी मुख्य विद्युत निरीक्षक राशि ₹ 5.40 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं ब्याज आरोपित करने में असफल रहा।

(कंडिका 6.2.19)

- मुख्य विद्युत निरीक्षक राशि ₹22.36 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं ब्याज आरोपित करने में असफल रहा।

(कंडिका 6.2.21)

6.2.1 प्रस्तावना

ऊर्जा विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों में से एक हैं तथा अवधि 2007-08 से 2011-12 तक राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में विद्युत शुल्क एवं उपकर का हिस्सा 5.58 और 7.03 प्रतिशत के मध्य था।

विभाग में प्राप्ति के चार मुख्य स्त्रोत हैं जैसे- विद्युत के विक्रय पर कर (विद्युत शुल्क), विद्युत अधिनियम के तहत प्राप्त फीस, सिनेमा के विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण से प्राप्त फीस और अन्य प्राप्तियाँ। विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक और निर्माता उनके द्वारा पिछले माह में बिक्रीत, वितरित या स्वयं के द्वारा उपभोगित ऊर्जा पर शासन द्वारा नियत अवधि में तथा नियत की गई पद्धति से निर्धारित दरों पर शुल्क का भुगतान शासन को करेगा। शुल्क की अदेय राशि पर ब्याज आरोपणीय है। छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 के अनुसार विद्युत ऊर्जा के विक्रय/वितरण एवं स्वयं के द्वारा उपभोग पर ऊर्जा विकास उपकर (उपकर) भी देय हैं।

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.वि.कं.लि.) जो विद्युत ऊर्जा का वितरक है अपने उपभोक्ताओं को बिक्रीत/वितरित की गई ऊर्जा पर उनसे शुल्क एवं उपकर की राशि वसूल करने के पश्चात उसे शासन के खाते में जमा करता है। केप्टिव पावर निर्माता (सीपीपी) जो अपने टर्बो जनरेटर (टीजी) सेट के माध्यम से अपने उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा निर्माण करते हैं वे भी उनके द्वारा बिक्रीत/वितरित या स्वयं के द्वारा उपभोगित विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क एवं उपकर का भुगतान शासन के खाते में सीधे करते हैं।

अधिनियम के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक एवं उत्पादक उनके द्वारा उपभोगित की गई ऊर्जा का विवरण प्रपत्र 'जी' कोषालयीन रसीद के साथ आरोपणीय और अनारोपणीय शुल्क के विवरण सहित मु.वि.नि. को प्रस्तुत करेगा।

6.2.2 विभागीय संरचना

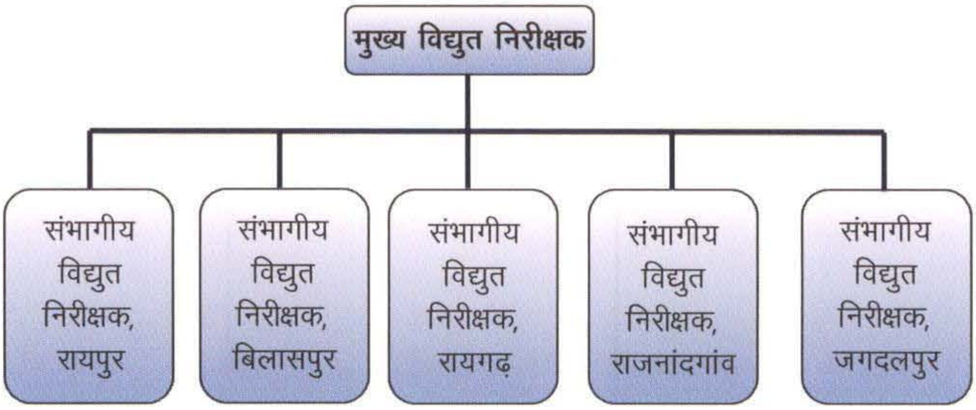

सचिव, ऊर्जा विभाग शासन स्तर पर विभागीय प्रमुख हैं। मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) विभागीय प्रमुख हैं। मु.वि.नि. की सहायता संभागीय स्तर पर पांच संभागीय विद्युत निरीक्षक (सं.वि.नि.) और उप संभागीय स्तर पर 10 सहायक विद्युत निरीक्षक करते हैं। सम्पूर्ण सीपीपी एवं वितरण कंपनी के उच्च दाब उपभोक्ताओं के लेखे मु.वि.नि. के कार्यालय में संधारित किये जाते हैं। संभागीय स्तर पर छ.रा.वि.वि.कं.लि. के लघु दाब उपभोक्ताओं तथा 125 किलो वॉल्ट अम्पियर (केव्हीए) से कम शक्ति के सीपीपी जो स्वयं के सेट से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं के लेखों का संधारण किया जाना चाहिए।

6.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

विद्युत शुल्क, उपकर एवं उसपर देय ब्याज के निर्धारण एवं संग्रहण की पद्धति और प्रक्रियाओं की दक्षता एवं प्रभावकारिता के मूल्यांकन करने की दृष्टि से हमने निष्पादन लेखापरीक्षा माह मार्च 2012 से जून 2012 के मध्य सम्पन्न की। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु हमने मु.वि.नि., आयुक्त उद्योग विभाग एवं पांच में से तीन[1] सं.वि.नि. के कार्यालयों का चयन किया।

[1] बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव (बगैर सेंपलिंग से चयनित)

6.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा इस दृष्टि से की गयी थी कि:

- विद्युत शुल्क एवं उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के लिए प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना;
- सुनिश्चित करना कि एक प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी और वह विद्युत शुल्क एवं उपकर के समय से निर्धारण एवं वसूली हेतु दक्षतापूर्वक कार्यशील थी; और
- बकायेदारों के खिलाफ राजस्व की सुरक्षा के माप पर्याप्त थे।

6.2.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

ऊर्जा विभाग के नीचे दर्शाये गये अधिनियमों, नियमों तथा परिपत्रों का उपयोग लेखापरीक्षा के मापदण्ड हेतु किया गया है:

- केन्द्रीय विद्युत नियम, 2005 (के.वि.नियम);
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (छ.ग.वि.शु.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 (छ.ग.वि.शु.नियम);
- छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 और
- शासन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अधिसूचना एवं परिपत्र।

6.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यक जानकारियां एवं अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध करने के सहयोग को स्वीकार करता है। लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति पर सचिव, ऊर्जा विभाग से दिनांक 18 मई 2012 को प्रवेश सम्मेलन में चर्चा हुई। निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2012 को शासन एवं विभाग को भेजा गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर दिनांक 16 नवम्बर 2012 को सचिव एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा बहिर्गमन सम्मेलन में की गई। बहिर्गमन सम्मेलन एवं अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

6.2.7 विद्युत पर कर एवं शुल्क के प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विभाग द्वारा बजट अनुमान पिछले वर्षों की राजस्व के संग्रहण को ध्यान में रखकर, विगत पांच वर्षों में राजस्व की औसत वृद्धि, पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष के प्राप्तियों में वृद्धि दर तथा विभाग द्वारा कोई कर की दर में बदलाव किये गए हों, को दृष्टिगत रखकर तैयार किया जाता है और वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। वित्त विभाग, विभाग से सलाह उपरांत बजट अनुमान स्वीकृत करता है। वर्ष 2011-12 में हमने देखा कि, विभाग द्वारा प्रस्तावित अनुमान ₹ 601.50 करोड़ के विरूद्ध ₹ 600 करोड़ के अनुमान को स्वीकृति दी थी।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक बजट अनुमान एवं वास्तविक विभागीय प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अंतर आधिक्य (+) कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत [(3) पर (6)]
2007-08	481.10	394.86	(-) 86.24	(-) 17.93	5618.10	7.03
2008-09	476.75	415.10	(-) 61.65	(-) 12.93	6593.72	6.30
2009-10	528.25	416.91	(-) 111.34	(-) 21.08	7123.25	5.85
2010-11	554.31	502.53	(-) 51.78	(-) 9.34	9005.14	5.58
2011-12	600.00	637.97	(+) 37.97	(+) 6.33	10712.25	5.96

स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों के अनुसार

उपरोक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि, वर्ष 2007-08 से 2010-11 के मध्य बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियां कम थी और कमी का प्रतिशत 9.34 और 21.08 के मध्य था। जबकि, वर्ष 2011-12 में वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से 6.33 प्रतिशत अधिक थी। उपरोक्त वर्षों में कमी के संबंध में विभाग ने यह सूचित किया कि, मुख्य रूप से छ.रा.वि.वि.कं.लि. एवं सीपीपी द्वारा शुल्क और उपकर के कम भुगतान/अभुगतान के कारण हुई तथा वर्ष 2011-12 में वृद्धि समझौता शुल्क के अतिरिक्त प्राप्ति तथा छ.रा.वि.वि.कं.लि. द्वारा बकाया का भुगतान किए जाने से हुई थी।

6.2.8 बकाया राजस्व

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में विद्युत पर कर एवं शुल्क के बकाया का पूर्वशेष एवं अंतशेषों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्वशेष	बकाया का अंतशेष
2007-08	10.15	20.39
2008-09	20.39	26.49
2009-10	26.49	67.02
2010-11	67.02	97.93
2011-12	97.93	185.68

स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि, 1 अप्रैल 2008 को राशि ₹ 10.15 करोड़ बकाया थी, जो 31 मार्च 2012 तक बढ़कर ₹ 185.68 करोड़ हो गई थी। बकाया का इतना अधिक संचय होने के बावजूद भी विभाग ने इसकी वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये।

बकाया राशि का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

वर्ष	बकाया राजस्व (₹ करोड़ में)
20 वर्ष से अधिक	0.24
10 एवं 20 वर्ष के मध्य	निरंक
5 एवं 10 वर्ष के मध्य	9.91
3 एवं 5 वर्ष के मध्य	16.34
1 एवं 3 वर्ष के मध्य	159.19
योग	185.68

उपरोक्त तालिका से यह प्रदर्शित हो रहा है कि, 31 मार्च 2012 की स्थिति में कुल बकाया का केवल 5.5 प्रतिशत (₹ 10.15 करोड़) पांच वर्ष से अधिक समय से था। इस प्रकार मुख्य रूप से बकाया निकट समय का था।

पुनः ₹ 185.68 करोड़ के कुल बकाया में से, 31 मार्च 2012 की स्थिति में उच्चतम 10 बकायेदार, जिसपर कुल ₹ 24.96 करोड़ का राजस्व बकाया है, का विवरण निम्नानुसार है:

स.क्र.	उपभोक्ता का नाम	शेष राशि (₹ करोड़ में)
1.	मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज, जांजगीर-चांपा	13.84
2.	मे. मोनेट इस्पात, नहरपाली, रायगढ़	2.60
3.	मे. रियल इस्पात एवं पावर, रायपुर	2.25
4.	मे. अंजनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड	2.14
5.	मे. महेन्द्र स्पंज एवं पावर प्रावेट लिमिटेड, सिलतरा	1.58
6.	मे. वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोंड्रा रायपुर	1.39
7.	मे. आर्यन कोल बेनेफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोरबा	0.75
8.	मे. नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	0.33
9.	मे. साउथ एशियन एग्रो इंडस्ट्रीज, बलौदाबाजार	0.07
10.	मे. वंदना ग्लोबल, रायपुर	0.01
	योग	**24.96**

स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, छ.रा.वि.वि.कं.लि. पर बकाया मूलधन ₹ 72.07 करोड़ की पूर्ण वसूली माह जून 2012 में की जा चुकी है तथा इस कंपनी पर देय ब्याज की राशि ₹ 88.46 करोड़ को शासन ने माफ किया है। कुल बकाया ₹ 185.68 करोड़ में से ₹ 9.25 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में लंबित है और ₹ 17.45 करोड़ की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी की गई है। पुनः विभाग ने कहा कि, कुछ विद्युत ऊर्जा के निर्माताओं द्वारा न्यायालय में प्रकरण दाखिल किए जाने के कारण बकाया की वसूली लंबित है। दस बकायेदारों के संबंध में कहा गया कि, पांच प्रकरणों में आरआरसी जारी की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में आरआरसी जारी किए जाने बाबत कार्यवाही की जावेगी। शेष बकाया की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

लेखापरीक्षा परिणाम

प्रणालीगत कमियां

6.2.9 मासिक विवरणी का जमा किया जाना और उनकी समीक्षा

छत्तीसगढ़ विद्युत नियम के नियम 7(1) के अनुसार विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक उत्पादक/वितरक उनके द्वारा उपभोगित की गई ऊर्जा का विवरण प्रपत्र 'जी' में कोषालयीन रसीद के साथ आरोपणीय और अनारोपणीय शुल्क का विवरण सहित मु.वि.नि. और स.वि.नि. को प्रस्तुत करेगा।

6.2.9.1 हमने देखा कि 125 केव्हीए तक की क्षमता तक विद्युत उत्पादन करने वाले उपभोक्ता वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक कोई भी विवरणी जमा नहीं कर रहे थे। स.वि.नि. भी इनका किसी भी प्रकार का अभिलेख संधारित नहीं कर रहे थे जिससे इनके द्वारा प्रस्तुत 'जी' प्रपत्र की समीक्षा करने तथा देय विद्युत शुल्क का निर्धारण करने में सक्षम नहीं थे। पुनः हमने देखा कि, यद्यपि मु.वि.नि. विद्युत ऊर्जा के निर्माताओं से प्राप्त 'जी' प्रपत्रों का प्रारंभिक अभिलेख तो संधारित कर रहा था किन्तु इसका सार जिसमें बकाया 'जी' प्रपत्रों एवं शुल्क का विवरण हो, संधारित नहीं कर रहा था। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि, मासिक विवरणी समय पर प्राप्त होने बाबत कोई निरीक्षण प्रणाली विभाग में विद्यमान नहीं थी।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि, समस्त कार्यालयों को अभिलेख संधारित करने बाबत निर्देशित किया गया है तथा विवरणों की समीक्षा हेतु एक प्रणाली तैयार की जावेगी।

प्रत्येक स.वि.नि. को एक मासिक विवरण जिसमें लघु दाब उपभोक्ताओं द्वारा उपभोगित की गई ऊर्जा का विवरण, शुल्क अनारोपणीय युनिट, शुल्क के आरोपणीय यूनिट, देय शुल्क/उपकर और उनके द्वारा दिया गया शुल्क/उपकर के विवरण सहित मु.वि.नि. को प्रस्तुत करना था।

6.2.9.2 हमने देखा कि, नमूना जांच में सम्मिलित एक भी स.वि.नि. ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक मासिक विवरण मु.वि.नि. को प्रस्तुत नहीं किया था। पुनः ऐसी कोई भी सामयिक विवरणी निर्धारित नहीं थी, जो मु.वि.नि. द्वारा शासन को देय हो जिसमें देय, जमा और शेष शुल्क का विवरण हो।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि, अगस्त 2012 में समस्त स.वि.नि. को समय पर विवरणी जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन विचार करे कि, ऐसी निरीक्षण प्रणाली की स्थापना की जावे, जिससे मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप में समय पर नियमित रूप से जमा किए जा सके तथा एक सामयिक विवरणी निर्धारित करें, जो मु.वि.नि. द्वारा शासन को देय हो जिसमें देय, जमा और शेष शुल्क का विवरण हो।

6.2.10 उपकर अधिनियम में भ्रांतिपूर्ण प्रावधान को सम्मिलित किये जाने से उपकर का आरोपण दो विभिन्न स्थानों पर हो रहा है, परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर दोहरा भार आ रहा है

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम के अनुसार विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक वितरक उनके द्वारा बिक्रीत/वितरित या स्वयं के द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर समय-समय पर निर्धारित किये गये दरों से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान शासन को करेगा। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) विद्युत ऊर्जा का वितरक है।

पुनः अधिनियम में किये गये संशोधन (2004) के अनुसार 125 केव्हीए से अधिक के जनरेटर सेट से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने वाले केप्टिव पावर निर्माताओं द्वारा भी उनके द्वारा माह के दौरान बिक्रीत/वितरित या स्वयं या उनके कर्मचारी द्वारा उपभोगित की गई ऊर्जा पर ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान किया जावेगा। अधिनियम 1981 की अनुच्छेद 3(1) में किए गए इस संशोधन के अनुसार वितरक से पांच पैसे प्रति यूनिट एवं केप्टिव पावर निर्माता से 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से उपकर वसूलनीय था।

मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में हमने देखा कि, एनटीपीसी ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 13,062.93 मिलियन यूनिट (मि.यू.) विद्युत ऊर्जा छ.रा.वि.वि.कं.लि. (पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल) को वितरित की और शासन को ₹ 110.35 करोड़ उपकर का भुगतान किया।.

अधिनियम 1981 में किए गए संशोधन (2004) के अनुसार केप्टिव पावर निर्माता भी उनके द्वारा उपभोक्ताओं को बिक्रीत/वितरित की गई ऊर्जा या स्वयं के द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर उपकर के भुगतान हेतु दायी है। इस संशोधन के अनुसार वितरक एवं सीपीपी को अलग-अलग दर से उपकर का भुगतान करना था, जिसके कारण सीपीपीयों द्वारा इसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी (अक्टूबर 2005)। न्यायालय ने इस संशोधन को निरस्त किया। नवम्बर 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय को शासन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई नहीं की है किन्तु विभाग को मांग जारी करने हेतु सलाह दी है ताकि मांग कालबाधित न हो सके। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक विभिन्न केप्टिव पावर निर्माताओं द्वारा भी 14,228.492 मि.यू. विद्युत ऊर्जा छ.रा.वि.वि.कं.लि. को वितरित की थी। इस प्रकार सीपीपी भी उपकर के रूप में राशि ₹ 142.28 करोड़ के भुगतान हेतु दायी है। पुनः छ.रा.वि.वि.कं.लि. ने एनटीपीसी एवं सीपीपी से प्राप्त इसी ऊर्जा को अपने उपभोक्ताओं को वितरित कर उनसे उपकर की राशि ₹ 252.63 करोड़ वसूल की तथा इसे शासन के खाते में जमा किया। चुंकि, एनटीपीसी द्वारा छ.रा.वि.वि.कं.लि.को वितरित की गई ऊर्जा पर उपकर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है जो उनके विक्रय बिल में पहले से ही सम्मिलित है, छ.रा.वि.वि.कं.लि. द्वारा समान ऊर्जा पर उपकर का आरोपण किये जाने से उपभोक्ताओं पर राशि ₹ 252.63 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मई 2012), शासन ने उत्तर दिया कि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपकर का आरोपण किया जा रहा हैं (नवम्बर 2012)।

यह तथ्य रह जाता है कि, यद्यपि शासन उपकर का आरोपण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही करता है किन्तु विभाग द्वारा अधिनिमय की इस विसंगति को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी, जिससे दो विभिन्न स्थानों पर उपकर के आरोपण से बचा जा सके तथा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार न पड़े।

6.2.11 गलत छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाना

छत्तीसगढ़ शासन ने अवधि 2001-06 एवं 2004-09 हेतु औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इस नीति और इसके अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता मात्र नये उद्योगों को ही है। ऐसे उद्योग जो अपनी क्षमता में विस्तार करते हैं, वह नई नीति में छूट हेतु पात्र नहीं हैं। पुनः 2008 में जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार, कंपनी द्वारा उद्योग विभाग से अधिप्रमाणित प्रति, जिसमें नया उद्योग होने का प्रमाण पत्र तथा विस्तार न होने बाबत प्रमाण सहित आवेदन मु.वि.नि. को प्रस्तुत किया जावेगा। तत्पश्चात मु.वि.नि. द्वारा जांचोपरांत छूट प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

6.2.11.1 मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में हमने देखा कि, मे.इंडस पावर लिमिटेड ने अपने 10 मेगावाट (एमडब्ल्यू) के टीजी सेट से वाणिज्यिक उत्पादन (दिसम्बर 2006) से प्रारंभ किया जिसे बाद में मे. इंडस सिनर्जी लिमिटेड ने (अक्टूबर 2009) पट्टे पर लिया था। पट्टेधारी द्वारा इसका उत्पादन भी अपने मासिक विवरण 'जी' में सम्मिलित किया जा रहा है। पट्टादाता द्वारा माह दिसम्बर 2009 में औद्योगिक नीति 2004-09 के तहत छूट हेतु आवेदन किया था, किन्तु दिसम्बर 2012 तक छूट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। चूंकि प्रबंधन एवं उद्योग का संचालन अक्टूबर 2009 से पट्टेधारी द्वारा अपने नाम से किया जा रहा है, पट्टादाता का आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए था और विद्युत शुल्क का आरोपण किया जाना चाहिए था। माह अप्रैल 2007 से जनवरी 2012 तक कंपनी ने 149.038 मि.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर उपभोग किया जिस पर राशि ₹5.19 करोड़ का विद्युत शुल्क आरोपणीय था। इसके बावजूद भी मु.वि.नि. द्वारा इसकी वसूली किये जाने हेतु काई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त राशि ₹3.26 करोड़ का ब्याज भी आरोपणीय था। इस प्रकार मु.वि.नि. के निष्क्रीय रहने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 8.45 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि राशि ₹8.36 करोड़ की वसूली हेतु मांग पत्र भेजा गया है। अंतर की राशि ₹ नौ लाख एवं स्वीकृत राशि की वसूली बाबत प्रतिवेदन अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

6.2.11.2 मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में हमने देखा कि, मे. माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड (पट्टादाता) ने उनके 7.5 एमडब्ल्यू के टीजी सेट से विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन (मार्च 2007) प्रारंभ किया था। कंपनी ने औद्योगिक नीति 2004-09 के तहत विद्युत शुल्क से छूट हेतु आवेदन किया था। हमने देखा की कंपनी माह

जनवरी 2007, वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के पूर्व से ही दूसरी कंपनी मे. जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पट्टाधारी) द्वारा पट्टे पर ली गई थी और यह तथ्य उनके 'जी' प्रपत्र में भी उल्लेखित था। यह कृत्य एक विस्तार के स्वरूप ही था, अतः पट्टादाता विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं था। किन्तु उद्योग विभाग ने पट्टादाता को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया था(अगस्त 2011)। हमने पुनः देखा कि, मु.वि.नि. ने इस प्रकरण को उद्योग विभाग को वापिस करने के बजाय वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से दिसम्बर 2011 में पट्टादाता को छूट प्रमाण पत्र जारी किया। पट्टाधारी ने पट्टा अवधि मार्च 2007 से जनवरी 2012 तक 251.93 मि.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जिसपर विद्युत शुल्क ₹4.58 करोड़ आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त, ब्याज की राशि ₹2.74 करोड़ भी आरोपणीय थी। इस प्रकार अनियमित रूप से पात्रता एवं छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित राशि ₹7.32 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अपने उत्तर में कहा (नवम्बर 2012) कि, ब्याज सहित राशि ₹9.68 करोड़ के वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

6.2.12 केप्टिव पावर प्लांट को विद्युत शुल्क से छूट जारी किया जाना

अधिसूचना नवम्बर 1992 के अनुसार, कोई व्यक्ति या संस्थान जो अपने 125 केव्हीए से अधिक के जनरेटिंग सेट से स्वयं के खपत हेतु विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है, उसे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से पांच वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता थी। शासन ने दूसरी अधिसूचना दिसम्बर 2008 द्वारा अधिसूचना नवम्बर 1992 को निरस्त किया था। शासन द्वारा नवम्बर 2001 से औद्योगिक नीति 2001-06 और नवम्बर 2004 से दूसरी औद्योगिक नीति 2004-09 की घोषणा की थी। आज दिनांक तक शासन ने किसी भी औद्योगिक नीति को निरस्त नहीं किया है।

6.2.12.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर औद्योगिक नीति जारी किये जाने के कारण औद्योगिक इकाईयों को कुछ शर्तों और निबंधनों की पूर्ति किये जाने पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की अनुमति थी। यह प्रोत्साहन निर्धारित अवधि के लिए देय है और किसी औद्योगिक इकाई द्वारा विशिष्ट औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई स्थायी पूंजी निवेश तक सीमित है। सीपीपी के आवेदन उद्योग विभाग से अनुशंसित होते हैं और ऐसी अनुशंसा/प्रात्रता के आधार पर, आवेदनों की जाचं उपरांत ऊर्जा विभाग छूट प्रमाण पत्र जारी करता है। अधिसूचना 1992, औद्योगिक नीति 2001-06 एवं औद्योगिक नीति 2004-09 के अनुसार ऐसे सीपीपी जिनका स्थायी पूंजी निवेश औद्योगिक नीति के प्रभावी समय में है वह विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र हैं।

हमने देखा कि अधिसूचना 1992 एवं शासन द्वारा अधिसूचित दोनों औद्योगिक नीतियाँ एक दूसरे के समानान्तर रूप से चल रही थी, अधिसूचना और औद्योगिक नीति के प्रभावशील समय भी एक दूसरे के परस्पर समान थे। पुनः ऊर्जा विभाग में ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी, जो उद्योग विभाग के अभिलेखों से यह सुनिश्चित कर सके कि, उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र औद्योगिक नीति के अनुबंधों के अनुसार ही था या किसी

उद्योग को दिया गया प्रोत्साहन उनके द्वारा छूट हेतु दिये गये प्रावधानों को पूर्ण नहीं करने/उल्लंघन करने पर वापस लिया जा सके।

मु.वि.नि. के कार्यालय में छूट पंजी की नमूना जांच में हमने देखा कि, मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (पूर्व में मे. ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड), ग्रासिम विहार ने अपने 25 एमडब्ल्यू के टीजी सेट से (सितम्बर 2008) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया और अधिसूचना 1992 के तहत छूट हेतु आवेदन (अक्टूबर 2008) किया। कंपनी अधिसूचना 1992 के तहत विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र थी। चूंकि कंपनी का आवेदन अधिसूचना 1992 के निरस्त होने (दिसम्बर 2008) के पूर्व प्राप्त हुआ था और दोनों औद्योगिक नीतियां भी समानान्तर रूप से प्रचलन में थी, मु.वि.नि. ने कंपनी को सुझाव दिया (जनवरी 2010) कि, प्रकरण उद्योग विभाग में प्रस्तुत करे, जिसका पालन कंपनी ने नहीं किया। किन्तु मु.वि.नि. ने अधिसूचना 1992 के अनुसार कंपनी को पांच वर्ष हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी किया (दिसम्बर 2010) जो औद्योगिक नीति 2004-09 के कार्यशील होने के काफी पश्चात तथा दिसम्बर 2008 में अधिसूचना 1992 के निरस्त होने के बाद था। चूंकि विभिन्न औद्योगिक नीतियां/अधिसूचना एक ही समय में प्रचलन में थी, जिससे उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग इस स्थिति में नहीं था कि नीति/अधिसूचना की उपयुक्तता पर स्पष्ट निर्णय ले सके।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2012) कि, उद्योग विभाग एवं विधि विभाग से परामर्श पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

मु.वि.नि. द्वारा नवम्बर 1992 में दिये गये निर्देशानुसार अधिसूचना नवम्बर 1992 में छूट हेतु, कंपनी द्वारा आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से सात दिवस के अंदर किया जाना चाहिए था।

6.2.12.2 मु.वि.नि. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि, चार[2] कंपनी जिनका वाणिज्यिक उत्पादन मार्च 2006 से दिसम्बर 2008 के मध्य था और अधिसूचना 1992 के तहत पांच वर्ष की विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन दिसम्बर 2008 से जून 2010 के मध्य में किया था। चूंकि, अधिसूचना 1992 आवेदन के पूर्व ही निरस्त की जा चुकी थी (दिसम्बर 2008), अतः ये कंपनियां अधिसूचना 1992 के तहत छूट हेतु पात्र नहीं थी। इसके बावजूद भी, मु.वि.नि. ने प्रकरण को उद्योग विभाग के पास वापस भेजने के बजाय जनवरी 2010 से नवम्बर 2011 के मध्य में गलत रूप से छूट प्रमाण पत्र जारी किये।

इन कंपनियों ने इसके अनुपालन में माह फरवरी 2012 तक उनके द्वारा उत्पादित एवं उपभोगित 813.346 मि.यू. पर राशि ₹ 28.31 करोड़ के विद्युत शुल्क की छूट का लाभ लिया। मु.वि.नि. द्वारा अनियमित छूट जारी किए जाने से ₹ 28.31 करोड़ के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त इस पर ब्याज की राशि ₹ 16.37 करोड़ भी आरोपणीय थी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने माना (नवम्बर 2012) कि प्रकरणों की जांच की जावेगी और यदि आवश्यक हुआ तो मांग पत्र जारी किये जावेंगे। विद्युत शुल्क की वसूली

[2] मे. सेंचुरी सीमेंट, मे. आर्यन कोल बेनेफिकेशन, मे. जय दुर्गा ऑइल एक्स्ट्राक्शन लिमिटेड और मे. अल्ट्राटेक लिमिटेड (हिरमी डिविजन)

हेतु तीन प्रकरणों में ₹13.48 करोड़ के मांग पत्र जारी किए गए थे (नवम्बर 2012)। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

6.2.13 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (आ.ले.प.) विभाग के आंतरिक कार्यप्रणाली का प्रमुख घटक होता है और इसे सामान्यतः समस्त नियंत्रणों पर नियंत्रण रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्त विभागीय प्रणालियां समुचित रूप से कार्यरत हैं। तथापि हमने देखा कि विभाग में आ.ले.प. कार्यरत नहीं था, जिससे विभाग राजस्व के रिसाव को रोकने में असमर्थ रहा। आ.ले.प. के नहीं होने से विभाग बकाया की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण रखने, नियमित रूप से मांग करने तथा सही रूप से छूट प्रमाण पत्र जारी करने में असफल रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि, आ.ले.प. के स्थापना हेतु पदों के स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जावेगा।

शासन आ.ले.प. की शीघ्र स्थापना हेतु प्रयास करे ताकि विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण पर समुचित नियंत्रण रखा जा सके।

अनुपालन की कमियाँ

6.2.14 शुल्क का अनारोपण

'औद्योगिक नीति 2001-06' में शासन ने नवीन उद्योगों को 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट घोषित की हैं और मेगा उद्योगों (जिनका स्थायी पूंजी निवेश ₹ 100 करोड़ से अधिक है) को भी 15 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट घोषित की है। स्थायी पूंजी निवेश की गणना स्थापना से लेकर किन्तु प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि तक की जावेगी।

कार्यालय मु.वि.नि. में छूट पंजी की नमूना जांच में हमने देखा कि, मे. गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड को उनके 53 एमडब्ल्यू के टीजी सेट को उद्योग विभाग की अनुशंसा के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक (फरवरी 2002) से 15 वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी (अगस्त 2010)। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे 'जी' प्रपत्र एवं छूट प्रमाण पत्र का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया कि:

स.क्र.	टीजी सेट क्र.	जी प्रपत्र के अनुसार क्षमता	छूट प्रमाण पत्र के अनुसार क्षमता	टिप्पणी	विद्युत शुल्क के आरोपण/ अनारोपण के कारण
टीजी 1	3682	10 एमडब्ल्यू	9 एमडब्ल्यू	जी प्रपत्र एवं अधिसूचना 1992 के तहत अप्रैल 2007 में दिये गये आवेदन के अनुसार इसकी क्षमता 10 एमडब्ल्यू है। मु.वि.नि. ने छूट प्रमाण पत्र में इसकी क्षमता 9 एमडब्ल्यू दर्शायी थी।	इस भिन्नता की जांच किए बगैर ही मु.वि.नि. ने 9 एमडब्ल्यू का छूट प्रमाण पत्र जारी किया।
टीजी 2	3806	10 एमडब्ल्यू	—	वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर 2003 से प्रारम्भ किया गया है किन्तु छूट हेतु दिये गये आवेदन में इसे सम्मिलित नहीं किया गया था इसीलिए इसे छूट जारी नहीं की गई थी। यद्यपि आक्सिलरी खपत इस सेट के विरूद्ध दर्शायी जा रही थी किन्तु इससे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का विवरण नहीं दिया जा रहा था।	यह सेट छूट प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं था अतः आक्सिलरी खपत पर विद्युत शुल्क आरोपणीय था। किन्तु मु.वि.नि. इसे आरोपित करने में असफल रहा।
टीजी 4	30034	30 एमडब्ल्यू	—	अप्रैल 2007 में अधिसूचना 1992 के तहत दिये गये आवेदन के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन दिसम्बर 2006 से प्रारम्भ किया गया था किन्तु छूट हेतु दिये गए आवेदन में इसे सम्मिलित नहीं किया गया था इसीलिए इसको छूट जारी नहीं की गई थी। चूंकि इसे छूट जारी नहीं की गई थी किन्तु इससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नियमित रूप से हो रहा था।	चूंकि इस सेट को छूट प्रदान नहीं की गई थी, अतः विद्युत शुल्क आरोपणीय था जिसे आरोपित करने में मु.वि.नि. असफल रहा।
टीजी 5	सी192/ 102	25 एमडब्ल्यू	25 एमडब्ल्यू	इस सेट की स्थापना मार्च 2007 यानि प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन (फरवरी 2002) के पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात की गई थी। अतः औद्योगिक नीति 2001-06 के अनुसार यह छूट हेतु पात्र नहीं है, किन्तु छूट जारी की गई थी।	चूंकि यह सेट छूट हेतु पात्र नहीं है किन्तु मु.वि.नि. ने इसे छूट प्रमाण में सम्मिलित किया। इस तरह इस सेट से उत्पादित विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क आरोपणीय था।
टीजी 6	3686	—	9 एमडब्ल्यू	यद्यपि इस सेट को छूट जारी की गई है किन्तु इसकी वर्तमान स्थिति जी प्रपत्र में प्रदर्शित नहीं की जा रही थी।	मु.वि.नि. द्वारा भी इसकी वास्तिक स्थिति पता करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

'जी' प्रपत्र के अनुसार कंपनी ने माह अप्रैल 2007 से जनवरी 2012 तक 847.48 मि.यू.विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग किया जिस पर विद्युत शुल्क ₹ 22.53 करोड़ एवं ब्याज ₹ 13.16 करोड़ आरोपणीय था। चूंकि कंपनी प्रत्येक सेट के द्वारा उपभोग की जा रही विद्युत ऊर्जा का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत नहीं कर रही थी इसलिए छूट हेतु अपात्र तथा जिन्हें छूट जारी नहीं की गई, ऐसे टीजी सेट से उत्पादित एवं उपभोगित विद्युत ऊर्जा पर देय वास्तविक शुल्क का निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, 30 एमडब्ल्यू के लिए मांग पत्र जारी किया गया है तथा शेष टीजी सेट हेतु आवश्यक कार्यवाही उद्योग विभाग से परामर्श पश्चात की जावेगी।

6.2.15 अयोग्य उद्योग को छूट जारी करने बाबत

अधिसूचना नवम्बर 1992 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संस्थान 125 केवीए से अधिक के जनरेटिंग सेट से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो उसके स्वयं के द्वारा उपभोगित विद्युत ऊर्जा पर पांच वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से भुगतान की छूट थी। शासन ने अधिसूचना नवम्बर 1992 को अन्य अधिसूचना दिसम्बर 2008 से निरस्त किया और कहा कि, ऐसे उद्योग जिन्हें 2008 के पूर्व छूट जारी की गई हैं उन्हें छूट प्रमाण पत्र में दर्शित अवधि तक छूट जारी रहेगी किन्तु यह उद्योग औद्योगिक नीति 2001-06 या शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य किसी दूसरी नीति के तहत छूट हेतु पात्र नहीं है।

6.2.15.1 मे. सारडा एनर्जी एवं मिनरल्स लिमिटेड ने अपने 24 एमडब्ल्यू के टीजी सेट से जुलाई 2001 से विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था। मु.वि.नि. ने इसे 2001 से 2006 तक पांच वर्ष हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट अधिसूचना 1992 के तहत जारी की थी। कंपनी ने छूट अवधि की समाप्ति के पश्चात विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया था। इसीलिए मु.वि.नि. ने राशि ₹6.99 करोड़ के विद्युत शुल्क की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी किया था (जून 2008)। कंपनी ने विद्युत शुल्क का भुगतान करने के बजाय औद्योगिक नीति 2001-06 के तहत उसी सेट को नवम्बर 2001 से 15 वर्ष की छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन उद्योग विभाग में किया (अप्रैल 2008)। उद्योग विभाग की अनुशंसा के आधार पर मु.वि.नि. ने कंपनी को नवम्बर 2001 से 15 वर्ष तक छूट जारी की (दिसम्बर 2009) और कंपनी के विरूद्ध जारी आरआरसी को निरस्त किया।

चूंकि कंपनी ने अधिसूचना 1992 के तहत छूट का उपभोग कर लिया था, वह औद्योगिक नीति 2001-06 के तहत आगामी छूट हेतु पात्र नहीं थी। किन्तु कंपनी ने मार्च 2008 से दिसम्बर 2011 तक उत्पादित एवं उपभोगित 528.114 मि.यू. विद्युत ऊर्जा पर राशि ₹14.12 करोड़ के छूट का उपभोग किया।

इस प्रकार, प्रकरण को उद्योग विभाग को वापिस किये जाने के बजाय मु.वि.नि. ने कंपनी को अनियमित रूप से छूट प्रमाण पत्र जारी किया। इससे न केवल कंपनी का लाभ अनुचित रूप से बढ़ाया गया बल्कि राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की वसूलनीय राशि ₹ 6.99 करोड़ सहित ₹21.11 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 6.31 करोड़ ब्याज भी आरोपणीय था।

6.2.15.2 मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्र एवं छूट प्रकरणों की नमूना जांच में हमने देखा कि, मे. सारडा एनर्जी एवं मिनरल्स लिमिटेड द्वारा अपने 32 एमडब्ल्यू के टीजी सेट से विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया (नवम्बर 2008)। कंपनी ने नवम्बर 2008 से दिसम्बर 2011 तक 468.08 मि.यू. का उत्पादन एवं उपभोग किया जिस पर ₹ 12.50 करोड़ विद्युत शुल्क आरोपणीय था। चूंकि इसका वाणिज्यिक उत्पादन औद्योगिक नीति 2004-09 के परिचालन के समय था जिसमें किसी भी कंपनी का विस्तार/विस्तारण छूट योग्य नहीं था। मु.वि.नि. ने भी इस सेट को छूट जारी नहीं की थी। यद्यपि कंपनी नियमित रूप से विवरणी जमा कर रही थी और भुगतान नहीं होने की जानकारी भी मु.वि.नि. को थी,

किन्तु इसके लिए कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ब्याज की राशि ₹4.65 करोड़ सहित ₹17.15 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ।

6.2.15.3 मे.राजाराम मेज प्रोडक्टस (पावर संभाग) ने एक 1.5 एमडब्ल्यू टीजी सेट स्थापित कर वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल 2003 से प्रारम्भ किया था। मु.वि.नि. ने उद्योग विभाग की अनुशंसा के आधार पर इस सेट को अप्रैल 2003 से 10 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट जारी की (जून 2010)।

मु.वि.नि. के कार्यालय में छूट जारी नस्ति की जांच में हमने देखा कि मु.वि.नि. ने इसी सेट को पूर्व में ही अधिसूचना 1992 के तहत पांच वर्ष की छूट जारी की थी (जून 2003)। इस प्रकार 2008 में जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी आगामी छूट हेतु पात्र नहीं थी। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि, कंपनी ने छूट अवधि की समाप्ति के पंश्चात अवधि अप्रैल 2008 से सितम्बर 2009 तक के लिए राशि ₹16.97 लाख के विद्युत शुल्क का भुगतान किया था जिसे अनुवर्ती छूट जारी करने के पश्चात मु.वि.नि. ने वापस कर दिया। कंपनी अधिसूचना 1992 के तहत पूर्व में ही छूट का लाभ ले चुकी थी अतः अनुवर्ती 10 वर्ष की छूट (जून 2010) उसी सेट को जारी किया जाना अनुचित था और फलस्वरूप अनियमित रूप से कंपनी का लाभ बढ़ाया गया।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, उद्योग विभाग से परामर्श पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

6.2.16 स्टैण्डबाय टीजी सेट को अनियमित छूट

औद्योगिक नीति 2001-06 में शासन ने नवीन उद्योगों को 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट घोषित की है और मेगा उद्योगों (जिनका स्थायी पूंजी निवेश ₹100 करोड़ से अधिक है) को भी 15 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट घोषित की है। अधिनियम या औद्योगिक नीति में स्टैण्डबाय सेट को छूट देने का प्रावधान नहीं है। पुनः औद्योगिक नीति 2004-09 में मात्र नए उद्योग ही छूट हेतु पात्र हैं, उद्योगों के विस्तार को छूट मान्य नहीं है।

मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दो छः एमडब्ल्यू एवं दो 19 एमडब्ल्यू के टीजी सेट स्थापित किये (दिसम्बर 2002) और जून 2003 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। कंपनी ने पुनः दूसरा 25 एमडब्ल्यू का टीजी सेट स्थापित किया (फरवरी 2009) और अप्रैल 2009 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। कंपनी ने समस्त (75 एमडब्ल्यू) टीजी सेट हेतु औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन किया (जून 2009)। चूंकि 25 एमडब्ल्यू टीजी सेट कंपनी का विस्तार था जो छूट हेतु पात्र नहीं था, उद्योग विभाग ने इसे 50 एमडब्ल्यू टीजी सेट की छूट की अनुशंसा में स्टैण्डबाय के रूप में सम्मिलित किया। पुनः कंपनी छूट प्राप्त सेट के साथ-साथ इस सेट से भी नियमित रूप से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रही थी। किन्तु मु.वि.नि. ने प्रकरण को उद्योग विभाग को वापिस करने के बजाय 50 एमडब्ल्यू सेट एवं 25 एमडब्ल्यू के स्टैण्डबाय टीजी सेट को भी छूट प्रदान की। यद्यपि, कंपनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग नियमित सेट के साथ-साथ स्टैण्डबाय सेट से भी कर रही थी, किन्तु स्टैण्डबाय सेट से

उत्पादित एवं उपभोगित विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं कर रही थी। इस प्रकार अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2011 तक स्टैण्डबाय सेट से उत्पादित एवं उपभोगित 438.04 मि.यू. विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क राशि ₹11.71 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ब्याज राशि ₹4.39 करोड़ भी आरोपणीय था।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, बकाया राशि की वसूली हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जावेगा। विभाग ने ब्याज सहित विद्युत शुल्क की वसूली हेतु राशि ₹15.78 करोड़ का मांग पत्र जारी किया (नवम्बर 2012)। अंतर की राशि ₹ 32 लाख एवं मान्य की गई वसूली की राशि से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2012)।

6.2.17 छूट अप्राप्त उद्योगों को विद्युत ऊर्जा का विक्रय करने पर भी उद्योग को छूट प्रदाय किया गया

शासन ने अधिसूचना जुलाई 2002 से मे. वंदना विद्युत लिमिटेड को सीरिगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में उत्पादित ऊर्जा से 19 उच्च दाब उपभोक्ताओं (अधिसूचना में अधिसूचित) को विद्युत ऊर्जा का वितरण करने पर विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की थी।

मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में हमने देखा कि, कंपनी ने (अवधि मार्च 2008 से अक्टूबर 2011) 182.996 मि.यू. विद्युत ऊर्जा 13[3] उच्च दाब उपभोक्ताओं को बिक्रीत की जो अधिसूचित 19[4] उच्च दाब उपभोक्ताओं से अलग थे। चूंकि 13 उच्च दाब उपभोक्ता अधिसूचित नहीं थे अतः इन उपभोक्ताओं को वितरित की गई विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क आरोपणीय था। किन्तु मु.वि.नि. ने इसकी जांच नहीं की और विद्युत शुल्क का आरापेण करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप राशि ₹16.95 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ब्याज राशि ₹3.95 करोड़ भी आरोपणीय थे।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, ब्याज सहित वसूली हेतु राशि ₹33.72 करोड़ का मांग पत्र प्रेषित किया गया है। वसूली प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

---

[3] एनएमडीसी किरदूल, एनएमडीसी बचेली, एनएमडीसी डिपो न.5, 10 एवं 11(अ) बचेली, मे. ग्रासिम सीमेंट, सिम्प्लेक्स इंजी और फौण्ड्री वर्क्स प्रा.लि. यूनिट I, II एवं III, एनएमडीसी किरदूल डिपो नं.14, भिलाई इंजी. कार्पोरेशन लि. बीईसी फर्टिलाइजर, यूनिवर्थ लि. और सेंचुरी सीमेंट लि.

[4] मे. सुनील पोलिपेक, मे. बजरंग मेटलीक, मे. वंदना इस्पात, मे. आर.आर. इस्पात लि., मे. वंदना इंडस्ट्रीज लि., मे. वंदना रोलिंग मिल्स लि., मे. रायपुर रोटोकास्ट लि., मे. कमल सालवेंट, मे. पंकज आक्सीजन लि., मे. आर.के. स्ट्रक्चर, मे. गणपति इंडस्ट्रियल प्रा.लि., मे. साकेत इंडस्ट्रियल गैसेस लि., मे.हनुमान एग्रो, मे. वंदना ग्लोबल प्रा.लि., मे. रायपुर रोटोकास्ट उरला, मे. हाइटेक एब्रासिव लि., मे. सूर्या वायर्स प्रा.लि. और कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एवं ट्यूब लि.

6.2.18 विद्युत शुल्क का अनारोपण

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, विद्युत ऊर्जा का वितरक यानि ऐसा व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण जो प्रमुख या प्रतिनिधि के रूप में भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 का नौ) के तहत अनुज्ञप्ति धारण कर विद्युत संस्थान का व्यवसाय करता हो और नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन या अन्य कोई संस्थान जो किसी भी नाम से जाना जाता हो जिसकी स्थापना किसी केन्द्र या राज्य के अधिनियम के तहत समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु समयानुसार की गई हो। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम में किए गए संसोधन के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक निर्माता किसी दूसरे वितरक को थोक में विक्रय/वितरित की गई विद्युत ऊर्जा पर 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान शासन को करेगा।

शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का पुनर्गठन कंपनी अधिनियम 1956 के तह पांच[5] अलग-अलग कंपनियों में किया (दिसम्बर 2008) और ये कंपनियां 2009 से अलग-अलग रूप से कार्यरत हैं।

मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में हमने देखा कि, छ.रा.वि.उ.कं.लि. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर छ.रा.वि.वि.कं.लि.को वितरित कर रहा है। चूंकि दोनों कंपनियां अलग-अलग पंजीकृत हैं तथा अलग रूप से कार्यरत है अतः छ.रा.वि.उ.कं.लि. द्वारा छ.रा.वि.वि.कं.लि. को वितरित की गई विद्युत ऊर्जा पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विद्युत शुल्क आरोपणीय था। किन्तु छ.रा.वि.उ.कं.लि. विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा था। मु.वि.नि. ने भी इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी। छ.रा.वि.उ.कं.लि. द्वारा छ.रा.वि.वि.कं.लि. को अवधि फरवरी 2009 से नवम्बर 2011 तक वितरित की गई 16,142.508 मि.यू. ऊर्जा पर राशि ₹32.28 करोड़ विद्युत शुल्क आरोपणीय था। चूंकि, कंपनी विद्युत शुल्क का भुगतान करने में असफल रही अतः ब्याज राशि ₹15.34 करोड़ भी आरोपणीय था। इस प्रकार मु.वि.नि. द्वारा मांग पत्र जारी किये जाने में असफल रहने के कारण विद्युत शुल्क एवं ब्याज सहित राशि ₹47.62 करोड़ का अनारोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, विद्युत शुल्क की वसूली हेतु राशि ₹32.28 करोड़ का मांग पत्र प्रेषित किया गया है। ब्याज एवं मान्य की गई राशि का वसूली प्रतिवदेन प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2012)।

[5] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.उ.कं.लि.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.हो.कं.लि.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.वि.कं.लि.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.पा.कं.लि.) और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.ट्रे.कं.लि.)

6.2.19 अपारंपरिक ऊर्जा संयंत्र को थर्मल पावर प्लांट में परिवर्तन किये जाने पर भी विद्युत शुल्क का अनारोपण

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विद्युत शक्ति के वितरक/निर्माता द्वारा आगामी माह के समाप्ति के पूर्व विद्युत शुल्क का भुगतान किया जावेगा। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम के नियम 5 के अनुसार यदि नियम 3 में दर्शित अवधि में शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में उसका भुगतान ब्याज सहित किया जावेगा।

मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में पाया गया कि मे. आर.आर. एनर्जी लिमिटेड ने माह जनवरी 2007 से अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। उसके पश्चात कंपनी ने अक्टूबर 2008 से अपना उत्पादन अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों से बदलकर थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से चालू किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (छ.रा.वि.वि.आ.) ने भी छत्तीसगढ़ राज्य रिनिवेबल ऊर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) को निर्देशित किया था की कंपनी को अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों पर दी जाने वाली सुविधा को वापिस ले एवं अधिनियम के प्रावधानानुसार समस्त देय की वसूली करे। कंपनी ने अक्टूबर 2008 से जनवरी 2012 तक 151.73 मि.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग किया। इस तरह कंपनी से राशि ₹ 4.09 करोड़ का विद्युत शुल्क वसूलनीय था। छ.रा. वि.वि.आ. के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी मु.वि.नि. ने विद्युत शुल्क राशि ₹ 4.09 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.31 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा कि ₹ 1.68 करोड़ की वसूली हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है (जुलाई 2012)। अंतर की राशि ₹ 3.72 करोड़ एवं मान्य की गई राशि की वसूली बाबत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

6.2.20 राज्य स्थित उद्योगों को विद्युत ऊर्जा का विक्रय/वितरण किये जाने पर भी विद्युत शुल्क का अनारोपण

जुलाई 2002 में जारी अधिसूचना के अनुसार शासन ने सीपीपी की मात्र अपने सिस्टर कंसर्न को विद्युत वितरण की स्वीकृति दी थी। किसी तीसरे पक्ष को इसके विक्रय/वितरण की अनुमति नहीं थी।

शासन द्वारा जुलाई 2002 में घोषित की गई केप्टिव पावर नीति के शर्त 5 के अनुसार केप्टिव पावर प्लांट स्वामी यदि अपनी सिस्टर कंसर्न को विद्युत ऊर्जा का वितरण करना चाहता है तो इसकी पात्रता राज्य विद्युत मण्डल (वर्तमान में छ.रा.वि.वि.कं.लि.) द्वारा निर्धारित किये जाने के बाद इसकी स्वीकृति दी जावेगी। पुनः नीति की शर्त 4 के अनुसार सीपीपी द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा को राज्य में स्थित किसी अन्य उद्योग (तीसरे पक्ष) को विक्रय की अनुमति नहीं दी जावेगी।

मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में पाया गया कि, मे. लेंकों अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) ने मई 2009 से दिसम्बर 2011 तक 7,253.84 मि.यू. विद्युत ऊर्जा राज्य में स्थित विभिन्न उपभोक्ता, जैसे मे. जिंदल पावर, सिपत एसटीपीएस, आदि को वितरित की। ये इकाईयां मे. लेंकों अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड की सिस्टर

कंसर्न नहीं थी क्योंकि, छ.रा.वि.वि.कं.लि. द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार मे. लेंकों अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड पर विद्युत शुल्क आरोपणीय था। कंपनी द्वारा न ही राशि ₹ 196.26 करोड़ के विद्युत शुल्क का भुगतान किया जा रहा था न मु.वि.नि. द्वारा शुल्क के जमा किये जाने हेतु कोई मांग जारी की गई थी। चूंकि कंपनी शुल्क का भुगतान नहीं कर रही थी, अतः राशि ₹ 60.98 करोड़ का ब्याज भी आरोपणीय था। परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क एवं उस पर ब्याज सहित राशि ₹ 257.24 करोड़ का अनारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, अभिलेखों के सत्यापन पश्चात यह देखा गया कि, कंपनी ने 300.2 मि.यू. छ.रा.वि.ट्रे.कं.लि. को बिक्रीत किया हैं, जो वितरक हैं और उस पर शुल्क की वसूली हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। शेष ऊर्जा का विक्रय कंपनी ने राज्य के बाहर किया है।

यहां पर यह तथ्य रह जाता है कि, शासन ने मांग पत्र केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद जारी किया है। पुनः विभाग द्वारा राज्य के बाहर ऊर्जा के विक्रय का जो दावा किया है उस बाबत कोई प्रमाण बहिर्गमन सम्मेलन में विशेष रूप से अनुरोध किये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया है।

6.2.21 विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण

छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक/निर्माता प्रत्येक माह में उपभोगित विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भुगतान आगामी माह के अंत तक करेगा। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम 5 के अनुसार यदि शुल्क का भुगतान नियम 3 में दिये गये निर्दिष्ट अवधि तक नहीं करने पर ब्याज सहित भुगतान किया जावेगा। पुनः औद्योगिक नीति 2004-09 में मात्र नए उद्योग ही छूट हेतु पात्र हैं और विस्तार को छूट नहीं दी गई है।

6.2.21.1 मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की जांच में हमने देखा कि, मे. अल्ट्राटेक लिमिटेड, हिरमी ने अपने 25 एमडब्ल्यू के टीजी सेट से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया (जनवरी 2009)। 'जी' प्रपत्र के अनुसार कंपनी ने फरवरी 2012 तक 327.129 मि.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग किया। चूंकि कंपनी ने पूर्व में ही 6 एमडब्ल्यू. प्रत्येक के तीन सेट पर छूट का लाभ लिया था (अप्रैल 2002), 25 एमडब्ल्यू का विस्तार पुनः छूट हेतु पात्र नहीं था। विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क ₹12.29 करोड़ एवं ब्याज ₹4.70 करोड़ आरोपणीय था। किन्तु मु.वि.नि. ने विद्युत शुल्क की वसूली हेतु काई मांग नहीं की। जिसके कारण विद्युत शुल्क एवं ब्याज सहित राशि ₹16.99 करोड़ का अनारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, विद्युत शुल्क की राशि ₹12.90 करोड़ की वसूली की जा चुकी है (अगस्त 2012) और ब्याज की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। पुनः वसूली प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

6.2.21.2 मे. अरसमेटा केप्टिव पावर लिमिटेड ने अपने 43 एमडब्ल्यू के टीजी सेट से जनवरी 2011 से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ किया और दिसम्बर 2011 तक 127.18 मि.यू. विद्युत ऊर्जा अपने केप्टिव उपभोक्ता को वितरित की। इस सेट से वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी 2011 से प्रारम्भ किया गया। चूंकि कंपनी अपने दूसरे 43 एमडब्ल्यू के टीजी सेट पर नवम्बर 2006 से 15 वर्ष हेतु छूट का लाभ ले रही है और यह कंपनी का विस्तार था, जो औद्योगिक नीति के तहत छूट हेतु पात्र नहीं था। इस प्रकार वितरित की गई विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क राशि ₹4.64 करोड़ एवं ब्याज राशि ₹72.56 लाख आरोपणीय थे। इसके बावजूद भी मु.वि.नि. ने विद्युत शुल्क के वसूली बाबत कोई कार्यवाही नहीं की, परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क एवं ब्याज राशि ₹5.37 करोड़ का अनारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि, ब्याज सहित राशि ₹5.74 करोड़ का मांग पत्र प्रेषित किया गया। वसूली प्रतिवेदन अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

6.2.22 विलंब से भुगतान किये जाने के बावजूद ब्याज का अनारोपण

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम 5 के अनुसार जब शुल्क का भुगतान नियम 3 में दर्शित अवधि में नहीं किये जाने पर उसका भुगतान उसपर देय ब्याज सहित किया जावेगा।

मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में हमने देखा कि, विद्युत ऊर्जा के पांच[6] वितरक/निर्माताओं ने विद्युत शुल्क की राशि ₹ 5.20 करोड़ का भुगतान निर्धारित अवधि से तीन से 18 माह के विलंब से किया। नियमानुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज[7] आरोपणीय था। किन्तु मु.वि.नि. इन वितरक/निर्माताओं पर ब्याज का आरोपण करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.55 करोड़ का अनारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, राशि ₹ 3.90 करोड़ की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये गये हैं (अगस्त 2012) और एक प्रकरण में ₹ 56.68 लाख की वसूली की जा चुकी है। पुनः वसूली प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

---

6 बालको, छ.रा.वि.उ.कं.लि., मे. जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि., एनटीपीसी सिपत और प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.

7 ब्याज हेतु प्रस्तावित दर है, (1) तीन माह तक भुगतान करने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (2) तीन माह के पश्चात किन्तु छः माह तक भुगतान करने पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (2) छः माह से अधिक किन्तु 12 माह तक भुगतान करने पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा (4) 12 माह के पश्चात भुगतान करने पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से

6.2.23 छूट प्रकरणों का निराकरण नहीं किये जाने से राजस्व का अवरूद्ध रहना

शासन द्वारा जुलाई 2002 में घोषित की गई केप्टिव पावर नीति की शर्त 5 के अनुसार यदि केप्टिव प्लांट स्वामी यदि अपनी सिस्टर कंसर्न को विद्युत ऊर्जा का वितरण करना चाहता है तो इस (सिस्टर कंसर्न) की पात्रता राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित की जावेगी फिर उसके बाद इसकी स्वीकृति दी जावेगी। पुनः नीति की शर्त 4 के अनुसार सीपीपी द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा को राज्य में स्थित किसी अन्य उद्योग (तीसरे पक्ष) को विक्रय की अनुमति नहीं दी जावेगी।

6.2.23.1 मु.वि.नि. के कार्यालय में 'जी' प्रपत्रों की नमूना जांच में हमने देखा कि, एक सीपीपी (मे.जिंदल स्टील एवं पावर) औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ में स्थित नवीन उद्योगों को वर्ष 2003 से विद्युत ऊर्जा वितरित कर रहा था। ये कंपनियां इस उद्योग की सिस्टर कंसर्न नहीं थी क्योंकि इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने जारी नहीं किया था। इसीलिए विभाग ने मई 2005 में औद्योगिक पार्क में स्थित उद्योगों को वितरित की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भुगतान करने हेतु मांग पत्र जारी किया। कंपनी ने इसके विरूद्ध शासन में अपील की (मई 2008) कि यह मांग न्यायोचित नहीं है, जिसे शासन ने स्वीकार नहीं किया। कंपनी ने शासन के विरूद्ध एक पुनरीक्षण याचिका मान. उच्च न्यायालय में सितम्बर 2008 में दायर की। मान. उच्च न्यायालय ने शासन के निर्णय को खारिज किया (सितम्बर 2010) और इसे सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग को वापस भेज कर इसकी सुनवाई नये पुनरावेदन की तरह करने हेतु निर्देशित किया। परंतु दो वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी शासन ने न इसकी सुनवाई की और न ही, औद्योगिक पार्क स्थित उद्योगों को वितरित की जा रही विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की वसूली हेतु कोई निर्णय लिया।

कंपनी ने औद्योगिक पार्क में स्थित उद्योगों को अवधि 2007-08 से 2010-11 तक 2,017.39 मि.यू. विद्युत ऊर्जा वितरित की। इस प्रकार शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से विद्युत शुल्क एवं उस पर ब्याज की राशि ₹71.65 करोड़ लंबित थी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, मान. उच्च न्यायालय के परिपेक्ष्य में प्रकरण की जांच की जावेगी एवं यदि जरूरी हुआ तो मांग पत्र प्रेषित किया जावेगा। आगामी कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2012)।

औद्योगिक नीति 2004-09 के अनुसार, यदि कोई उत्पादक विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की घोषणा के बाद करता है तो वह निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति करने पर औद्योगिक नीति 2001-06 में छूट हेतु विकल्प दे सकता है:
1. इकाई ने भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो,
2. इकाई ने परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार भवन शेड आदि का निर्माण किया हो,
3. प्लांट एवं मशीनरी का क्रय आदेश जारी किया गया हो।

6.2.23.2 उद्योग विभाग में छूट पंजी की नमूना जांच में हमने देखा कि, भारत अल्युमिनियम लिमिटेड (बालको) कोरबा ने अपने 135 एमडब्ल्यू प्रत्येक के चार टीजी सेट से विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया (जून 2005) एवं औद्योगिक नीति 2001-06 के तहत 15 वर्ष की छूट हेतु आवेदन किया (सितम्बर 2008)। पुनः अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कंपनी छूट की पात्रता की शर्त को पूरा नहीं करती थी, छूट हेतु आवेदन के समय उसने जमीन के वैध आधिपत्य संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। इसीलिए जिला ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने इस आवेदन को कोई भी अनुशंसा के बगैर उद्योग विभाग को अग्रेषित किया (सितम्बर 2008) और इसका निराकरण लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2012) तक नहीं हुआ था।

कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 24,406.381 मि.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर उपभोग किया था। चूंकि, बालको को कोई छूट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, इसीलिए वह विद्युत शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी था। यद्यपि कंपनी नियमित रूप से मासिक विवरणी प्रस्तुत कर रही थी, किन्तु मु.वि.नि. द्वारा विद्युत शुल्क ₹559.72 करोड़ के आरोपण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क की राशि ₹559.72 करोड़ का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, राशि ₹405.33 करोड़ का ब्याज भी आरोपणीय था।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि, राशि ₹875.26 करोड़ की वसूली हेतु मांग पत्र भेजा गया है (सितम्बर 2012)। अंतर की राशि ₹89.79 करोड़ एवं मान्य की गई राशि की वसूली बाबत प्रतिवेदन अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

6.2.24 निष्कर्ष

हमने देखा कि विद्युत ऊर्जा के निर्माता/वितरक द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे मासिक विवरणों की समीक्षा अपर्याप्त थी जिसके कारण शुल्क का पता न होने, कम आरोपण, अनारोपण के प्रकरण पाये गए। पात्रता की मापदण्डों की जांच किए बगैर छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये जिसकी वजह से अपात्र उद्योगों को छूट जारी की गई। जिससे विद्युत शुल्क के अनारोपण से राजस्व की हानि हुई। 125 केव्हीए तक के लघु निर्माताओं द्वारा स.वि.नि. को विवरणी जमा नहीं किये जाने के कारण तथा उनके द्वारा इसका अभिलेख संधारित न करने के कारण उनकी समीक्षा करने में विभाग असफल रहा। विभाग छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/उपकर अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन करने में असफल रहा जिससे उपकर का आरोपण दो विभिन्न जगहों पर होता रहा एवं उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार आया। औद्योगिक नीति/अधिसूचना के एक साथ प्रभावशील होने के कारण अयोग्य उद्योगों को भी छूट प्रदाय की गयी।

6.2.25 अनुशंसाएं

शासन निम्नानुसार की जा रही अनुशंसाओं के लागू करने बाबत विचार करे किः

- शासन विचार करे कि, ऐसी निरीक्षण प्रणाली की स्थापना की जावे, जिससे मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप में समय पर नियमित रूप से जमा किए जा सके तथा एक सामयिक विवरणी निर्धारित करें, जो मु.वि.नि. द्वारा शासन को देय हो जिसमें देय, जमा और शेष शुल्क का विवरण हो,
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/उपकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन करे ताकि उपकर का आरोपण दो विभिन्न जगहों पर न हो जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार न पड़े,
- नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाने पर विद्यमान औद्योगिक नीति को वापिस लिया जाना सुनिश्चित करे;
- विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट जारी किये जाने पर उद्योग विभाग से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करे; और
- विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा का गठन करे।

ब:राज्य आबकारी

6.3 कर प्रशासन

आबकारी विभाग राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त कर देने वाला एक विभाग है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार आरोपित अथवा आदेशित शुल्क, फीस अथवा राजसात के द्वारा होने वाली आय समाहित होती है। इसमें मदिरा के निर्माण, धारण तथा विक्रय, भांग तथा पोस्ता शीर्ष द्वारा होने वाली आय भी सम्मिलित है। विभाग मदिरा दुकानों को संधारित करता है तथा निजी अनुज्ञप्तिधारियों को इन दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा, भांग तथा पोस्ता विक्रय करने की अनुमति देता है। मदिरा के निर्माण हेतु आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। विभाग के अधिनियम एवं नियम नीचे दिए गए है:

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996; एवं
- छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995,

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अंतर्गत आबकारी विभाग मनोरंजन शुल्क के रूप में भी राजस्व एकत्र करता है।

शासन स्तर पर सचिव सह आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग के प्रमुख है। उनकी सहायता अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। जिले के जिलाधीश आबकारी प्रशासन के प्रमुख है।

6.4 राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य आबकारी द्वारा राज्य की वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल प्राप्त कर का विवरण नीचे दिए गए तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर आधिक्य (+) / कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल प्राप्तियों के साथ प्रतिशत
2007-08	840.00	843.10	(+) 3.10	0.37	5,618.08	15.00
2008-09	950.00	964.10	(+) 14.10	1.48	6,593.72	14.62
2009-10	1,158.00	1,187.72	(+) 29.72	2.57	7,123.25	16.67
2010-11	1,390.00	1,506.44	(+) 116.44	8.38	9,005.14	16.73
2011-12	1,550.00	1,596.98	(+) 46.98	3.03	10,712.25	14.91

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

हमने वर्ष 2011-12 के दौरान पाया कि विभाग द्वारा प्रस्तावित अनुमान राशि ₹ 1,216.40 करोड़ के विरूद्ध वित्त विभाग द्वारा राशि ₹ 1,550 करोड़ का बजट अनुमान

पारित किया गया। वित्त विभाग द्वारा लगाया गया बजट अनुमान सटीक था, क्योंकि उक्त वर्ष में वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 1,596.98 करोड़ थी।

6.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 की स्थिति में बकाया राजस्व ₹ 24.88 करोड़ था जिसमें ₹ 22.79 करोड़ पिछले पांच वर्षों से अधिक लंबित थे। निम्न तालिका में अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व बकाया की स्थिति को दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2007-08	22.79	22.82
2008-09	22.82	23.26
2009-10	23.26	25.60
2010-11	25.60	25.30
2011-12	25.30	24.88

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय आंकड़े अनुसार)

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन अधिनियम के अंतर्गत बकाया के वसूली हेतु शीघ्र उचित उपाय करे।

6.6 संग्रहण की लागत

राज्य आबकारी से संबंधित सकल प्राप्तियों के संग्रहण पर हुआ व्यय, कुल संग्रहण पर वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में हुए संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत तथा पूर्व वर्षों का सकल संग्रहण का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	संग्रहण प्राप्ति पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्षों का सकल संग्रहण का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009-10	1187.72	35.35	2.98	3.66
2010-11	1506.44	40.68	2.70	3.64
2011-12	1596.98	52.06	3.26	3.05

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

यद्यपि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम थी जो वर्ष 2011-12 में बढ़ गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन संग्रहण की लागत कम करने हेतु उचित कदम उठाये।

6.7 लेखापरीक्षा का प्रभाव

6.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति: वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा शुल्क की अवसूली, अनुज्ञप्ति फीस की कम वसूली, शास्ति की अवसूली, मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली इत्यादि के 3928 प्रकरणों में ₹ 121.67 करोड़ की राजस्व सन्निहित थी को इंगित किया गया। इसमें से विभाग/शासन द्वारा 2,534 प्रकरणों में ₹ 33.69 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2006-07	3	194	3.81	145	0.76
2007-08	12	1143	18.74	912	0.54
2008-09	10	223	17.79	56	2.85
2009-10	16	1036	16.71	337	7.52
2010-11	9	1332	64.62	1084	22.02
योग		**3928**	**121.67**	**2534**	**33.69**

6.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति : वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान हमारे द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शुल्क की अवसूली, अनुज्ञप्ति फीस की कम वसूली तथा मनोरंजन शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण के ₹ 19.10 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभाग द्वारा ₹ 11.62 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकृत की गई, जिसमें से ₹ दो लाख की वसूली मार्च 2012 तक की गई, जो निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	कुल मूल्य राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2012 तक वसूल की गई राशि
1.	2007-08	14.95	8.68	-
2.	2008-09	1.20	0.07	0.02
3.	2009-10	0.48	0.48	-
4.	2010-11	2.47	2.39	-
	योग	**19.10**	**11.62**	**0.02**

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि स्वीकार प्रकरणों के विरूद्ध विभाग द्वारा मात्र 0.17 प्रतिशत वसूली की गई जो कि नगण्य है।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु शीघ्र कदम उठाये।

6.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आई.ए.डब्लू.) एक ऐसा संगठन है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है एवं सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित है जो संगठन को योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियों उचित रूप से कार्यशील है।

हमने देखा कि वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई, यद्यपि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक संयुक्त संचालक एवं एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पद कार्यरत थे। इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2012) कि वे स्वीकृत पद अधिकारी स्तर के थे परंतु क्षेत्रीय दल हेतु स्वीकृत पद नहीं था। अतः न ही आंतरिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई और न ही लेखापरीक्षा की गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग क्षेत्रीय दल में पद की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जा सके।

6.9 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य आबकारी विभाग के छः कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की एवं 587 प्रकरणों में ₹ 13.92 करोड़ राशि के शुल्क के अवसूली, शास्ति का अनारोपण, अनुज्ञप्ति फीस की कम वसूली, मनोरंजन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण इत्यादि पाया गया। प्रकरणों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	102	2.83
2.	भाण्डागारों में स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर शास्ति का अनारोपण	26	10.45
3	अधिक हानि पर शुल्क का अनारोपण/अवसूली	2	0.06
4.	मनोरंजन शुल्क का बकाया एवं शास्ति का अनारोपण	283	0.09
5.	अन्य अनियमितताएँ	174	0.49
	योग	**587**	**13.92**

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 82 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 8.28 करोड़ के अवनिर्धारण, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस के अनारोपण/कम आरोपण इत्यादि स्वीकार किया गया।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण में जिसमें ₹ 5.51 करोड़ सन्निहित है कंडिका में नीचे वर्णित है:

6.10 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमारे द्वारा जिला आबकारी कार्यालयों के आबकारी शुल्क, फीस एवं प्रभार के निर्धारण संबंधित अभिलेखों की जांच की गई एवं शास्ति के अनारोपण के प्रकरण पाए गए, जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में वर्णित है। यह प्रकरण उदाहरणात्मक है और लेखापरीक्षा नमूना जांच पर

आधारित है। सहायक आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की अनियमितताएँ प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा में इंगित की जाती है लेकिन यह अनियमितताएँ न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नही लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

6.11 मद्य भाण्डागारों में देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध नहीं रखने में के बावजूद शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम के नियम 4 (4)(क) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक भण्डारण भाण्डागार पर बोतलबंद देशी मदिरा का उतना न्यूनतम स्कंध रखेगा जो पूर्ववर्ती मास की पांच दिनों की खपत के समतुल्य हो। भाण्डागार में न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर कलेक्टर विहित न्यूनतम स्कंध से कम रखी गई मात्रा पर ₹ दो प्रति प्रूफ लीटर की अनाधिक दर से अनुज्ञप्तिधारी पर शास्ति आरोपित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी पर यह शास्ति इस बात पर विचार किए बिना अधिरोपित की जावेगी कि इससे शासन को कोई हानि हुई है या नहीं।

दो[8] जिला आबकारी अधिकारियों के डी-12 पंजी[9] की नमूना जांच (जून 2011 से नवम्बर 2011 के मध्य) में हमने पाया कि अवधि अप्रैल 2009 से मार्च 2011 के मध्य 1520 अवसरों पर, दो अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित न्यूनतम मात्रा 3.59 करोड़ प्रूफ लीटर के विरूद्ध 1.19 करोड़ प्रूफ लीटर बोतल बंद देशी मदिरा का स्कंध रखा गया। आबकारी अधिकारी ने इस प्रकरण में न ही कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया और न ही न्यूनतम स्कंध रखने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध प्रकरण में शास्ति के आरोपण की प्रक्रिया अपनायी। अतः 2.76 करोड़ प्रूफ लीटर स्पिरिट का स्कंध कम रखा गया जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारियों पर अधिकतम शास्ति ₹ 5.51 करोड़ आरोपणीय थी (जैसा **परिशिष्ट-6.1** में दर्शाया गया है)।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2012) किए जाने पर शासन ने कहा (जून 2012) कि बिलासपुर जिले में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अधिकतम शास्ति ₹ 1.38 करोड़ के विरूद्ध ₹ 79,736 जमा किया गया। दुर्ग जिले के संबंध में बताया गया कि प्रकरण कलेक्टर के पास विचाराधीन है।

8 सहायक आयुक्त बिलासपुर एवं दुर्ग।

9 डी-12 भण्डारगार में संधारित स्कंध पंजी है।

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है	इस अध्याय में, हमने वन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी वनोपज में सुखत, काष्ठगार में काष्ठ की कम प्राप्ति, वनोपज के परिवहन में देरी के कारण राजस्व हानि,आदि के राशि ₹ 72.04 लाख के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार, इस अध्याय में हमने ब्याज प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा के दौरान सात विभागो में राशि ₹ 253.58 करोड़ के लेखापरीक्षा परिणाम दर्शाये है।
वर्ष 2011-12 में संपादित लेखापरीक्षा के परिणाम	हमने वर्ष 2011-12 में वन विभाग की 12 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन, वनोपज की कमी, राजस्व हानि आदि के कारण राजस्व की कम/अवसूली के 335 प्रकरण पाया, जिनमें ₹ 23.38 करोड़ की राशि सन्निहित थी। वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 14 प्रकरणों में राशि ₹ 18 लाख की हानि को स्वीकार किया एवं एक प्रकरण में राशि ₹12,640/- की वसूली की। हमारे द्वारा ब्याज प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में वित्त विभाग एवं सात विभाग अर्थात कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास के लेखाओं की जाँच वर्ष 2011-12 में की गई। हमने ऋण एवं अग्रिमों पर लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित किया कि क्या प्रणालीगत एवं अनुपालन तथा अभिलेखों के संधारण को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। हमारे द्वारा ऋणों पर ब्याज प्राप्तियाँ से संबंधित अभिलेखों की जाँच में ब्याज के अवरोपण/अनारोपण, दंड ब्याज का अनारोपण एवं अन्य विसंगतियां से संबंधित राशि ₹ 253.58 करोड़ के प्रकरण पाये गये। यह चिंता का विषय है कि विभाग द्वारा उपलब्ध अभिलेखों पर हमारे द्वारा कमियों को इंगित किए जाने के बावजूद विभाग ने ऋण तथा ब्याज की राशि के पुनर्भुगतान हेतु कार्यवाही नहीं की शासन द्वारा राशि ₹ 217.51 करोड़ के आक्षेप स्वीकार किए गए तथा दो प्रकरणों में राशि ₹ 92.47 लाख वसूल की (दिसम्बर 2012)।

निष्कर्ष	विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने के साथ साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को भी मजबूत करे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। शासन को चाहिए की हमारे द्वारा आक्षेपित प्रकरणों में जिसे विभागों द्वारा स्वीकार किया गया है पर त्वरित कार्यवाही कर बकाया ऋण की राशि एवं ब्याज की राशि को संबंधितों से जमा कराये।

अ : वन प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

वन विभाग मुख्यतः काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बांस एवं लघु वनोपज के विक्रय से राजस्व अर्जित करता है, जो कि शासन के मुख्य राजस्व स्रोत हैं। वनोपज का निवर्तन नीलामी, निविदा आमंत्रण आदि के माध्यम से होता है। वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, काष्ठ का विदोहन एवं वनों की स्थायी वृद्धि विभाग में व्यय के विभिन्न मद हैं।

वन विभाग, मुख्य सचिव (वन) के अधीन कार्य करता है। रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.)का कार्यालय विभाग के पूर्णरूपेण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर प्र.मु.व.सं. के सहायक के रूप में अतिरिक्त प्र.मु.व.सं. एवं मु.व.सं. रहते हैं।

राज्य का वन क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर एवं दुर्ग में स्थित छः वन सरंक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। राज्य का वन क्षेत्र 32 वनमंडलों में विभाजित है। वनमंडलों के प्रशासन, वनोपज के विक्रय, राजस्व संग्रहण के साथ साथ वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, स्थायी वृद्धि तथा काष्ठ विदोहन का उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.) का है। व.मं.अ. की सहायता हेतु वनमंडल में उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) रहते हैं। वनों की सुरक्षा के अतिरिक्त, वनक्षेत्रपाल रोपण कार्य, वृक्षों के अंकन एवं विदोहन, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के कूपों[1] से काष्ठगारों में परिवहन आदि हेतु उत्तरदायी है। कार्य आयोजना वृत्त (बिलासपुर) एवं वनमंडलों का उत्तरदायित्व कार्य आयोजनाओं को समयसीमा के अंतर्गत तैयार करना है। विभाग निम्न अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों का पालन करता है :

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता, 2004;
- वन मैन्युअल; एवं
- राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण के संबंध में शासन/विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश/दिशा निर्देश

7.2 वानिकी एवं वन्य जीवन से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य वन विभाग की वास्तविक प्राप्तियों एवं राज्य की कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

---

[1] कार्य आयोजना में वन क्षेत्र को विभिन्न कार्य वृत्तों में विभक्त किया जाता है। कार्यवृत्तों को कक्षों में तथा कक्षों को कूपों में विभक्त किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन आधिक्य (+)/ कमी (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर भिन्न प्राप्तियों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	250.00	258.07	8.07	3.23	2020.45	12.77
2008-09	280.00	322.29	42.29	15.10	2202.21	14.63
2009-10	365.00	345.85	(-) 19.15	(-) 5.25	3043.00	11.36
2010-11	400.00	305.17	(-) 94.83	(-) 23.71	3835.32	7.95
2011-12	400.00	341.64	(-) 58.36	(-) 14.59	4058.48	8.42

(स्रोत : छत्तीसगढ़ शासन का वित्त लेखा)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि यद्यपि 2007-08 एवं 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से अधिक थी, 2009-10 से 2011-12 के मध्य वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से कम थी एवं कमी का प्रतिशत पांच से 24 प्रतिशत के मध्य था। अनुरोध किये जाने के उपरांत भी (नवम्बर 2012) विभाग द्वारा कमी आने के कारणों की जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार, राज्य के कर भिन्न राजस्व में वन प्राप्तियों का हिस्सा जोकि 2007-08 में 12.77 प्रतिशत था, 2008-09 में बढ़कर 14.63 प्रतिशत हो गया एवं उसके पश्चात 2009-10 से गिरना प्रारंभ हो गया।

7.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2012 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 1.62 करोड़ थी, जिसमें से राशि ₹ 24 लाख पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया थी। अवधि 2007-08 से 2011-12 के मध्य राजस्व बकाया की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	बकाया का अंत शेष
2007-08	0.24	0.30
2008-09	0.30	0.45
2009-10	0.45	2.39
2010-11	2.39	2.45
2011-12	2.45	1.62

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

7.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अतिमहत्वपूर्ण अंग है जोकि संगठन को स्वयमेव आश्वस्त करता है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई ने वर्ष 2011-12 में छः इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की। नवंबर 2012 तक, वर्ष 2011-12 में लेखापरीक्षित छः इकाईयों में से मात्र दो इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये थे।

7.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थितिः

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन, वनोपज की कमी, राजस्व हानि आदि के 1702 प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 245.03 करोड़ समाहित है, को इंगित किया था। इनमें से 1386 प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 136.19 करोड़ समाहित है, के लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/शासन ने स्वीकृत किया है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	7	58	104.48	58	104.48
2007-08	1	5	5.17	5	5.17
2008-09	11	285	19.60	256	9.79
2009-10	11	1002	95.29	998	15.58
2010-11	9	352	20.49	69	1.17
योग		**1702**	**245.03**	**1386**	**136.19**

7.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थितिः

वर्ष 2006-07, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व की कम/अवसूली, वनोपज की कमी आदि के प्रकरणों, जिनमें राशि ₹104.52 करोड़ समाहित है, को इंगित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि
2006-07	2.43	-
2009-10	87.19	9.02
2010-11	14.90	1.64
योग	**104.52**	**10.66**

7.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 में वन विभाग की 12 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। हमने बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन, वनोपज की कमी, राजस्व हानि आदि के कारण राजस्व की कम/अवसूली के 335 प्रकरण, जिनमें ₹ 23.38 करोड़ की राशि सन्निहित थी, पाये जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय करने से कम प्राप्ति	97	0.53
2	वनोपज में ह्रास/कमी होने से अवसूली	23	0.35
3	काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	39	1.75
4	अन्य अनियमितताएं	176	20.75
	योग	**335**	**23.38**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 14 प्रकरणों में राशि ₹ 18 लाख की हानि को स्वीकार किया एवं एक प्रकरण में राशि ₹ 12,640/- की वसूली की।

वनोपज में सुखत, काष्ठगार में काष्ठ की कम प्राप्ति, परिवहन में देरी एवं वनोपज की कमी के कारण राजस्व हानि, आदि के राशि ₹ 72.04 ल|ख के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

7.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने विभिन्न व.म.अ. के अभिलेखों की जाँच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय अधिसूचना/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के अनेक प्रकरण पाया जिनमें काष्ठ/बांस का अपातन/कम पातन, काष्ठ का कम उत्पादन, वनोपज में कमी आदि के कारण राजस्व हानि हुई जिनका वर्णन इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित है। वनमंडलाधिकारियों द्वारा हुई इस प्रकार की अनियमितताएं प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती हैं किन्तु ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

7.8 निस्तार[2] काष्ठगारों में जलाऊ लकड़ी पर अनुमत्य सीमा से अधिक सूखत दिया जाना

शासन के आदेश दिनांक 11.06.1990 द्वारा काष्ठगार में रखी मध्यम घनत्व के जलाऊ लकड़ी के लिए प्रथम वर्ष में 15 प्रतिशत की सूखत मान्य की गयी । यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सूखत उसी जलाऊ लकड़ी के लिए मान्य की जावेगी जो उसी वर्ष विशेष में निर्मित होकर विक्रय डिपो में प्राप्त होती है। अविक्रित जलाऊ लकड़ी, नीलामी द्वारा विक्रय हेतु विक्रय काष्ठगार प्रेषित की जावेगी। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार हानि के प्रकरण की सूचना तत्काल विभाग प्रमुख को प्रेषित की जानी चाहिए एवं जांच पश्चात वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए।

रायगढ़ वनमंडल के निस्तार अभिलेखों की नमूना जांच में (फरवरी 2011), हमने पाया कि वर्ष 2008 एवं 2010 के मध्य छः निस्तार काष्ठगारों में 10 अवसरों पर 11,483.20 क्विंटल जलाऊ लकड़ी प्राप्त हुआ। नियमानुसार 1,722.48 क्विंटल (15 प्रतिशत) सूखत मान्य की जानी थी। तथापि, इन काष्ठगारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों से पाया गया कि वनमंडल द्वारा 2,938.53 क्विंटल सूखत मान्य किया गया। इस प्रकार, वनमंडल द्वारा गलत तरीके से 1,216.05 क्विंटल अधिक सूखत मान्य किये जाने से शासन को राशि ₹ 2.84 लाख की राजस्व हानि हुई (विवरण **परिशिष्ट-7.1** में दर्शाया गया है)। विभाग द्वारा प्रकरण की जांच एवं संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसे जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (जून 2012), शासन ने कहा (अगस्त 2012) कि संबंधित कर्मचारियों से राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी है। आगे का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

2 निस्तार का अर्थ है वन क्षेत्रों के पांच कि.मी. के भीतर रहने वाले जरूरतमंद ग्रामीणों को बांस, बल्ली और जलाऊ चटटा की आपूर्ति राज्य साहाय्य दर पर उपलब्ध कराना।

7.9 काष्ठ कूपों में काष्ठ का अपरिवहित पड़े रहना

फॉरेस्ट मैन्युअल की कंडिका 114 (ए) के अनुसार कटे हुए काष्ठ का उपयोगी जीवन पाँच वर्ष है अतः कटे हुए काष्ठ के मूल्य में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत का ह्रास होता है। इसे ध्यान में रखकर वन विभाग द्वारा ठेकेदारों द्वारा कूप से काष्ठगार तक काष्ठ का परिवहन इस शर्त पर कराया जाता है कि समस्त विदोहित मात्रा का परिवहन माह मई तक पूर्ण किया जाए, अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले, ताकि वनोपज को बारिश के कारण गुणवत्ता में ह्रास से बचाया जा सके एवं नीलामी हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। निविदा की शर्तों में यह स्पष्ट प्रावधानित है कि निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार से परिवहन व्यय की वसूली की जाए। इसके अलावा ठेकेदार कटे हुए काष्ठ के परिवहन के दौरान हुई हानि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

तीन[3] वनमंडलों के कूप से काष्ठगार तक परिवहन किये गये काष्ठ अभिलेखों की नमूना जांच में (जून 2009 से जनवरी 2011) हमने पाया कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक 51 कूपों[4] में राशि ₹ 2.98 करोड़ मूल्य के काष्ठ वर्ष में 30 जून के पश्चात भी कूप में पड़े थे जिनका विदोहन के एक से दो वर्ष पश्चात भी काष्ठगार तक परिवहन होना नहीं पाया गया। आगे जांच में देखा गया कि काष्ठ के अपरिवहित रहने के निम्न कारण थे- विभाग द्वारा परिवहन हेतु निविदा न किया जाना[5], ठेकेदारों द्वारा निविदा की शर्तों का पालन न किया जाना एवं विभाग द्वारा ठेकेदारों पर निविदा शर्तों को लागू किये जाने में विफलता। अतः न केवल वनोपज नीलामी हेतु विक्रय काष्ठगारों में विलंब से प्राप्त हुआ बल्कि गुणवत्ता में ह्रास के कारण वनोपज के मूल्य में भी ह्रास हुआ। आगे, वर्ष 2009-10 में विदोहित वनोपज का आज तक परिवहन नहीं होना पाया गया (जनवरी 2011)। परिणामस्वरूप, विहित अवधि के भीतर वनोपज का परिवहन न किये जाने से मूल्य ह्रास के कारण राशि ₹ 59.83 लाख की हानि हुई (विवरण ***परिशिष्ट-7.2*** में दर्शाया गया है)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012), शासन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि उदंती एंव कोरिया वनमंडल में नक्सली गतिविधियों के कारण परिवहन प्रभावित रहा, कोरिया एवं बिलासपुर वनमंडल में असामयिक वर्षा एवं बिलासपुर वनमंडल में कार्य आयोजना विलंब से स्वीकृत होने के कारण वनोपज परिवहन प्रभावित हुआ। आगे यह भी कहा गया कि यह सही है कि वनोपज का समय पर परिवहन न होने के कारण उसके गुणवत्ता के उपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किन्तु प्राकृतिक कारकों एवं अप्रत्याशित कारणों से वनोपज का समय पर परिवहन नहीं हो सका।

---

[3] बिलासपुर, कोरिया एवं उदंती

[4] बिलासपुर - पाँच कूप, कोरिया- 8 कूप एवं उदंती - 38 कूप

[5] कोरिया वनमंडल, वर्ष 2006-07 में

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि कूप से काष्ठगार तक काष्ठ के परिवहन के पहले वृक्षों का चिन्हांकन कार्य कराया गया एवं कोरिया एवं उदंती वनमंडलों के 46 कूपों[6] में चिन्हांकित सभी वृक्षों का विदोहन किया गया। यदि नक्सल समस्या होती तो ये समस्त कार्य भी नहीं कराये जा सकते थे। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोरिया वनमंडल में वर्ष 2007 से 2010 की अवधि में माह अप्रैल एवं मई में कोई बारिश नहीं हुई एवं बिलासपुर वनमंडल में वर्ष 2007 में माह अप्रैल एवं मई में बहुत हल्की बारिश[7] हुई। आगे, कार्य आयोजना में दिये विवरण एवं परिवहन हेतु निविदा की शर्तों के अनुसार वनोपज का कूप से काष्ठगार तक परिवहन, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के काफी पहले, माह जून के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था ताकि यथासंभव बारिश के पहले घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों से वनोपज का परिवहन किया जा सके।

7.10 डिपो में वनोपज की कमी

वन वित्तीय नियम के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक निस्तार/उपभोक्ता डिपो का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए एवं माह जून के अंत में वनोपज की स्थिति का प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी एवं वनसंरक्षक को प्रेषित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार हानि के प्रकरण की सूचना तत्काल विभाग प्रमुख को प्रेषित की जानी चाहिए एवं जांच पश्चात वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए।

वनमंडल कांकेर के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की नमूना जांच में (सितम्बर 2011), हमने पाया कि 30 जून 2008 की स्थिति में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार आठ निस्तार/उपभोक्ता डिपो में 780 नग बांस एवं 504 जलाऊ चट्टे की कमी पायी गयी। परिणामस्वरूप, राशि ₹ 3.94 लाख की राजस्व हानि हुई (विवरण ***परिशिष्ट-7.3*** में दर्शाया गया है)। आगे, प्रकरण विभागाध्यक्ष को सूचित किये जाने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं पाए गए।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012), शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2012) कि संबंधित कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है।

6 कोरिया वनमंडल - 8 कूप एवं उदंती वनमंडल - 38 कूप

7 बहुत हल्की बारिश - एक दिन में 0.1 से 2.4 मि.मी. बारिश होना

7.11 काष्ठ की हानि

कार्य आयोजना के निर्देशों के अनुसार विदोहन पश्चात लटठे की माप छाल निकालकर मध्य बिंदु पर ली जावेगी। परिवहन पश्चात काष्ठगार में काष्ठ का पुनः मापन किया जावेगा। काष्ठ के सूखत के कारण होने वाले सिकुड़न को ध्यान में रखते हुए लटठे के गर्थ की माप में 2 से 3 से.मी. की कमी मान्य की जावेगी । विभाग में आयतन की गणना हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले रेडी रेकनर के अनुसार लटठे एवं बल्ली के परिवर्तन बिंदु पर गर्थ में कमी होने पर काष्ठ के आयतन में होने वाली अधिकतम (अधिकतम आठ मी. लम्बाई के लटठे के लिए) कमी निम्नानुसार है-

गर्थ के 42 से.मी. से 40 से.मी. होने पर आयतन में कमी (सागौन हेतु)	0.008 घ.मी.
गर्थ के 52 से.मी. से 50 से.मी. होने पर आयतन में कमी (अन्य प्रजाति)	0.010 घ.मी.

पूर्वी सरगुजा वनमंडल के काष्ठ उत्पादन प्रतिवेदन एवं परिवहन अभिलेखों का काष्ठगार अभिलेखों के साथ प्रति-परीक्षण करने पर (मार्च 2011), हमने पाया कि वर्ष 2007-08 में चार कूप एवं 2008-09 में एक कूप से काष्ठगार (डिपों) प्रेषित काष्ठ की मात्रा में काफी अंतर थे। काष्ठगार (डिपो) प्रेषण के समाधान पत्रक में पाया गया कि 3,446 नग प्रेषित लटठा, 2,521 नग बल्ली एवं 905 नग रेलवे ट्राम लाईन (आर.टी.एल.) में परिवर्तित हो गये थे। नियमानुसार मान्य सूखत एवं सूखत के कारण आयतन में अधिकतम परिवर्तन के अनुसार आयतन में अधिकतम कमी 29.984 घ.मी.[8] होनी चाहिए थी। लेकिन, प्राप्त काष्ठ के आयतन में वास्तविक कमी 85.995 घ.मी. हुई। इस प्रकार, मान्य सूखत से अधिकतम सूखत दिये जाने से 56.011 घ.मी. अधिक काष्ठ की हानि हुई जिसमें 43.547 घ.मी. सागौन एवं 12.464 घ.मी. अन्य प्रजाति के काष्ठ सम्मिलित थे। परिणामस्वरूप, शासन को राशि ₹ 5.43 लाख की हानि हुई (विवरण ***परिशिष्ट-7.4*** में दर्शाया गया है)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012), शासन ने कहा (अगस्त 2012) कि वनमंडल का भौगोलिक क्षेत्र असामान्य ऊंचा-नीचा तथा ढलान युक्त होने एवं श्रमिकों के कम पढ़े लिखे होने के कारण कूपों में मापन कार्य में त्रुटि होने की संभावना रहती है। अतः काष्ठागार में वनोपज के माप को अंतिम माना जाता है। कूपों से भेजी गयी एवं काष्ठगार में प्राप्त काष्ठ की संख्या में कोई अंतर नहीं है, काष्ठगार में पुनर्मापन के कारण केवल मात्रा में अन्तर आया है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लटठे के आयतन में पायी गयी कमी, परिवहन के दौरान मान्य की गयी अधिकतम कमी से काफी अधिक थी। आगे, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के निर्देश दिनांक अक्टूबर 1997 के अनुसार कूप में लिये गये माप एवं

[8] घन मीटर

काष्ठगार में लिये गये माप के मध्य गोलाई में अधिकतम दो से तीन से.मी. की कमी मान्य की गयी है। यदि अंतर मान्य सीमा से अधिक है तो यह माना जायेगा कि कूप प्रभारी या उत्तरदायी कर्मचारी के द्वारा कूप में नाप लेते समय लापरवाही बरती गई है। कटाई एवं संग्रहण पर जो अधिक व्यय हुआ है, वह कूप प्रभारी या संबंधित उत्तरदायी कर्मचारी से वसूल किया जायेगा। आगे, विभाग द्वारा सभी कारकों को विचार में लेते हुए, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र भी सम्मिलित है, सूखत के संबंध में मापदंड निर्धारित किया गया था।

ब : वित्त विभाग

7.12 ब्याज प्राप्तियाँ

7.12.1 प्रस्तावना

ब्याज प्राप्तियाँ राज्य शासन के कर भिन्न राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें रोकड़ बाकी निवेश पर वसूल ब्याज के अलावा विभिन्न सरकारी उपक्रमो, संगठनों गैर सहकारी संगठनों, निगमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्य संगठनों एवं सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिमों का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए विभिन्न दरों से ऋण स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2011-12 में ब्याज प्राप्तियाँ ₹ 63.41 करोड़ थी एवं शासन के कर भिन्न प्राप्तियों में उसका प्रतिशत 1.6 था।

इच्छुक ऋणग्रहीत संगठन संबंधित ऋण स्वीकृत विभागों को ऋणों के प्रस्ताव प्रस्तुत करते है। ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तावों पर कार्यवाही कर भुगतान की विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, वित्त विभाग की सहमति से ऋण स्वीकृत किये जाते है। ऋण एवं अग्रिमों के विस्तृत लेखे रखने एवं उसके वसूली पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों/संचालनालय/ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों की है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, खंड-I, (अध्याय-13) में, ऋण स्वीकृत किए जाने हेतु अनुशंसा, ब्याज की दर का निर्धारण, स्वीकृत ऋणों एवं अग्रिमों पर वसूली पर निगरानी एवं मूलधन तथा उस पर ब्याज की सामयिक वसूली किए जाने हेतु अनुदेशों को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, शासन ने ब्याज प्राप्तियों से संबंधित परिपत्र समय समय पर जारी किये है।

हमने ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित किया कि क्या (अ) ऋणों के भुगतान एवं ब्याज की दरों पर निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकृति आदेशों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है; (ब) यह सुनिश्चित करने के लिए विभागों द्वारा निबंधन एवं शर्तो को निर्दिष्ट करने के बाद ही ऋणों का संवितरण किया गया था; (स) मूलधन एवं उस पर ब्याज की वसूली की समय समय पर मांग की गई थी; तथा (द) प्रणालीगत एवं अनुपालन तथा अभिलेखों के संधारण को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। लेखापरीक्षा ने कई विसंगतियों को उजागार किया जिसमें प्रणालीगत विसंगतियाँ भी शामिल हैं जैसे ऋण स्वीकार करने वाले विभाग और वित्त विभाग दोनों के द्वारा ऋणों पर अपर्याप्त निगरानी, बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही न

होना, अपर्याप्त नियंत्रण प्रणाली जिसमें मूल अभिलेखों का अनुचित संधारण इत्यादि भी शामिल हैं । उपरोक्त विसंगतियों से संबंधित चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

हमने लेखापरीक्षा के लिए 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सात[9] विभागों द्वारा संवितरित ऋणों की लेखापरीक्षा की। सात विभाग जिनमें 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए ऋणों का 99.83 प्रतिशत समाहित है, लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए।

7.12.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमारे द्वारा वर्ष 2011-12 में सात विभाग अर्थात कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। हमने लेखापरीक्षा में ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य विसंगतियों के प्रकरणों में राशि ₹ 253.58 करोड़ के प्रकरण पाये जो निम्न श्रेणियों में विभाजित किए गए है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	ब्याज की राशि मांग न किया जाना	76	249.29
2	ब्याज की राशि की कम वसूली	6	4.29
योग		**82**	**253.58**

2012-13 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दो प्रकरणों में राशि ₹ 92.47 लाख वसूल की गई।

वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिसमें राशि ₹ 253.58 करोड़ समाहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

9 कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

7.12.3 बकाया ऋण

शासन के विभिन्न विभागों एवं शासकीय कर्मचारियों को विगत पाँच वर्षो में प्रदाय किये गये ऋण एवं उसका पुनर्भुगतान की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण	योग	ऋण का पुनर्भुगतान	पुनर्भुगतान का प्रतिशत [(5) की तुलना में (2)]	अंतिम शेष
2007-08	1,604.61	500.28	2104.89	437.52	27.27	1,667.37
2008-09	1,667.37	490.75	2158.12	533.41	31.99	1,624.71
2009-10	1,625.53*	896.79	2522.32	992.43	61.05	1,529.89
2010-11	1,529.89	566.55	2096.44	561.16	36.68	1,535.28
2011-12	1,535.64*	1,268.73	2,804.37	1,282.52	83.52	1,521.85

(स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

* *वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2011 -12 में क्रमशः ₹ 82.07 लाख एवं ₹ 35.94 लाख की वृद्धि कार्यालय महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्रोफार्मा समायोजन प्राप्त करने के कारण हुई।*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि ऋणों का पुनर्भुगतान का प्रतिशत 27 से 84 के मध्य था।

7.12.4 बजट अनुमान एवं ऋण एवं अग्रिमो पर ब्याज प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में ऋण एवं अग्रिमों का बजट अनुमान एवं ब्याज प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर (+)आधिक्य/(-) कमियाँ [(4) = (2) – (3)]	अंतर का प्रतिशत [(4) की तुलना में (2)]
2007-08	93.90	70.27	(-) 23.63	(-) 25.17
2008-09	88.02	121.89	(+) 33.87	38.48
2009-10	112.19	71.63	(-) 40.56	(-) 36.15
2010-11	82.63	81.22	(-) 1.41	(-) 1.71
2011-12	102.40	63.41	(-) 38.99	(-) 38.08

स्रोत - बजट अनुमान (राजस्व प्राप्तियाँ) तथा वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि, ऋणों एवं अग्रिमों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में काफी अंतर है। वर्ष 2008-09 के अलावा वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से कम थी एवं विचलन का प्रतिशत 1.71 से 38.08 के मध्य रहा है। जबकि, वर्ष 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से 38 प्रतिशत अधिक था।

पुनः, शासन के ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शासन द्वारा अनुमानित अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज से वास्तविक प्राप्तियाँ
2007-08	2,020.45	70.27
2008-09	2,202.21	121.89
2009-10	3,043.00	71.63
2010-11	3,835.32	81.22
2011-12	4,058.48	63.41
योग	**15,159.46**	**408.42**

स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में शासन की कुल अन्य कर भिन्न प्राप्तियों में ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत 2.69 था।

लेखापरीक्षा की उपलब्धियाँ

7.12.5 अभिलेखों का संधारण न किया जाना

नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त राज्य मध्यप्रदेश में लागू अधिनियम/नियम, प्रपत्र तथा ऋण स्वीकार किए जाने हेतु प्रक्रिया को अंगीकार किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का संधारण किए जाने के संबंध में दिसम्बर 2003 में प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किया गया था जिससे मूलधन की किश्तों, ब्याज एवं दांडिक ब्याज की वसूली पर निगरानी रखी जा सके।

ऋण एवं अग्रिम पंजियों में ऋणवार जानकारी जैसे ऋण की स्वीकृत राशि, स्वीकृति का दिनांक, अवधि, ब्याज की दर, मूलधन के लिए किश्तें ऋण का पुनर्भुगतान, जमा ब्याज, ऋण, ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज इत्यादि के समयबद्ध वसूली के लिए शर्तें (यदि कोई) दर्ज होनी चाहिए।

पुनः, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, खंड-I, (अध्याय-13) के नियम 229 के टिप्पणी 2 के अनुसार ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को फार्म एम.पी.एफ.सी-10 (अ) में ऋणों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति वित्त विभाग को दी जाएगी।

हमारे द्वारा नमूना जांच में लिए गए सात ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सहकारिता तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ऋण एवं अग्रिमों संबंधी पंजियाँ, निर्दिष्ट प्रपत्रों में संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है परंतु पाँच विभागों[10] द्वारा ऋणों संबंधी पंजियों का संधारण/ अद्यतन नहीं किया गया है। वित्त विभाग द्वारा इन विभागों के अभिलेखों के संधारण तथा विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की गई

10 कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी तथा परिवहन

थी। विवरणों के अभाव में स्वीकृत आदेश, स्वीकृत ऋण की राशि, ब्याज की दर/दांडिक ब्याज की दर, पुनर्भुगतान की अवधि, स्थगन अवधि, देय राशि वसूली इत्यादि की जानकारी ऋण एवं अग्रिम पंजियों में नहीं होने से, मूलधन एवं ब्याज की किश्तों की मांग एवं वसूली ऋण स्वीकार करने वाले विभागों की निगरानी में नहीं है। उसी प्रकार वर्ष
2007-08 से 2011-12 के मध्य नमूना जाँच किए गए सात ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा बकाया मूलधन एवं ब्याज का निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी फार्म एम.पी.एफ.सी.-10 (अ) में बकाया मूलधन एवं ब्याज संबंधी जानकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012) कि संबंधित विभागों को पंजियों के रखरखाव हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा अभिलेखों का संधारण तथा विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है जिससे ऋणों तथा उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान का परिवीक्षण किया जा सके।

7.12.6 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे द्वारा मार्च से जून 2012 के मध्य जांच में पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा वित्त विभाग एवं नमूना जांच में लिए गए ऋण स्वीकार करने वाले विभागो में स्थापित नहीं था। परिणामस्वरूप ऋण स्वीकार करने वाले विभाग, ऋण पंजियों का संधारण, बकाया मूलधन एवं ब्याज वसूली हेतु समय पर मांग पत्र जारी करना तथा समय पर वित्त विभाग को प्रतिवेदन एवं विवरणीयाँ प्रस्तुत करने जैसी कमियों को पकड़ने में असफल रहे।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012), कि ऋण की स्वीकृति एवं पुनर्भुगतान पर निगरानी हेतु अलग से एक ऋण प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। अन्यथा निदेशक, वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण और अग्रिमों पर परिविक्षण रखा जाएगा।

7.12.7 ऋणों में निबंधनों एवं शर्तो के प्रावधानों का अभाव

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, खंड -I (अध्याय-13) के नियम 220 के अनुसार, शासन द्वारा प्रदाय ऋणों की स्वीकृति आदेशों में ऋण राशि की निबंधन एवं शर्तें जैसे कि किश्तों की संख्या, किश्तों की राशि, ऋण की अवधि, ब्याज की दरें, ऋण वसूली न होने की स्थिति में आरोपणीय दांडिक ब्याज, प्रथम किश्त चालू का दिनांक, स्थागन अवधि आदि दर्ज होनी चाहिए।

नमूना जांच में शामिल ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा जारी ऋणों के स्वीकृति आदेशों की जाँच में हमने पाया कि, आदेशों में निबंधनों एवं शर्तों को सही तरीके से निर्दिष्ट नहीं किया गया, या अनुचित प्रावधान किए गए थे जिनकी चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गई है:

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

7.12.7.1 ऋण की देय ब्याज का उल्लेख निबंधनों एवं शर्तों में निर्धारित करने में विफलता के कारण दांडिक ब्याज वसूल न होना

कार्यालय संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों की जांच के दौरान हमने पाया (जून 2012) कि, वर्ष 2009-10 में छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को राशि ₹ 500 करोड़ का ऋण वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किया गया था। ऋणों के स्वीकृत आदेशों की शर्तों के अनुसार दिये गये ऋण पर आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ऋण की अदायगी उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च 2010 तक या इसके पूर्व जमा किया जाना था। निगम द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में (27 मार्च 2010) मूलधन तथा ब्याज की राशि ₹ 12.76 करोड़ 353 दिनों के पश्चात जमा (मार्च 2011) किया गया। आदेश में ब्याज की अदायगी हेतु कोई समयावधि नहीं होने से विभाग निगम से ब्याज की राशि जमा किये जाने हेतु मांग जारी नहीं कर सका। मूलधन के भुगतान के साथ यदि इसको शामिल किया जाता तो, दंड ब्याज प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की दर से राशि ₹ 37 लाख वसूल किए जा सकते थे।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012), कि स्वीकृत आदेशों का नमूना/प्रारूप सभी ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को प्रेषित किया जावेगा।

लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी विभाग

7.12.7.2 ऋण के स्वीकृति हेतु निबंधनों एवं शर्तों में विसंगति

वित्त विभाग की सहमति से वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी ऋण स्वीकृत आदेशों, की जांच में हमने पाया (मई 2012) कि 11 स्वीकृत आदेशों में ऋण के निबंधनों एवं शर्तो में विसंगतियाँ हैं। आदेशों में विभाग द्वारा ऋण के प्रत्येक प्रकरण में पुनर्भुगतान हेतु स्थगन अवधि स्पष्ट नहीं दर्शाई गई है, जिससे ऋण ग्रहीता को अनुचित लाभ पहुँचाया जा सकता है। उसी प्रकार स्वीकृति आदेशों में ऋण की अवधि तथा स्थगन अवधि समान दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वापसी हेतु किश्तों की संख्या एवं किश्तों की राशि प्रति वर्ष दर्ज करने में चूक से वापसी योग्य राशि की गणना करने में कठिनाई हुई। अतः स्वीकृति आदेशों में विशिष्ट एवं स्पष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अभाव में ऋण की वसूली लेखापरीक्षा की तिथि तक विभाग नही कर सका (मई 2012)।

लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी विभाग द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु मानक प्रारूप अपनाए नहीं गये थे, परिणामस्वरूप विभिन्न स्वीकृति आदेशों में ऋण संवितरण हेतु निबंधन एवं शर्तो में अंतर था। शेष छः ऋण स्वीकृति करने वाले विभागों ने भी अलग-अलग प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किए थे।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मई 2012) कि ऋण स्वीकृति संबंधी आदेशों का प्रारूप जो संयुक्त मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रचलन में था, को अपनाया गया था।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012) कि स्वीकृति आदेशों का नमूना/प्रारूप सभी ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को प्रेषित किया जाएगा।

7.12.8 ब्याज के भुगतान की मांग न किया जाना

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड-I अध्याय-13 के नियम 226(2) के अनुसार, ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा ब्याज, ऋण राशि की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही करना चाहिए। ऋण ग्रहीता द्वारा समय पर दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने पर स्वीकृति आदेशों में दर्ज दांडिक ब्याज वसूलनीय है ।

ऋण स्वीकृति आदेशों में निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार, ऋण का पुनर्भुगतान एक वर्ष पश्चात समान वार्षिक किश्तों में तथा उस पर उपार्जित ब्याज नौ से 14.5 प्रतिशत की दर से ऋण ग्रहीता को पुनर्भुगतान करना है। यदि देय दिनांक तक मूलधन एवं ब्याज की राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहता है तो वह दांडिक ब्याज तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंबित देय किश्त वसूलनीय है।

हमारे द्वारा पाँच ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों[11] द्वारा जारी स्वीकृत आदेशों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2003 से 2010 के मध्य राशि ₹ 275.59 करोड़ का ऋण प्रदाय किया गया। ऋण ग्रहीता द्वारा ऋण राशि एक वर्ष से चार वर्ष के पश्चात वापस की जानी थी परंतु उनके द्वारा लेखापरीक्षा दिनांक तक (मार्च-जून 2012), ऋण राशि की एक भी किस्त जमा नहीं की गई थी। विभागों द्वारा मूलधन की राशि ₹ 151.35 करोड़, ब्याज की राशि ₹ 91.80 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 6.41 करोड़ की मांग एवं वसूली नहीं की गयी (जैसाकि ***परिशिष्ट 7.5*** में दर्शित)।

शासन ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि संबंधित विभागों, जैसे वाणिज्य एवं उद्योग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास को दिनांक 27 सितम्बर 2012 को बकाया वसूली हेतु पत्र जारी किया जा चुका है। उसी प्रकार परिवहन विभाग के ऋण के पुनर्भुगतान हेतु शासन द्वारा यह स्पष्ट किया कि ऋण ग्रहीता की अचल संपत्तियों से विलंबित देय को समायोजित किया जाएगा।

शासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि सहकारिता विभाग के प्रकरण में ऋण् के पुनर्भुगतान की अवधि वर्ष 2011-12 तक पुनः निर्धारित की गई है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि पुनः निर्धारण सिर्फ एक प्रकरण, जिसकी राशि ₹ पाँच करोड़ है, के लिए किया है। इस प्रकार ऋण की राशि, ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि संबंधित ऋण ग्रहीता

[11] वाणिज्य एवं उद्योग , सहकारिता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास

संस्थाओं से वसूल किया जाना शेष है। आगे, एक अन्य प्रकरण में शासन द्वारा सूचित किया गया कि ऋण कि राशि वर्ष 2007-08 में स्वीकृत किया गया एवं वर्ष 2010-11 में निबंधन एवं शर्तों को निर्णित किया गया। ऋण ग्रहीता द्वारा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए देय मूलधन एवं ब्याज की राशि समय पर जमा की गयी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि निबंधन एवं शर्तों के अनुसार (अक्टूबर 2010) ऋण का पुनर्भुगतान ऋण के स्वीकृति दिनांक अर्थात जनवरी 2009 से एक वर्ष पश्चात से किया जाना था।

7.12.9 ब्याज की कम वसूली

ऋण की राशि का पुनर्भुगतान, ऋण स्वीकृति आदेशों में दर्ज निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यदि ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक होती है तो, तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज की वसूली की जाएगी।

हमारे द्वारा दो[12] विभागों के स्वीकृति आदेशों की जांच में पाया कि विभागों द्वारा वर्ष 2002-03 से 2010-11 के मध्य ₹ 1,112.74 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। ब्याज की राशि का भुगतान, ऋण भुगतान के दिनांक से किया जाना था, न की राशि बैंक/कोषालय में वास्तविक प्राप्ति दिनांक से। विभागों द्वारा ऋण ग्रहीताओं से ब्याज की राशि ₹ 4.17 करोड़ के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी नहीं किये गये। ब्याज की राशि के भुगतान नहीं होने पर दांडिक ब्याज की राशि ₹ 12 लाख मार्च 2012 तक विभागों द्वारा आरोपित नही किया गया (जैसा कि **परिशिष्ट-7.6** में दर्शित है)।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उत्तर (अगस्त 2012) में बताया कि अभी तक दो प्रकरणों में राशि ₹ 92.47 लाख वसूल की गई।

12 सहकारिता तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

भाग - ख

व्यय

8.1 कर प्रशासन

वन विभाग मुख्य रूप से वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, काष्ठ एवं अन्य वनोपज का विदोहन तथा वनों की स्थायी वृद्धि में व्यय करता है।

वन विभाग, मुख्य सचिव(वन) के अधीन कार्य करता है। रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) विभाग के पूर्णरूपेण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर प्र.मु.व.सं. के सहायक के रूप में अतिरिक्त प्र.मु.व.सं. एवं मु.व.सं. रहते हैं।

राज्य का वन क्षेत्र बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर एवं सरगुजा में स्थित छः वन संरक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। राज्य का वन क्षेत्र 32 वनमंडलों में विभाजित है। वनमंडलों के प्रशासन, वनोपज के विक्रय, राजस्व संग्रहण के साथ-साथ वनों की सुरक्षा, संरक्षण, स्थायी वृद्धि तथा काष्ठ विदोहन पर व्यय का उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.) का है। व.मं.अ. की सहायता हेतु वनमंडल में उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) रहते हैं। वनों की सुरक्षा के अतिरिक्त, वन क्षेत्रपाल रोपण कार्य, वृक्षों के अंकन एवं विदोहन, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के कूपों[1] से काष्ठागारों में परिवहन आदि हेतु उत्तरदायी है। कार्य आयोजना वृत्त (बिलासपुर)एवं कार्य आयोजना वनमंडलों का उत्तरदायित्व कार्य आयोजनाओं को समय सीमा के अंदर तैयार करना होता है। विभाग निम्न अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों का पालन करता हैः

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता, 2004;
- वन मैन्युअल; एवं
- राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण के संबंध में शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/दिशा निर्देश

8.2 वन विभाग में व्यय की प्रवृत्ति

वन विभाग में 2007-08 से 2011-12 की अवधि में व्यय की स्थिति निम्न तालिका में वर्णित हैः

[1] कार्य आयोजना में वन क्षेत्र को विभिन्न कार्य वृत्तों में विभक्त किया जाता है। कार्यवृत्तों को कक्षों में तथा कक्षों को कूपों में विभक्त किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	आवंटन	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय आबंटन के प्रतिशत के रूप में
2007-08	556.88	501.30	467.54	93.27
2008-09	649.20	614.62	566.43	92.16
2009-10	716.37	659.53	647.14	98.12
2010-11	852.02	665.86	676.31	101.57
2011-12	1065.13	772.03	763.98	98.96

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में वास्तविक व्यय, बजट अनुमानों से क्रमशः 21 एवं 28 प्रतिशत कम था। वर्ष 2010-11 को छोड़कर वास्तविक व्यय आबंटन से कम था। वर्ष 2010-11 में विभाग का आयोजनेत्तर व्यय बढ़ जाने के कारण वास्तविक व्यय आबंटन से अधिक हुआ।

8.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अनियमित, निष्फल, संदिग्ध व्यय आदि के 310 प्रकरणों को, जिनमें राशि ₹ 219.52 करोड़ समाहित है, इंगित किया है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	प्रकरणों की संख्या	आक्षेपित राशि
2007-08	1	10	1.11
2008-09	12	82	63.82
2009-10	7	39	12.93
2010-11	19	179	141.66
योग	**39**	**310**	**219.52**

8.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 में वन विभाग की 15 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जिसमें अनियमित, निष्फल, संदिग्ध व्यय आदि के 143 प्रकरण, जिनमें ₹59.33 करोड़ की राशि सन्निहित थी, पाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अनियमित व्यय	35	14.37
2	परिहार्य व्यय	22	4.65
3	निष्फल व्यय	17	11.16
4	अधिक व्यय	18	4.95
5	अन्य अनियमितताएं	51	24.20
	योग	**143**	**59.33**

अनियमित, निष्फल, निरर्थक, संदिग्ध व्यय, क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत की कम वसूली आदि के राशि ₹14.48 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

8.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने विभिन्न व.म.अ. के अभिलेखों की जांच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के अनेक प्रकरण पाये गये जिनमें क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत की कम वसूली, रोपण कार्यों, सड़क निर्माण कार्यों, अन्य वानिकी कार्यों के सम्पादन आदि में अनियमित, निरर्थक, संदिग्ध व्यय हुआ जिनका वर्णन इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। वनमंडलाधिकारियों द्वारा हुई इस प्रकार की अनियमितताएं हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है किन्तु ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

8.6 आपदा राहत मद से अस्वीकृत कार्यों पर अनियमित व्यय

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने निर्देशित किया (जून 2005) कि आपदा राहत कोष में से व्यय चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, अतिवृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और कीटों के हमले के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षतिग्रस्त बुनियादी अधोसंरचना और पूँजीगत संपत्ति की मरम्मत पर व्यय सामान्य बजट मद से किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि किया गया व्यय तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जा रहा हो। और यह भी कि आपदा तैयारियों एवं शमन के लिए प्रावधान राज्य आयोजना में किया जाना चाहिए न कि आपदा राहत के भाग के रूप में। आगे, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27 जून 2007 द्वारा राज्य सरकारों को पुनः निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा राहत कोष से केवल स्वीकृत मदों एवं मापदंड के अनुसार ही व्यय हो।

चार[2] वनमंडलाधिकारियों ने 627 कार्यों के लिए राशि ₹20.74 करोड़ का प्रस्ताव[3] संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया। इन वनमंडलाधिकारियों के प्रस्ताव, रोकड़ बही, भुगतान हेतु पारित प्रमाणकों एवं परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना जांच अगस्त 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य में किये जाने पर हमने पाया कि वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वे कार्य भी सम्मिलित थे जो न ही आपदा राहत मद की स्वीकृत सूची (277 कार्य) में थे और न ही तत्काल स्वरूप (48 कार्य) के थे। तथापि, संबंधित कलेक्टरों ने उपरोक्त

2 धमतरी, पूर्व भानुप्रतापपुर, रायपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर।

3 वर्ष 2008-09 में पूर्व भानुप्रतापपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर, वर्ष 2010-11 में धमतरी एवं रायपुर।

प्रस्तावों के लिए राशि स्वीकृत की और वनमंडलाधिकारियों ने उपरोक्तानुसार 325 कार्यों पर कार्य करते हुए राशि ₹10.76 करोड़[4] का व्यय किया (विवरण **परिशिष्ट-8.1** में दर्शाया गया है)।

उपरोक्त कार्य विभाग के नियमित स्वरूप के कार्य थे जिसके लिए प्रतिवर्ष राज्य शासन से बजट स्वीकृत होता है। और यह भी कि ये कार्य न तो स्वीकृत कार्यों की सूची में थे और न ही तत्काल स्वरूप के थे जिन्हें आपदा राहत मद से किया जाना था और ना ही प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को आकस्मिक राहत देने के लिए प्रावधानित थे। इस प्रकार भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर आपदा राहत मद से राशि ₹10.76 करोड़ का किया गया व्यय अनियमित था।

जब इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (अगस्त 2011, अक्टूबर 2011 एवं जनवरी 2012), वनमंडलाधिकारी, रायपुर एवं पूर्व भानुप्रतापपुर ने उत्तर दिया कि शासन से प्रशासकीय अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य कराया गया। वनमंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर ने उत्तर दिया कि गर्मी के दिनों में पानी संग्रहण करने, मवेशियों को पेयजल उपलब्ध कराने एवं नाला के बढ़ते कटाव को रोकने के लिए उपरोक्त कार्य कराया गया। धमतरी के प्रकरण में शासन ने तथ्यात्मक विवरण के संबंध में उत्तर दिया कि कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एवं कलेक्टर की स्वीकृति के पश्चात कराये गये हैं।

तथ्य यह है कि उपरोक्त सभी कार्य विभाग के नियमित कार्य थे और पीड़ितों को किसी आपदा से तत्काल राहत देने के लिए नहीं थे। केवल वे क्षतिग्रस्त/मरम्मत कार्य ही तत्काल राहत कार्य के अंतर्गत आते हैं जिन्हें प्राकृतिक आपदा घटित होने के 30 से 60 दिनों की अवधि में मरम्मत करने की आवश्यकता होती है परंतु इन प्रकरणों में विभाग ने इन कार्यों को एक वर्ष के बाद किया।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.7 क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि की कम वसूली

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमियों के प्रत्यावर्तन की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग ने निर्देशित किया (मार्च 2002) कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थानों से वर्ष 2001-02 में असिंचित वृक्षारोपण के लिए ₹29,725/- प्रति हेक्टेयर की दर से राशि वसूल की जावे। उक्त दरों में मजदूरी दरों में वृद्धि हेतु 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जावे एवं कुल योजना राशि का 25 प्रतिशत आकस्मिक व्यय, आस्थामूलक कार्यों तथा अनुसंधान एवं विस्तार हेतु रखा जावेगा।

वनमंडल कार्यालय कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ के गैरवानिकी कार्यों हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने पाया कि वर्ष

4 स्वीकृत सूची में नहीं- ₹920.33 लाख एवं तत्काल प्रकृति में सम्मिलित नहीं- ₹156.31 लाख।

2005-06 एवं 2008-09 की अवधि में चार प्रकरणों में 420.975 हेक्टेयर वनभूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु इस शर्त पर प्रत्यावर्तित किये गये थे कि आवेदक संस्था दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र[5] में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि का वहन करेगा। प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले आवेदक संस्थाओं से 843.658 हेक्टेयर बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि ₹4.70 करोड़ वसूली की जानी थी। वर्ष 2001-02 हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण की दर ₹29,725/- निर्धारित थी। तथापि, विभाग ने वसूली की मांग करते समय वर्ष 2001-02 की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये बिना वर्ष 2002-03 हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि ₹29,725/- की दर से गणना की। परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि ₹85.98 लाख की कम वसूली हुई (विवरण **परिशिष्ट-8.2** में दर्शाया गया है)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मार्च 2012) शासन ने कहा (जुलाई 2012) कि उक्त निर्देश के अनुसार वर्ष 2001-02 हेतु निर्धारित दर में 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2002-03 एवं आगामी वर्षों के लिए दर निर्धारित किया गया। उक्त दर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत महंगाई दर जोड़कर कुल दर निर्धारित किया गया। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मार्च 2002 में जारी निर्देशानुसार वर्ष 2001-02 हेतु असिंचित वृक्षारोपण की दर राशि ₹ 29,725/- प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी थी, जबकि विभाग द्वारा उपरोक्त निर्धारित दर को वर्ष 2002-03 की दर मान कर आगे के वर्षों की गणना की। विभाग द्वारा गलत गणना किये जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। शासन ने लेखापरीक्षा में इंगित आक्षेप के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आगे का उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.8 प्रमाणकों में संदिग्ध व्यय

छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा श्रमिकों को जॉब दर पर रखा जाकर विभागीय कार्य कराया जाता है एवं भुगतान प्रमाणकों के द्वारा किया जाता है जिसके साथ श्रमिक सूची लगी रहती है इस सूची में श्रमिकों के नाम, पिता का नाम, गाँव, किया गया कार्य, कार्य अवधि, भुगतान की गयी राशि एवं हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान आदि का विवरण दिया जाता है।

8.8.1 कांकेर वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों के कैश कॉपी एवं प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान (सितम्बर 2011) निम्न कमियां पायीं गईं:

[5] प्रत्यावर्तित वनभूमि के दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वनीकरण।

स.क्र.	प्रमा.क्र.	कार्य स्थल	कार्य विवरण	कार्य अवधि	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गयी राशि (₹ में)
1	KK/76	कक्ष क्र.85	गड्ढ़ा खुदाई	12.02.11 से 23.02.11	38	46, 873
	KK/99	कक्ष क्र.85	ठूंठ ड्रेसिंग	04.02.11 से 13.02.11	42	50,000
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 18 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था।					
2	NP/153	ना.व.ख. 590	गड्ढा खुदाई	11.03.11 से 14.03.11	30	31,390
	NP/160	ना.व.ख. 590	मिट्टी एवं खाद मिश्रण से गड्ढा भराई	11.03.11 से 14.03.11	40	38,500
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार आठ श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
3	KK/213	कक्ष क्र.11	बोल्डर एकत्रीकरण	13.03.11 से 21.03.11	28	28,615
	KK/221	कक्ष क्र.11	चेक डैम निर्माण	06.03.11 से 14.03.11	28	37,372
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 26 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
4	KK/214	कक्ष क्र.11	चेक डैम निर्माण	06.03.11 से 13.03.11	30	36,456
	KK/223	कक्ष क्र.11	बारबेड वायर फिक्स करने का कार्य	06.03.11 से 12.03.11	30	31,500
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 29 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था (विवरण **परिशिष्ट-8.3** में दर्शाया गया है)					
योग						**3,00,706**

परिणामस्वरूप उपरोक्त चार प्रकरणों में राशि ₹3.01 लाख का संदिग्ध भुगतान हुआ क्योंकि एक ही श्रमिक एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यस्थलों में अलग-अलग कार्य नहीं कर सकते।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2011), वनमंडलाधिकारी ने कहा कि कार्य जॉब दर में कराया गया है एवं त्रुटिवश श्रमिक सूची में समान श्रमिकों के नाम दर्शाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कराये गये कार्य का सत्यापन उपमंडलाधिकारी द्वारा

किया गया है। हम वनमंडलाधिकारी के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि समान श्रमिकों से एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यस्थल पर कार्य लिया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (अप्रैल एवं जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.8.2 कोरिया वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों के कैश कॉपी एवं प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान (फरवरी 2011) हमने पाया कि नाम एवं कार्य दिनांक, किये गये कार्य की मात्रा आदि विवरण श्रमिक सूची में सही तरीके से अंकित नहीं किये गये थे। प्रमाणक एवं कैश कॉपी की आगे जांच में निम्न कमियां पायी गयीः

स.क्र.	प्रमा.क्र.	कार्यस्थल	कार्य विवरण	कार्य अवधि	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गयी राशि (₹ में)
वनमंडलः कोरिया						
1	KH/39 मार्च, 10	कक्ष क्र. 664	चेक डैम निर्माण	06.02.10 से 20.02.10	34	48,002
	KH/40 मार्च 10	कक्ष क्र. 664	चेक डैम निर्माण	04.02.10 से 20.02.10	26	45,826
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 16 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
2	KH/74 फर.10	कक्ष क्र. 657	घास एवं लेण्टाना उन्मूलन	03.09.09 से 11.09.09	30	23,390
	KH/76 फर.10	कक्ष क्र. 651	घास एवं लेण्टाना उन्मूलन	02.09.09 से 16.09.09	30	42,961
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 21 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
3	CH/84 मार्च, 10	कक्ष क्र. 533	कंटूर ट्रेंच निर्माण	21.12.09 से 28.12.09	35	14,278
	CH/85 मार्च,10	कक्ष क्र. 533	कंटूर ट्रेंच निर्माण	25.12.09 से 31.12.09	38	18,373
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 12 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
			योग			**1,92,830**

परिणामस्वरूप उपरोक्त तीन प्रकरणों में राशि ₹1.93 लाख का संदिग्ध भुगतान हुआ क्योंकि एक ही श्रमिक एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यस्थलों में अलग-अलग कार्य नहीं कर सकते।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2012), शासन ने तथ्यात्मक विवरण के जवाब में कहा (जून 2012) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर विभाग द्वारा जांच की गयी। प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन (मई 2012) के अनुसार राशि ₹1.14 लाख का संदिग्ध भुगतान पाया गया एवं उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किया गया है।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। प्रारूप कंडिका के संबंध में हमें उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

8.9 वृक्षारोपण पर संदिग्ध व्यय

वनमंडल के कार्य आयोजना में कक्षवार वनस्पति की स्थिति, वनों के प्रकार तथा घनत्व एवं वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र का विस्तृत विवरण दिया जाता है। इस आधार पर वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्यों हेतु कक्षों का निर्धारण किया जाता है।

वनमंडल मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया के कार्य आयोजना (2005-06 से 2014-15), कक्ष इतिहास, रोकड़ बही एवं भुगतान हेतु पारित प्रमाणकों के नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने ऐसे प्रकरण पाये जिसमें वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र की अनुपलब्धता के बावजूद वृक्षारोपण कार्य कराये गये जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

8.9.1 वन संरक्षक (व.सं.), सरगुजा ने बिगड़े वनों का सुधार (आर.डी.एफ.) क्षेत्र के 2000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य की स्वीकृति (जनवरी 2009) वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) मनेन्द्रगढ़ को प्रदान की। वनमंडलाधिकारी ने उक्त राशि तीन परिक्षेत्रों के 16 आर.डी.एफ. कक्षों के 2000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया (जनवरी 2009)। इन 16 कक्षों में से एक कक्ष (पी-1296) था जिसके 200 हेक्टेयर में 80,000 पौधों का रोपण करते हुए तीन वर्षों में (2009-10 से 2011-12) राशि ₹25.80 लाख का व्यय किया गया था।

वनमंडल मनेन्द्रगढ़ के वृक्षारोपण अभिलेखों के साथ-साथ वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन की नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने पाया कि उपरोक्त वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। आगे, परियोजना प्रतिवेदन में यह भी देखा गया कि कक्ष के सर्वेक्षण के आधार पर 60 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु परियोजना तैयार की गयी परंतु विभाग द्वारा 200 हेक्टेयर में रोपण कार्य लिया जाना दर्शाया गया। स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार कक्ष का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः

(क्षेत्रफल हे. में)

कक्ष क्र.	कुल रकबा	कार्य अयोग्य क्षेत्रफल				कार्य योग्य क्षेत्रफल
		पूर्व का वृक्षारोपण (कार्य आयोजना प्रारंभ होने के पूर्व)	अतिक्रमण	नदी नाला का क्षेत्र	कुल	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)
पी/1296	230.60	40.00	5.658	7.425	53.08	177.52

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कक्ष में वृक्षारोपण हेतु 177.52 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध था। आगे नमूना जांच किये जाने पर पाया गया कि उसी कक्ष में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्रमशः 50 एवं 36 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य किया जा चुका था। अतः वर्ष 2009-10 में वृक्षारोपण हेतु अधिकतम क्षेत्र मात्र 91.52 हेक्टेयर[6] उपलब्ध था। तथापि, विभागीय अभिलेखों के अनुसार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया गया जो संभव नहीं था। इस प्रकार, उपलब्ध क्षेत्र में से ज्यादा 108.48 हेक्टेयर[7] क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ एवं उस पर किया गया व्यय राशि ₹13.99 लाख[8] संदेहपूर्ण था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि प्रकरण में वन संरक्षक के नेतृत्व में जांच किया गया एवं पाया गया कि केवल 91.52 हेक्टेयर में उपचार कार्य करते हुए 80,000 पौधे रोपित किये गये। कक्ष में अतिरिक्त 108 हेक्टेयर में कार्य दर्शाये जाने एवं अनियमित व्यय हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

उत्तर से स्पष्ट है कि अनुमोदित 200 हेक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध 91.52 हेक्टेयर में उपचार कार्य किया गया। वस्तुतः वृक्षारोपण कार्य पर राशि ₹11.81 लाख[9] का व्यय होना चाहिए था जिसके विरूद्ध उपचार कार्य पर कुल अनुमोदित राशि ₹25.80 लाख व्यय होना दर्शाया गया। परिणामस्वरूप उक्त कार्य पर राशि ₹ 13.99 लाख का संदिग्ध व्यय हुआ।

8.9.2 वन संरक्षक, सरगुजा ने वनमंडल कोरिया के 280 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस वृक्षारोपण हेतु राशि ₹32.70 लाख (₹19.54 लाख प्रथम वर्ष कार्य एवं ₹13.16 लाख द्वितीय वर्ष कार्य) स्वीकृत किया (अगस्त 2008 एवं मई 2009)। वनमंडलाधिकारी कोरिया ने तीन परिक्षेत्रों के बाँस वनों का पुनरोद्धार कार्यवृत्त के पांच[10] कक्षों के 280 हेक्टेयर में बाँस वृक्षारोपण का कार्य लिये जाने हेतु उक्त राशि आवंटित किया (सितम्बर 2008)।

कोरिया वनमंडल के वृक्षारोपण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (फरवरी 2011) कि चार[11] कक्षों के 200 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया गया। कोरिया वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना (अवधि 2005-06 से 2014-15 के लिए) के अनुसार उन

[6] 177.52 - (50 + 36) = 91.52

[7] 200 - 91.52 = 108.48

[8] (₹25,79,907 ÷ 200) = ₹12,899 X 108.48 = ₹13,99,283

[9] ₹12,899 X 91.52 = ₹11,80,516

[10] पी-300, पी-295, पी-74, पी-197 तथा पी-56,64

[11] पी-300, पी-295, पी-74, पी-197

चार कक्षों का कुल रकबा 1249.43 हेक्टेयर था, जिसमें से 1170.580 हेक्टेयर वन आच्छादित था, 26.670 हेक्टेयर में नदी/नाला एवं केवल 35.52 हेक्टेयर में विरल वन/रिक्त[12] क्षेत्र था जहां वृक्षारोपण संभव था। इसके विरूद्ध वृक्षारोपण पंजी के अनुसार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया जाना दर्शाया गया। इस प्रकार, उन कक्षों में क्षेत्र की अनुपलब्धता के बावजूद 164.48 हेक्टेयर[13] में 65,792 बाँस पौधों का रोपण हुआ। परिणामस्वरूप, ऐसे वृक्षारोपण कार्य पर किया गया व्यय राशि ₹18.48 लाख का व्यय संदिग्ध था (विवरण **परिशिष्ट-8.4** में दर्शाया गया है)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेप प्राप्त होने के उपरांत वनमंडलाधिकारी द्वारा पुनः क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं उनके प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कूपों में बाँस रोपण हेतु पर्याप्त खुला वन उपलब्ध है। वैसे भी बाँस अंडर स्टोरी[14] का पौधा है, जो अन्य वृक्षों के साथ आता है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार इन कक्षों में मात्र 35.52 हेक्टेयर बिगड़े वन/रिक्त क्षेत्र उपलब्ध था। वृक्षारोपण कार्य (2008-09), कार्य आयोजना के प्रारंभ होने (2005-06) के मात्र तीन वर्ष बाद ही किया गया। जबकि, इन तीन वर्षों में उक्त कक्षों में विरल वन/रिक्त क्षेत्र 35.52 हेक्टेयर से बढ़कर 200 हेक्टेयर हो जाने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाए गए।

8.10 बांस वृक्षारोपण पर निरर्थक व्यय

वन संरक्षक, सरगुजा ने बिगड़े बांस वनों का सुधार योजना (6724) के अंतर्गत आर.डी.बी.एफ. कार्यवृत्त के 2005 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण हेतु राशि ₹1.40 करोड़ मनेन्द्रगढ़ वनमंडल को स्वीकृत किया (दिसम्बर 2008)। वृक्षारोपण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (फरवरी 2011) कि वनमंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ ने उक्त राशि 14 आर.डी.बी.एफ. कक्षों के 2005 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण हेतु आबंटित किया (जनवरी 2009)। इन 14 कक्षों में से एक कक्ष (पी/1043) था जिसके 100 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण कार्य लिया जाकर राशि ₹13.05 लाख का व्यय किया गया।

कार्य आयोजना एवं कक्ष इतिहास की नमूना जांच किये जाने पर हमने पाया कि वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार कक्ष क्र. पी/1043 का कुल रकबा 224.24 हेक्टेयर था। वनमंडल के वृक्षारोपण अभिलेखों के अनुसार उक्त कक्ष में वर्ष 2004-05 एवं 2010-11 के मध्य 300 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य लिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

12 ऐसा वनक्षेत्र जहां कोई पेड़ पौधे न हों

13 200 हे.- 35.52 हे. = 164.48 हे.

14 अंडर स्टोरी पौधे वे पौधे हैं जिन्हें उच्च मितान पौधों के नीचे रोपित किया जा सके

कक्ष क्र.	कुल क्षेत्रफल (हे.)	वर्ष	वृक्षारोपण कार्य				वृक्षारोपण हेतु लिया गया अधिक क्षेत्र (हे.)
			क्षेत्रफल (हे.)	पौधों की संख्या	प्राप्त राशि (₹ में)	व्यय राशि (₹ में)	
पी-1043	224.24	2004-05 से 07-08	200	80000	1267500	1221943	
		2008-09 से 10-11	100	40000	1318500	1305234	
	224.24	योग	**300**	**120000**	**2586000**	**2527177**	**75.76**

इसी प्रकार, वर्ष 2009-10 में उसी योजना के अंतर्गत वन संरक्षक ने आर.डी.बी.एफ. कार्यवृत्त के 2793 हेक्टेयर में बांस वनों का पुनरोद्धार कार्य (वृक्षारोपण रहित) हेतु राशि ₹76.81 लाख की स्वीकृति दी। वनमंडलाधिकारी ने उक्त राशि से आठ कक्षों के 972.27 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य लिया। इन आठ कक्षों में से एक कक्ष, कक्ष क्र. पी/1006 के 120 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण कार्य लिया जाकर राशि ₹16.13 लाख का व्यय किया गया।

अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने पाया कि वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार आर.डी.बी.एफ. क्षेत्र के कक्ष क्र. पी/1006 का कुल क्षेत्रफल 234.92 हेक्टेयर था। तथापि, वनमंडल के वृक्षारोपण अभिलेखों से यह पाया गया कि उक्त कक्ष में वर्ष 2003-04 एवं 2010-11 के मध्य 320 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य लिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

कक्ष क्र.	कुल क्षेत्रफल (हे.)	वर्ष	वृक्षारोपण कार्य				वृक्षारोपण हेतु लिया गया अधिक क्षेत्र (हे.)
			क्षेत्रफल (हे.)	पौधों की संख्या	प्राप्त राशि (₹ में)	व्यय राशि (₹ में)	
पी-1006	234.92	2003-04 से 06-07	200	80000	1900000	1899996	
		2009-10 से 10-11	120	48000	1692000	1612756	
	234.92	योग	**320**	**128000**	**3592000**	**3512752**	**85.08**

उपरोक्त विवरण यह दर्शित करता है कि कक्ष क्र. पी/1043 एवं पी/1006 में उपलब्ध क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र में क्रमशः 75.76 हेक्टेयर एवं 85.08 हेक्टेयर वृक्षारोपण कार्य लिया गया जो संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में उपलब्ध क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पर किया गया व्यय राशि ₹21.32 लाख[15] संदिग्ध प्रतीत होता है।

---

15 पी/1043 - (₹1305234/100 हे.) = ₹13052 X 75.76 = ₹ 9,88,845
पी/1006 - (₹1612756/120 हे.) = ₹13439 X 85.08 = ₹11,43,344
योग = ₹21,32,189

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि आपत्तियों की तथ्यात्मक जांच करने हेतु उपवनमंडलाधिकारियों की समिति गठित करते हुए रोपण स्थलों का निरीक्षण कर सत्यापन किया गया। समिति ने प्रतिवेदित किया कि उक्त दोनों स्थलों पर पूर्व वृक्षारोपण में रोपित पौधे नहीं पाये गये लेकिन बाद के वर्षों में रोपित पौधे पाये गये। उक्त कक्षों में पुनःरोपण करने से पूर्व असफल रोपण पर किया गया व्यय नियमानुसार अपलेखन कराया जाकर योजना स्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस अनियमितता हेतु जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। आगे, राशि ₹21.32 लाख की वसूली का प्रतिवेदन अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.11 दो डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग पर अनियमित एवं संदिग्ध व्यय

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 4 के अनुसार जिन सामग्रियों की दरें छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है उन सामग्रियों का क्रय निविदा/कोटेशन के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि क्रय की जाने वाली सामग्री का वार्षिक मूल्य ₹ 50,000/- से अधिक हो तो क्रय केवल खुली निविदा के द्वारा किया जाना चाहिए। क्रय समिति द्वारा निविदा की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात, उस सामग्री के लिए प्रदायकर्ता को क्रय आदेश जारी किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसम्बर 2002) के अनुसार विभागीय कार्य में प्रयुक्त गौण खनिज के लिए राज्यांश देय है। कलेक्टर से राज्यांश चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना प्रदायकर्ता को कोई भुगतान नहीं की जानी चाहिए।

कलेक्टर (बजट अनुभाग), रायपुर ने 251 क्षतिग्रस्त अधोसंरचना के मरम्मत हेतु राशि ₹6.98 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति वनमंडलाधिकारी, रायपुर को प्रदान की (जून 2010)। स्वीकृत राशि में से राशि ₹55.67 लाख एवं ₹17.58 लाख क्रमशः 'बार से घिरघोल 19 कि.मी.' डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग तथा 'तुरतुरिया से ठाकुरदिया 6 कि.मी.' डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग के मरम्मत हेतु स्वीकृत किया गया।

वनमंडल, रायपुर (सामान्य) के आबंटन, परियोजना प्रतिवेदन, रोकड़ बही एवं प्रमाणकों आदि की नमूना जांच (जनवरी 2012) में निम्न अनियमितताएं पायी गयीः

1. निर्माण सामग्रियों के क्रय में भण्डार क्रय नियम का पालन होना नहीं पाया गया।
2. प्रमाणकों में से राज्यांश की राशि न ही काटी गयी और न ही राज्यांश चुकता प्रमाण पत्र प्रमाणकों में संलग्न होना पाया गया।
3. प्रमाणकों की नमूना जांच से यह भी पाया गया कि उपरोक्त दो मार्गों के निर्माण के लिए दो वाहनों[16] का उपयोग खुदाई कार्य के लिए एवं चार वाहनों[17]

[16] CG/04/DN/3989 एवं CG/04/DN/1327

[17] CG/04/DM/1478, CG/04/DR/5084, CG/04/DM/1254 एवं CG/06/1135

का उपयोग सामग्री के परिवहन हेतु प्रयोग में लाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

मार्ग का नाम	सामग्री	मात्रा (घ.मी.)	प्रमाणकों के अनुसार वाहनों के पंजीयन क्र.	व्यय राशि (₹ लाख में)
तुरतुरिया से ठाकुरदिया 6 कि.मी.	मिट्टी	4500.00	CG/04/DN/3989 (जे.सी.बी.), CG/04/DM/1478 (ट्रैक्टर)	17.44
	मुरूम	3599.86	CG/04/DN/3989 (जे.सी.बी.), CG/04/DN/1327 (जे.सी.बी.), CG/04/DM/1478 (ट्रैक्टर)	
बार से घिरघोल 19 कि.मी.	मिट्टी	7500.00	CG/04/DN/1327(जे.सी.बी.), CG/04/DR/5084(ट्रैक्टर), CG/04/DM/1254(ट्रैक्टर) एवं CG/06/1135(ट्रैक्टर)	54.58
	मुरूम	5632.00	CG/04/DN/1327(जे.सी.बी.),CG/04/DR/5084(ट्रैक्टर), CG/04/DM/1254(ट्रैक्टर) एवं CG/06/1135(ट्रैक्टर)	
योग				72.02

इन वाहनों के विवरणों का परिवहन विभाग से प्रति-परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि तीन वाहन (CG/04/DN/1327, CG/04/DN/3989 एवं CG/04/DR/5084) दो पहिया (मोटरसाईकल एवं स्कूटर) वाहन हैं। यह स्पष्ट है कि इन वाहनों को खुदाई एवं परिवहन कार्यों में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अतः मार्ग निर्माण पर किया गया व्यय राशि ₹72.02 लाख संदिग्ध प्रतीत होता है।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2012) वनमंडलाधिकारी ने उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि कोई क्रय आदेश जारी नहीं किये गये थे एवं मिट्टी, मुरूम एवं गिट्टी का भुगतान वर्तमान शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार किया गया। लिपिकीय त्रुटिवश पंजीयन क्र.CG/04/DN/1327 एवं CG/04/DR/5084 का विवरण प्रमाणकों में उल्लेखित हो गया एवं वाहन क्र. CG/04/DN/3989 एक जे.सी.बी. मशीन है न कि मोटरसाईकल।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रमाणकों के अनुसार कार्यालय द्वारा मुरूम एवं मिट्टी संग्रहण हेतु प्रदायकर्ताओं को सीधे भुगतान किया जा रहा था जिससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करते हुए कार्यालय ने सीधे तौर से प्रदायकर्ता से सामग्रियों का क्रय किया। प्रदायकर्ताओं को सामग्री का भुगतान किये जाने से पहले बिल से राज्यांश की राशि काटी जानी चाहिए थी जो होना नहीं पाया गया। लिपिकीय त्रुटि एक या दो प्रमाणकों में हो सकती है परंतु एक ही तरह की दो से अधिक त्रुटि संभव नहीं है। आगे, यह उत्तर दिया गया कि CG/04/DN/3989 एक जे.सी.बी. मशीन है परंतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार यह पंजीयन संख्या भी एक मोटरसाईकल का है।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.12 पठियापाली से झालपानी के बीच डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग के निर्माण में संदिग्ध व्यय

> वन वित्तीय नियमावली के नियम 6 के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। आगे, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 11 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी का उत्तरदायित्व न केवल यह जांच करना है कि व्यय प्राप्त आबंटन के अंदर है परंतु यह भी जांच करना है कि व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए राशि आबंटित की गयी है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) ने दिसम्बर 2010 में वनमार्ग पर 10 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण हेतु राशि ₹78.10 लाख की स्वीकृति प्रदान की। वनमंडलाधिकारी, रायपुर ने उक्त आबंटन के विरूद्ध सोनाखान परिक्षेत्र के अंतर्गत 'नवागांव से अचानकपुर' के मध्य चार कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग के निर्माण हेतु राशि ₹31.24 लाख आबंटित किया।

आबंटन आदेश, कैश कॉपी एवं पारित प्रमाणकों की नमूना जांच में (जनवरी 2012) पाया गया कि वनमंडलाधिकारी ने 'नवागांव से अचानकपुर' वनमार्ग निर्माण का कार्य न लेकर 'पठियापाली से झालपानी' वनमार्ग का निर्माण कार्य करते हुए (दिसम्बर 2011) राशि ₹31.32 लाख का व्यय किया। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य वित्तीय संहिता के प्रावधानों के विपरीत था।

इसके अलावा, निम्नलिखित अनियमितताएं भी पायी गयीः

(i) प्रमाणक क्र. 179, 261, 293, 110, 269, 403, 389, 228, 7, 70, 21, 86, 122, 412, 177, 305 एवं 187 के अवलोकन पर यह पाया गया कि ट्रैक्टर क्र. CG-04-ZD-3655 द्वारा 1371.60 घ.मी. मुरूम संग्रहण के पश्चात परिवहन किया गया। यद्यपि, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार उक्त पंजीयन क्रमांक का वाहन एक ओमनी बस है। इसी प्रकार प्रमाणक क्र. 355, 356 एवं 357 के अवलोकन पर यह पाया गया कि वाहन क्रमांक CG-04-G-2119 द्वारा 180.35 घ.मी. मुरूम संग्रहण के पश्चात परिवहन किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार उक्त पंजीयन क्रमांक का वाहन एक भारी मालवाहक वाहन है न कि एक ट्रैक्टर।

(ii) प्रमाणकों के द्वारा यह भी देखा गया कि 4 कि.मी. मार्ग के निर्माण हेतु 9,165 घ.मी. मुरूम संग्रहण किये गये जबकि मात्र 3,095 घ.मी. मुरूम का उपयोग होना पाया गया। शेष 6,070 घ.मी. मुरूम के उपयोग के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई जानकारी नहीं दी गयी। इसी प्रकार, उक्त मार्ग हेतु 4,067 घ.मी. गिट्टी क्रय किया गया था परंतु प्रमाणकों के अनुसार गिट्टी का उपयोग होना नहीं पाया गया। अतः सामग्रियों का क्रय एवं परिवहन संदिग्ध प्रतीत होता है।

(iii) उपरोक्त के अलावा, वनमंडलाधिकारी ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 का उल्लंघन करते हुए सीधे प्रदायकर्ताओं से राशि ₹27.90 लाख की सामग्रियों का क्रय किया। इसके साथ ही प्रमाणकों में से गौण खनिज प्रदाय पर राज्यांश की राशि भी नहीं काटी गयी।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2012) वनमंडलाधिकारी ने उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि संग्रहित एवं परिवहित गिट्टी का उपयोग डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग के निर्माण कार्य में किया गया। आगे, लिपिकीय त्रुटिवश वाहनों का पंजीयन क्रमांक प्रमाणकों में गलत अंकित हुआ एवं सभी भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर किया गया।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आबंटन 'नवागांव से अचानकपुर' मार्ग हेतु किया गया था एवं स्थल परिवर्तन हेतु उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लिए बिना 'पठियापाली से झालपानी' मार्ग के निर्माण कार्य पर व्यय किया गया। साथ ही भण्डार क्रय नियमों का पालन न करने के साथ-साथ प्रदायकर्ताओं से गौण खनिज (मुरूम, मिट्टी, गिट्टी आदि) क्रय किये जाने पर प्रमाणकों में राज्यांश की राशि भी नहीं काटी गयी। संग्रहित मुरूम एवं गिट्टी के उपयोग के संबंध में भी कोई अभिलेख नहीं पाये गये।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.13 बारिश के दौरान चेकडैम एवं वनमार्ग निर्माण पर संदिग्ध व्यय

वनमंडल के कार्य आयोजना में यह स्पष्ट कहा गया है कि मृदा संरक्षण कार्य केवल माह अप्रैल एवं मई में किया जाना चाहिए।

वनमंडलाधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में (जनवरी 2012) पाया गया कि कलेक्टर ने बाढ़ से क्षतिग्रत अधोसंरचना की मरम्मत, जिनमें भू-जल संरक्षण, तालाब गहरीकरण, वनमार्ग उन्नयन, स्टापडैम मरम्मत कार्य शामिल थे, हेतु राशि ₹10.98 करोड़ की स्वीकृति (जून 2010) इस शर्त के साथ् दी कि कार्य वर्षा ऋतु को ध्यान में रखकर करायी जाए। तथापि, वनमंडलाधिकारी ने माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2010 में चेकडैम निर्माण एवं वनमार्ग उन्नयन का कार्य लिया एवं राशि ₹86.55 लाख (चेकडैम निर्माण पर ₹29 लाख एवं वनमार्ग उन्नयन पर ₹57.55 लाख) का व्यय किया। भारतीय मौसम विभाग, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में क्रमशः 462.4 मि.मी., 225.0 मि.मी. एवं 273.8 मि.मी. बारिश हुई। इस तरह की बारिश में उपरोक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं था। अतः उपरोक्त कार्यों पर किया गया व्यय राशि ₹86.55 लाख संदिग्ध प्रतीत होता है।

इसे जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (जनवरी 2012), वनमंडलाधिकारी ने उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि वर्षा ऋतु 2010-11 में रायपुर के वनक्षेत्रों में खण्ड वर्षा हुई। वर्षा ऋतु में मिट्टी के कार्य कराने के कोई भी लिखित प्रतिबंधन नहीं है। मौसम की अनुकूलता एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ही भू-जल संरक्षण/सड़क उन्नयन कार्य कराया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कलेक्टर के स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट आदेश था कि कार्य वर्षा ऋतु को ध्यान में रखकर किया जावे तथा रायपुर

जिले में माह जुलाई-सितम्बर 2010 में बारिश को देखते हुए वनक्षेत्रों में चेकडैम निर्माण एवं वनमार्ग उन्नयन कार्य असंभव था।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.14 सड़क किनारे वृक्षारोपण में निष्फल व्यय

> कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षारोपण हेतु केवल उसी स्थल का चयन किया जाना चाहिए जहां रिक्त क्षेत्र उपलब्ध हो। साथ ही वृक्षारोपण हेतु भूमि तैयारी का कार्य रोपण से तीन माह पूर्व (अर्थात अक्टूबर से मार्च के मध्य) किया जाना चाहिए।

वनसंरक्षक, जगदलपुर वृत्त ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के अंतर्गत वनमंडलाधिकारी, बीजापुर को, बीजापुर से धनौरा चौक तक सात कि.मी. सड़क किनारे 14000 पौधों के रोपण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2008) एवं इस कार्य के लिए राशि ₹37.10 लाख आबंटित किया तथा कलेक्टर, बीजापुर ने उक्त कार्य हेतु माह अगस्त 2008 में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

वनमंडलाधिकारी, बीजापुर के अभिलेखों की नमूना जांच में (अप्रैल 2012) हमने पाया कि वनमंडल द्वारा उक्त रोपण कार्य में माह सितम्बर 2008 से अप्रैल 2009 के मध्य राशि ₹37.10 लाख का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा दल एवं वनमंडल के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्य का संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 80 से 90 प्रतिशत पौधे मृत हो गये थे तथा फेंसिंग पोल टूटे पाये गये। यह भी देखा गया कि जिस सात कि.मी. सड़क किनारे पर रोपण का कार्य लिया गया है वहां पूर्व से ही काफी मात्रा में बड़े-बड़े पेड़ विद्यमान थे एवं वहां रोपण की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे, उक्त कार्य से संबंधित प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र तैयारी, पौधा रोपण, निंदाई कार्य, आदि कार्य आयोजना में विनिर्दिष्ट समय अवधि में नहीं किये गये थे। अतः रोपण हेतु गलत स्थल चयन एवं गलत समय में कार्य किये जाने से राशि ₹37.10 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि इस रोपण कार्य हेतु द्वितीय वर्ष में सिंचाई, निंदाई, अन्य रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी थी, जिससे अत्यधिक पौधे मृत हो गये। इसके अलावा पथ वृक्षारोपण के दोनों ओर शासकीय भवन निर्माण, बारसूर से बीजापुर तक 32 के.व्ही. इलेक्ट्रीक ट्रांसमिशन लाईन के विस्तार एवं इस सड़क पर बीजापुर नगर के विस्तार के कारण पौधे मृत हो गये।

गलत स्थल चयन करने एवं कार्य आयोजना के अनुसार कार्य न किये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं किया गया। और यह भी कि विभाग द्वारा द्वितीय वर्ष में रखरखाव तथा सुरक्षा हेतु राशि की मांग नहीं की गयी। आगे, उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग योजना बनाने एवं परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में नाकाम रहा जिससे एक ही वर्ष में निर्मित संसाधन नष्ट हो गया।

रायपुर **(पूर्ण चंद्र माझी)**
दिनांकः 07 MAR 2013 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांकः 08 MAR 2013 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ कंडिका 2.13)

स. क्र.	वर्ष	59-A घोषाणापत्रों की संख्या	प्रत्येक पर आयातित एल.पी.जी. का मूल्य	आयातित एल.पी.जी. का मूल्य	लाभ[1]	विक्रय मूल्य (₹)	कर @ 9.2 प्रतिशत	शास्ति (₹)
1	2004-05	60	64,300	60*64,300=38,58,000	10%	42,43,800	3,90,429.6	3,90,429.6
2	2004-05	46	74,280	46*74,280=34,16,880	10%	37,58,568	3,45,788.256	3,45,788.256
3	2005-06	28	74,286	28*74,286=20,80,008	10%	22,88,008	2,10,496.736	2,10,496.736
योग						**1,02,90,376**	**9,46,714.592**	**9,46,714.592**

[1] लाभ = सकल लाभ (कर चुका) + परिवहन खर्चे + चढ़ाव/उतार खर्चे

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भ कंडिका 2.21)

वर्ष	क्रय (₹ में)
2004-05	3,83,38,700 (उत्पादन पूर्व)
2005-06	24,84,070 (उत्पादन पूर्व)
2005-06	1,95,47,787 (कर निर्धारण आदेश में अंतर)
	कुल क्रय : 6,03,70,557/-

कर का आरोपण (यथानुपात के आधार पर)

₹ 2,27,29,515/- (कुल क्रय का 37.65 प्रतिशत) पर 2 प्रतिशत = ₹ 4,54,590

₹ 3,76,41,042/- (कुल क्रय का 62.35 प्रतिशत) पर एक प्रतिशत = ₹ 3,76,410

प्रवेश कर : ₹ 8,31,000

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ कंडिका 2.23.1)

स. क्र.	बकायादार का नाम, टिन	वर्ष	01.11.2010 को बकाया राशि (₹ में)	मांग पत्र/आर.आर. सी./अंतिम अपील आदेश दिनांक	31.10.2010	विलंब दिनों में	आरोपणीय शास्ति (₹ में)	आरोपित शास्ति (₹ में)	अंतर (₹ में)	सामाधान राशि का हानि (₹ में)
1	मे. मिनवुल रॉक फाइवर लिमिटेड, टिन - 22103601537	2005-06 (केन्द्रीय कर)	1236178	31-12-2009	31-10-2010	304	250532	0	250532	150319
2	मे. मिनवुल रॉक फाइवर लिमिटेड, टिन - 22103601537	2005-06 (प्रांतीय कर)	1419977	05-10-2010	31-10-2010	26	24613	0	24613	14768
3	मे. जयसवाल स्टील प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड, टिन - DRG/II/BHIL/2196	1998-99 (प्रांतीय कर)	1011533	30-11-2009	31-10-2010	335	225909	0	225909	135545
4	मे. बुधिया आटो, टिन - 22354601421	2005-06 (प्रांतीय कर)	15351572	24-12-2009	31-10-2010	311	3182893	0	3182893	1909736
5	मे. बुधिया आटो, टिन - 22354601421	2004-05 (प्रांतीय कर)	5585274	24-12-2009	31-10-2010	311	1158013	0	1158013	694808
6	मे. राकवुड प्रोडक्ट, टिन - 13/01/1971/c	2000-01 (केन्द्रीय कर)	1131365	24-11-2003	31-10-2010	2533	1910498	0	1910498	1146299
7	मे. यूनीवेबस स्लीपरस प्राइवेट लिमिटेड, टिन - DRG/I/3003	2004-05 (केन्द्रीय कर)	1570163	17-01-2008	31-10-2010	1018	1065617	0	1065617	639370
8	मे. ए.सी.सी. लिमिटेड (थर्मल पावर प्लांट) टिन - 13/04/1464	2001-02 (प्रवेश कर)	1488386	28-12-2005	31-10-2010	1768	1754311	0	1754311	1052587
9	मे. ए.सी.सी. लिमिटेड (थर्मल पावर प्लांट) टिन - 13/04/1464	1999-2000 (प्रवेश कर)	1221952	03-12-2005	31-10-2010	1793	1460640	0	1460640	876384
10	मे. ए.सी.सी. लिमिटेड (थर्मल पावर प्लांट) टिन - 13/04/1464	2000-01 (प्रवेश कर)	1544134	03-12-2005	31-10-2010	1793	1845755	0	1845755	1107453
11	मे. बजरंग इंटरप्राइजेज, टिन - 22913201015	2003-04 (प्रांतीय कर)	1588617	01-08-2009	31-10-2010	456	482940	0	482940	289764
12	मे. स्टील एब्रासिव, टिन - 22401500935	2005-06 (प्रांतीय कर)	620531	10-02-2009	31-10-2010	628	259796	0	259796	155877
13	मे. आयशर ट्रेक्टर्स, टिन - 22661600895	2003-04 (प्रांतीय कर)	825039	04-10-2008	31-10-2010	757	416370	0	416370	249822
14	मे. आशुतोष इंजीनियरिंग, टिन - 2206190082	2005-06 (केन्द्रीय कर)	917768	28-02-2009	31-10-2010	610	373226	0	373226	223935
15	मे. आरती स्पंज और पावर लिमिटेड, टिन - 228019023910	2005-06 (केन्द्रीय कर)	518749	27-01-2009	31-10-2010	642	222025	0	222025	133215
16	मे. यूनीवर्थ लिमिटेड, टिन - 22611700493	2004-05 (केन्द्रीय कर)	837831	23-11-2006	31-10-2010	1438	803201	0	803201	481920
17	मे. ज्योति स्ट्रेक्चर, टिन - 22921900385	2000-01 (केन्द्रीय कर)	666330	16-12-2005	31-10-2010	1780	790712	0	790712	474427
18	मे. हाईटेक एब्रासिव, टिन - 22111900491	2004-05 (प्रवेश कर)	643523	27-08-2009	31-10-2010	430	184477	0	184477	110686
19	मे. महेन्द्रा स्ट्रीप, टिन - 22961900169	2004-05 (प्रांतीय कर)	496890	24-12-2009	31-10-2010	311	103022	0	103022	61813
20	मे. रिजिनेरेशन नेक्सट, टिन - 22421403244	2005-06 (प्रांतीय कर)	588569	19-02-2009	31-10-2010	619	242883	0	242883	145730
21	मे. रिलायंस इंफोकाम लिमिटेड, टिन - 22401302374	2002-03 (प्रवेश कर)	1282940	07-04-2008	31-10-2010	937	801410	0	801410	480846
22	मे. अग्रवाल आयल एक्सट्रेशन लिमिटेड, टिन - 22381400647	2002-03 (प्रांतीय कर)	2302973	19-10-2010	31-10-2010	12	18424	0	18424	11054
23	मे. रिलायंस कम्यूनिकशन इंफ्रा लिमिटेड, टिन - 22131302378	2004-05 (प्रवेश कर)	1107052	29-06-2010	31-10-2010	124	91516	0	91516	54910

24	मे. क्वालिटी फाउन्ड्री इंडस्ट्रीज, टिन - 22281301665	2004-05 (केन्द्रीय कर)	1280469	26-12-2009	31-10-2010	309	263777	0	263777	158266
25	मे . रामकुमार अग्रवाल, टिन - Ryp/II/1951	2005-06 (प्रांतीय कर)	2797192	19-10-2010	31-10-2010	12	22378	0	22378	13427
26	मे. किचन एम्प्लाइसेंस, टिन - 22231100175	2002-03 (प्रांतीय कर)	4300783	28-12-2007	31-10-2010	1038	2976142	0	2976142	1785685
27	मे. अग्रवाल राउंड रालिंग मिल, टिन -22611803583	2005-06 (प्रांतीय कर)	3738443	19-10-2010	31-10-2010	12	29908	0	29908	17945
28	मे. नवीन ट्रेक्टर्स, टिन - 22431201527	2004-05 (प्रांतीय कर)	2269633	24-09-2008	31-10-2010	767	1160539	0	1160539	696323
29	मे. के.एन. प्रोडक्टर्स, टिन - 22162200824	2005-06 (प्रांतीय कर)	1147387	27-12-2008	31-10-2010	673	514794	0	514794	308877
30	मे. नवीन ट्रेक्टर्स, टिन - 22431201527	2003-04 (प्रांतीय कर)	1108177	19-11-2008	31-10-2010	711	525276	0	525276	315166
31	मे. अग्रवाल राउन्ड रॉलिंग मिल, टिन - 22611803583	2005-06 (प्रवेश कर)	1079786	13-02-2009	31-10-2010	625	449911	0	449911	269947
32	मे. सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी, टिन - 22851304016	2005-06 (प्रवेश कर)	1443844	21-01-2009	31-10-2010	648	623741	0	623741	374244
33	मे. सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी, टिन - 22851304016	2005-06 (प्रांतीय कर)	5567912	21-01-2009	31-10-2010	648	2405338	0	2405338	1443203
34	मे. बोटल्दा ट्रेक्टर्स, टिन - 22474900794	2004-05 (प्रांतीय कर))	1009398	08-09-2008	31-10-2010	783	526906	0	526906	316143
35	मे. बोटल्दा ट्रेक्टर्स, टिन - 22474900794	2002-03 (प्रांतीय कर)	755009	21-08-2006	31-10-2010	1532	771116	0	771116	462670
36	मे. बोटल्दा ट्रेक्टर्स, टिन - 22474900794	2005-06 (प्रांतीय कर)	1135667	30-06-2008	31-10-2010	853	645816	0	645816	387490
37	मे. बोटल्दा ट्रेक्टर्स, टिन - 22474900794	2001-02 (प्रांतीय कर)	1923527	30-11-2004	31-10-2010	2161	2771161	0	2771161	1662697
38	मे. रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड, टिन - 22121305439	2004-05 (प्रवेश कर)	1270413	10-06-2010	31-10-2010	143	121113	0	121113	72668
39	मे. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टिन - 22961302649	1998-99 (प्रवेश कर)	8350297	07-08-2008	31-10-2010	815	4536995	0	4536995	2722197
40	मे. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टिन - 22961302649	1999-2000 (प्रवेश कर)	15925073	17-06-2006	31-10-2010	1597	16954894	0	16954894	10172937
41	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22861900515	2005-06 (प्रांतीय कर)	1014870	07-02-2009	31-10-2010	631	426922	0	426922	256153
42	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22861900515	2003-04 (केन्द्रीय कर)	1077673	22-12-2008	31-10-2010	678	487108	0	487108	292265
43	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - - 22861900515	2005-06 (केन्द्रीय कर)	1360325	07-02-2009	31-10-2010	631	572243	0	572243	343346
44	मे. आयशर ट्रेक्टर्स , टिन - 22661600895	2004-05 (प्रांतीय कर)	1557563	29-12-2009	31-10-2010	306	317743	0	317743	190646
45	मे. आयशर ट्रेक्टर्स , टिन - 22661600895	2005-06 (प्रांतीय कर)	1173695	14-09-2010	31-10-2010	47	36776	0	36776	22065
46	मे. ज्योति स्ट्रकचर्स लिमिटेड, टिन - 22921900385	2001-02 (केन्द्रीय कर)	4092645	25-04-2008	31-10-2010	919	2507427	0	2507427	1504456
47	मे. ज्योति स्ट्रकचर्स लिमिटेड, टिन - 22921900385	2001-02 (प्रवेश कर)	1458919	28-12-2007	31-10-2010	1038	1009572	0	1009572	605743
48	मे. शिव शक्ति मोटर्स, टिन - 229901600860	2005-06 (प्रांतीय कर)	994385	06-10-2010	31-10-2010	25	16573	0	16573	9944
49	मे. ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, टिन - 22921900385	2004-05 (केन्द्रीय कर)	2608618	28-01-2008	31-10-2010	1007	1751252	0	1751252	1050751

50	मे. हाई टेक एबासिव्ह लिमिटेड, टिन - 22111900491	2004-05 (केन्द्रीय कर)	3541424	29-01-2008	31-10-2010	1006	2375115	0	2375115	1425069
51	मे. हाई टेक एबासिव्ह लिमिटेड, टिन - 22111900491	2005-06 (केन्द्रीय कर)	4587674	28-02-2009	31-10-2010	610	1865654	0	1865654	1119392
52	मे. राजेश रि-रोलर्स लिमिटेड, टिन - 22162200824	1992-93 (प्रांतीय कर)	1385438	30-06-2005	31-10-2010	1949	1800146	0	1800146	1080087
53	मे. राजेश स्ट्रीप्स टिन - RYP/V/1986	1992-93 (प्रांतीय कर)	522332	30-06-1995	31-10-2010	5602	1950736	0	1950736	1170442
54	मे. रघुवीर फेरो एलायज, टिन - 22861900515	2004-05 (प्रांतीय कर)	6194514	28-01-2008	31-10-2010	1007	4158584	0	4158584	2495150
55	मे. रघुवीर फेरो एलायज, टिन - 22861900515	2004-05 (केन्द्रीय कर)	2023252	29-12-2009	31-10-2010	306	412743	0	412743	247646
56	मे. राजेश स्ट्रीप्स, टिन - RYP/V/1986	1991-92 (प्रांतीय कर)	628345	30-06-1995	31-10-2010	5602	2346659	0	2346659	1407995
57	मे. युनिक स्ट्रकचर टावर, टिन -22021902335	2002-03 (केन्द्रीय कर)	2162224	20-12-2007	31-10-2010	1046	1507791	0	1507791	904675
58	मे. महेन्द्रा स्ट्रीप्स, टिन - 22361500277	2004-05 (केन्द्रीय कर)	1044793	24-12-2009	31-10-2010	311	216620	0	216620	129972
59	मे. मोनेट इस्पात लिमिटेड, टिन - 22241700357	1999-2000 (प्रांतीय कर)	2163456	09-06-2004	31-10-2010	2335	3367780	0	3367780	2020668
60	मे. रिलायंस इंफोकाम लिमिटेड, टिन - 22401302374	2004-05 (प्रवेश कर)	862109	21-12-2009	31-10-2010	314	180468	0	180468	108281
61	मे. रिलायंस टेलीकाम, टिन - 22121305439	2005-06 (प्रवेश कर)	628878	28-08-2010	31-10-2010	64	26832	0	26832	16099
62	मे. रिलायंस इंफोकाम, टिन - 22401302374	2005-06 (प्रवेश कर)	971520	28-08-2010	31-10-2010	64	41452	0	41452	24871
63	मे. अग्रवाल रि - राउंड मिल, टिन - 22381500169	2004-05 (प्रवेश कर)	844546	21-12-2009	31-10-2010	314	176792	0	176792	106075
64	मे. राजेश इंजीनियरिंग और कास्टिंग, टिन - 22891401579	2004-05 (केन्द्रीय कर)	554702	29-12-2009	31-10-2010	306	113159	0	113159	67896
65	मे . अग्रवाल आयल एक्सट्रेक्शन लिमिटेड, टिन - 22381400647	2002-03 (केन्द्रीय कर)	836079	19-10-2010	31-10-2010	12	6689	0	6689	4013
66	मे. सेपको इलेक्ट्रक पावर कंस्ट्रक्शन, टिन - 22851304116	2004-05 (प्रवेश कर)	652598	29-01-2008	31-10-2010	1006	437676	0	437676	262605
67	मे. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, टिन - 22681300087	2002-03 (प्रांतीय कर)	555938	28-10-2009	31-10-2010	368	136390	0	136390	81834
68	मे. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, टिन - 22681300087	2001-02 (प्रांतीय कर)	566312	29-12-2009	31-10-2010	306	115528	0	115528	69317
69	मे. सेथर वेसेल्स प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22791104232	2005-06 (प्रांतीय कर)	1689828	26-02-2009	31-10-2010	612	689450	0	689450	413670
70	मे. स्ट्रांलिग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टिन - RYP/2/1003/7945/S	2004-05 (प्रांतीय कर)	919879	26-06-2009	31-10-2010	492	301720	0	301720	181032
71	मे. नवीन ट्रेक्टर्स, टिन - 22431201527	2002-03 (प्रांतीय कर)	878878	30-12-2009	31-10-2010	305	178705	0	178705	107223
72	मे. नवीन ट्रेक्टर्स, टिन - 22431201527	2001-02 (प्रांतीय कर)	514040	29-09-2010	31-10-2010	32	10966	0	10966	6580
73	मे. गुजरात सिरेमिक्स, टिन - 22661300389	2003-04 (प्रांतीय कर)	614199	31-03-2009	31-10-2010	579	237081	0	237081	142248
74	मे. विष्णु केमीकल्स लिमिटेड, टिन - 22063300083	2002-03 (प्रवेश कर)	505789	12-07-2007	31-10-2010	1207	406992	0	406992	244195
75	मे. ऐशियाटिक आक्सीजन, टिन -DRG/11/103	2000-01 (प्रवेश कर)	742444	30-11-2009	31-10-2010	335	165812	0	165812	99487

76	मे. वंशीधर श्यामल, टिन - 22893600375	2003-04 (प्रांतीय कर)	644008	17-12-2009	31-10-2010	318	136530	0	136530	81918
77	मे. जयसवाल स्टील, टिन - DRG/II/BHIL/1413	1998-99 (प्रांतीय कर)	689518	30-11-2009	31-10-2010	335	153992	0	153992	92395
78	मे. जयसवाल स्टील, टिन - DRG/II/BHIL/2196	1998-99 (केन्द्रीय कर)	769431	30-11-2009	31-10-2010	335	171840	0	171840	103104
79	मे. कंकड आटो, टिन - 22623602609	2002-03 (प्रांतीय कर)	783440	08-12-2009	31-10-2010	327	170790	0	170790	102474
80	मे. केडिया केस्टल, टिन - DRG/II/DRG/717	2005-06 (प्रवेश कर)	504014	05-02-2010	31-10-2010	268	90051	0	90051	54030
81	मे. मोहन जुट मिल, टिन - 22074901693	2004-05 (केन्द्रीय कर)	665167	06-02-2009	31-10-2010	632	280257	0	280257	168154
82	मे. रामदयाल कनीराम, टिन - 22684901115	1999-00 (प्रांतीय कर)	542401	28-12-2006	31-10-2010	1403	507326	0	507326	304395
83	मे. किसान एग्रो, टिन - 22244700761	2002-03 (प्रांतीय कर)	672437	08-05-2006	31-10-2010	1637	733853	0	733853	440312
84	मे. सेट्रल बैग कंपनी, टिन - 22954901888	2005-06 (केन्द्रीय कर)	996834	05-01-2009	31-10-2010	664	441265	0	441265	264759
85	मे. वेस्टन फेरो एलायज लिमिटेड, टिन - 22954200772	2003-04 (प्रांतीय कर)	607878	18-01-2007	31-10-2010	1382	560058	0	560058	336035
86	मे. राजेश खण्डेरिया जलाराम (अपंजीकृत)	2000-01 (प्रवेश कर)	739200	31-07-2007	31-10-2010	1188	585446	0	585446	351268
87	मे. विशाल मोटर्स, टिन - 224984101282	2002-03 (प्रांतीय कर)	564566	22-12-2008	31-10-2010	678	255184	0	255184	153110
88	मे. विशाल मोटर्स, टिन - 224984101282	2000-01 (प्रांतीय कर)	765942	31-12-2009	31-10-2010	304	155231	0	155231	93139
योग			**159935076**				**87563561**		**87563561**	**52538137**

परिशिष्ट - 2.4
(संदर्भ कंडिका 2.23.2)

स.क्र.	बकायादार का नाम, टिन	वर्ष	01.11.2010 को बकाया राशि (₹ में)	अपील में जमा कुल राशि (₹ में)	वह राशि जिस पर समाधान राशि की गणना की जानी चाहिए थी (₹ में)	समाधान राशि आरोपणीय (₹ में)	समाधानकर्ता अधिकारी द्वारा आरोपित समाधान राशि (₹ में)	समाधान राशि की हानि (₹ में)
1	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22861900515	2005-06(प्रांतीय कर)	1127870	113000	1014870	608922	563722	45200
2	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22861900515	2003-04 (केन्द्रीय कर)	1497673	420000	1077673	646604	478604	168000
3	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22861900515	2005-06 (केन्द्रीय कर)	1512325	152000	1360325	816195	755395	60800
4	मे. आयशर ट्रेक्टर्स, टिन - 22661600895	2004-05 (प्रांतीय कर)	1557563	446180	1111383	666830	488358	178472
5	मे. आयशर ट्रेक्टर्स, टिन -22661600895	2005-06 (प्रांतीय कर)	1173695	359750	813945	488367	344467	143900
6	मे. हाई टेक एब्रासिव लिमिटेड, टिन - 22111900491	2005-06 (केन्द्रीय कर)	4587674	458800	4128874	2477324	2293804	183520
7	मे. राजेश रि - रोलर्स लिमिटेड, टिन - Ryp/v/v/1811	1992-93 (प्रांतीय कर)	1385438	138544	1246894	748136	629719	118417
8	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22861900515	2004-05(केन्द्रीय कर)	2811252	788000	2023252	1213951	898751	315200
9	मे. रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22861900515	2004-05(प्रांतीय कर)	8604514	2410000	6194514	3716708	2752708	964000
10	मे. युनिक स्ट्रकचर एंड टावर, टिन - 22021902335	2002-03 (केन्द्रीय कर)	2162224	1000000	1162224	697334	297334	400000
11	मे. राजेश स्ट्रीप्स, टिन - RYYP/V/V/1986	1992-93 (प्रांतीय कर)	1024813	502481	522332	313399	112407	200992
12	मे. राजेश स्ट्रीप्स, टिन - /V/1986	1991-92 (प्रांतीय कर)	1142606	514261	628345	377007	171303	205704
13	मे. महेन्द्रा स्ट्रीप्स प्राइवेट लिमिटेड, टिन - 22961900169	2004-05 (केन्द्रीय कर)	1044793	209000	835793	501476	417876	83600
14	मे. मोनेट इस्पात लिमिटेड, टिन - 22241700357	1999-00 (प्रांतीय कर)	2163456	605776	1557680	934608	692298	242310
15	मे. राकवुड प्रोडक्ट, टिन - 13/01/3641/s	2000-01 (केन्द्रीय कर)	1131365	316805	814560	488736	362014	126722
16	मे. बुधिया आटो टिन - 22354601421	2005-06(प्रांतीय कर)	15351572	6300000	9051572	5430943	2910944	2519999
17	मे. स्टील एब्रासिव इंडस्ट्री, टिन - 22401500935	2005-06(प्रांतीय कर)	620531	330359	290172	174103	41960	132143
18	मे. आयशर ट्रेक्टर्स, टिन -22661600895	2003-04(प्रांतीय कर)	825039	243024	582015	349209	243024	106185
19	मे. आशुतोष इंजीनियरिंग, टिन - 2206190082	2005-06(केन्द्रीय कर)	917768	489100	428668	257201	61560	195641
20	मे. आरती स्पंज और पावर, टिन - 228019023910	2005-06(केन्द्रीय कर)	518749	51875	466874	280124	259375	20749

21	मे. यूनीवर्थ लिमिटेड, टिन - 22611700493	2004-05 (केन्द्रीय कर)	837831	234685	603146	361888	268014	93874
22	मे. रिलायंस इंफोकाम लिमिटेड, टिन - 22401302374	2002-03(प्रवेश कर)	1282940	358928	924012	554407	410836	143571
23	मे. रिलायंस कम्यूनिकेशन इंफोकाम लिमिटेड, टिन - 22131302378	2004-05(प्रवेश कर)	1107052	432200	674852	404911	232031	172880
24	मे. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टिन - 22961302649	1998-99 (प्रवेश कर)	8350297	2434000	5916297	3549778	2576178	973600
25	मे. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टिन - 22961302649	1999-00(प्रवेश कर)	15925073	8813483	7111590	4266954	741561	3525393
26	मे. रिलायंस टेलीकाम, टिन - 22121305439	2004-05 (प्रवेश कर)	1270413	355745	914668	548801	406503	142298
27	मे.बोटल्दा ट्रेक्टर्स, टिन - 22385100324	2001-02(प्रांतीय कर)	1923527	793575	1129952	677971	360541	317430
28	मे.बोटल्दा टेक्टर्स, टिन- 22385100324	2002-03 (प्रांतीय कर)	755009	346485	408524	245114	106520	138594
29	मे.बोटल्दा टेक्टर्स, टिन - 22385100324	2004-05 (प्रांतीय कर)	1135667	317991	817676	490606	363409	127197
30	मे.बोटल्दा ट्रेक्टर्स, टिन - 22385100324	2005-06 (प्रांतीय कर)	1009398	290300	719098	431459	315339	116120
31	मे. स्ट्रालिंग एग्रो एंड लिमिटेड, टिन - 22361203942	2005-06 (प्रांतीय कर)	1724469	172500	1551969	931181	862181	69000
32	मे. स्काई आटोमोबाईल, टिन - 22241500694	2005-06 (प्रांतीय कर))	2936771	300000	2636771	1582063	1462063	120000
33	मे. सुडान ट्रेडिंग कंपनी, टिन - 22863300128	2005-06(केन्द्रीय कर)	1624009	325000	1299009	779405	649460	129945
34	मे. नवीन ट्रेक्टर्स, टिन - 22431201527	2003-04(प्रांतीय कर)	1108177	350600	757577	454546	314306	140240
35	मे. रिलायंस इंफोकाम लिमिटेड, टिन - 22401302374	2004-05(प्रवेश कर)	862109	241411	620698	372419	275854	96565
36	मे. रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड, टिन - 22121305439	2005-06(प्रवेश कर)	971520	272200	699320	419592	310712	108880
37	मे. रिलायंस इंफोकाम लिमिटेड, टिन - 22401302374	2005-06(प्रवेश कर)	628878	178650	450228	270137	198677	71460
38	मे. स्टांलिग एग्रो इंडस्ट्रीज, टिन - 22361203942	2004-05 (प्रांतीय कर)	919879	299100	620779	372467	252827	119640
39	मे. सेन्चर वेसेल्स, टिन- 22791104232	2005-06 (प्रांतीय कर)	1689828	910932	778896	467338	102965	364373
40	मे. रामदयाल कनीराम, टिन - 22684901115	1999-00 (प्रांतीय कर))	542401	35000	507401	304441	290441	14000
41	मे. किसान एग्रो, टिन - 22244700761	2002-03(प्रांतीय कर)	754656	211307	543349	326009	192155	133854
योग			**98520824**	**33523047**	**64997777**	**38998666**	**25468196**	**13530470**

परिशिष्ट - 2.5

(संदर्भ कंडिका 2.23.3)

स. क्र.	बकायादार का नाम	अवधि	प्रारूप-2 का प्राप्ति दिनांक	भुगतान का दिनांक	विलंब अवधि	देय राशि (₹)	आरोपित समाधान राशि (₹)	हानि (₹)
1	मे. नवीन ट्रेक्टर्स, टिन - 22431201527	2005-06 (प्रांतीय कर))	22-01-2011	12-02-2011	6 दिन	3013489	1808093	1205396
2	मे. कक्कड़ आटो, टिन - 22623602609	2004-05 (प्रांतीय कर))	21-02-2011	10-03-11 एवं 05-04-11	28 दिन	8050560	4830336	3220224
			योग			**11064049**	**6638429**	**4425620**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ कंडिका 3.12)

स. क्र.	दस्तावेज क्रमांक	सम्पत्ति	विक्रेता	क्रेता	सम्पत्ति का मूल्यांकन		कम आरोपण की गणना			अनियमितता का प्रकार
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन फीस	योग	
1	21052/4747 दि. 31.03.11	ग्राम- अहेरी प.ह.-26, रा.नि.म - अहिवारा धमधा क्षेत्रफल-2.40 हे.	निरज कुमार	आई. ए. घास और यादविन्दर सिंह	दस्तावेज के अनुसार	768000	60110	6289		सोयाबीन एक वाणिजियक फसल है। अतः मार्गदर्शिका के अनुसार मूल्यांकन को 25 प्रतिशत बढ़ाकर करनी चाहिए।
					वास्तविक मूल्यांकन	960000	75120	7825		
					न्यून मूल्यांकन	192000	15010	1536	16546	
2	21036/4578 दि. 30.03.10	वार्ड 30, चिटवङनीस रोड, इंदिरा मार्केट, दुर्ग, 9.20 व.मी. में दुकान, भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल	मध्यानी बील्डर्स	महेश कुमार गनेशाणी	दस्तावेज के अनुसार	785000	66800	6425		प्रारूप-II के कंडिका 4 के अनुसार गणना की जानी थी।
					वास्तविक मूल्यांकन	815694	69334	6671		
					न्यून मूल्यांकन	30694	2534	246	2780	
3	21046/4681 दि. 31.03.10	वार्ड 63, इस्पात नगर भिलाई, भूमि 278.81 व.मी., 123.42 व.मी. में बिल्डिंग, कालम सिस्टम, सीमेन्ट फ्लोरिंग, 22 वर्ष पुराना	के. जेकब	सतीश नरायण मिश्रा और अन्य	दस्तावेज के अनुसार	1600000	141200	12945		प्रारूप-II के कंडिका 4 के अनुसार गणना की जानी थी।
					वास्तविक मूल्यांकन	1812398	159944	14644		
					न्यून मूल्यांकन	212398	18744	1699	20443	
4	21038/4600 दि. 31.03.10	वार्ड 15, नगर पंचायत अहिवारा, मेन रोड, 1012.08 व.मी.	आर.पी. गुप्ता और अन्य	रमेश चन्द्र अग्रवाल	दस्तावेज के अनुसार	760000	67100	6225		सोयाबीन वाणिज्यिक फसल की खेती होती है। अतः मार्गदर्शिका के अनुसार मूल्यांकन 25 प्रतिशत बढ़ाकर की जानी चाहिए
					वास्तविक मूल्यांकन	948750	83727	7735		
					न्यून मूल्यांकन	188750	16627	1510	18137	
5	20839/3788 दि. 16.03.10	ग्राम पाटन, प.ह.न. 30/38, रा.नि.म. पाटन, 0.72 हे.	ऊषा बाई	राजकुमार अग्रवाल	दस्तावेज के अनुसार	350000	30900	2945		सम्पत्ति डब्लयू. बी. एम. सड़क पर स्थित है, अतः मार्गदर्शिका के प्रारूप–III के कंडिका- 10 के अनुसार मूल्यांकन 10 प्रतिशत बढ़ाकर किया जाना चाहिए।
					वास्तविक मूल्यांकन	388000	34241	3249		
					न्यून मूल्यांकन	38000	3341	304	3645	
6	22772/11838 दि. 30.03.11	वार्ड 14, कुरूद (क्र.7), भिलाई, 1313.85 व.मी.	भगवत सोनी और अन्य	टी सी डी ट्रेडर्स	दस्तावेज के अनुसार	2937200	244000	23645		चूँकि भूमि व्यपवर्तित है अतः भूमि का मूल्यांकन मार्गदर्शिका के प्रारूप–I के कंडिका–3 के अनुसार किया जाना चाहिए।
					वास्तविक मूल्यांकन	3371861	279864	27120		
					न्यून मूल्यांकन	434661	35864	3475	39339	
7	20998/9714 दि. 29.03.10	नगर पालिका कुम्हारी, क्षेत्रफल 0.506 हे., कृषि भूमि	विकास पारख	शांतिविजय डेवलपर्स	दस्तावेज के अनुसार	405000	35800	3385		पड़त भूमि का दर उपयोग में नहीं लेने के परिणामस्वरूप न्यून मूल्यांकन हुआ।
					वास्तविक मूल्यांकन	657800	58050	5407		
					न्यून मूल्यांकन	252800	22250	2022	24272	

8	20998/9726 दि. 29.03.10	नगर पालिका कुम्हारी, क्षेत्रफल 0.705 हे., कृषि भूमि	विकास पारख	शांतिविजय डेवलपर्स	दस्तावेज के अनुसार	563500	49800	4653		पड़त भूमि का दर उपयोग में नहीं लेने के परिणामस्वरूप न्यून मूल्यांकन हुआ।
					वास्तविक मूल्यांकन	762500	67291	6245		
					न्यून मूल्यांकन	199000	17491	1592	19083	
9	20998/97127 दि. 29.03.10	नगर पालिका कुम्हारी, क्षेत्रफल1.076 हे., कृषि भूमि	विकास पारख	शांतिविजय डेवलपर्स	दस्तावेज के अनुसार	861000	76000	7033		पड़त भूमि का दर उपयोग में नहीं लेने के परिणामस्वरूप न्यून मूल्यांकन हुआ।
					वास्तविक मूल्यांकन	1398800	123444	11335		
					न्यून मूल्यांकन	537800	47444	4302	51746	
10	21113/65 दि. 19.04.10	रा.नि.म. 1 दुर्ग, नगर निगम प.ह.न. 16/24, गंजपारा चौक से नदी मोड़ रोड से 120 फीट दूर, 0.513 हे.	ब्रिज किशोर सुर्जन	ओम पार्श्वनाथ डेवलपर्स	दस्तावेज के अनुसार	2979600	247310	23985		उप - पंजीयक द्वारा सम्पति की कम बाजार मूल्य से गणना की गई।
					वास्तविक मूल्यांकन	5443500	451811	43693		
					न्यून मूल्यांकन	2463900	204501	19708	224209	
11	21052/4745 दि. 31.03.10	फुलगांव, वार्ड 54, फुलगांव चौक से बेरियर नाला लिंक रोड पर, 322.96 व.मी.	बलजीत कौर भाटिया	अमर इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	दस्तावेज के अनुसार	450000	39750	3745		उप - पंजीयक द्वारा सम्पति की कम बाजार मूल्य से गणना की गई।
					वास्तविक मूल्यांकन	868762	76668	7095		
					न्यून मूल्यांकन	418762	36918	3350	40268	
12	22487/10005 दि. 10.03.11	फुलगांव, वार्ड 54, ग्रीन सिटी के पास, 557.62 व.मी.	परविन्दर सिंह	अजय जायसवाल	दस्तावेज के अनुसार	1500100	124600	12149		उप - पंजीयक द्वारा सम्पति की कम बाजार मूल्य से गणना की गई।
					वास्तविक मूल्यांकन	1650555	136996	13349		
					न्यून मूल्यांकन	150455	12396	1200	13596	
योग (12 दस्तावेज)					**दस्तावेज के अनुसार**	**13959400**	**1183370**	**113424**		
					वास्तविक मूल्यांकन	**19078620**	**1616491**	**154369**		
					न्यून मूल्यांकन	**5119220**	**433121**	**40945**	**474066**	

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ कंडिका 3.13)

उप- पंजीयक धमतरी

स. क्र.	दस्तावेज संख्या	सम्पत्ति	विक्रेता	क्रेता	सम्पत्ति का मूल्यांकन		कम मूल्यांकन की गणना		
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन फीस	योग
1	7779/2563 दि. 17.03.10	ग्राम रूद्री, प.ह.न. 18, परिवर्तित भूमि, 0.08 हे.	सुभांगी	नरेश कुमार	दस्तावेज के अनुसार	589000	46100	4857	
					वास्तविक मूल्यांकन	1273320	99637	10332	
					न्यून मूल्यांकन	684320	53537	5475	59012
2	7779/2562 दि. 17.03.10	ग्राम रूद्री, प.ह.न. 18, परिवर्तित भूमि, 0.06 हे.	सुभांगी	नवीन हर्षानी	दस्तावेज के अनुसार	486000	38050	4033	
					वास्तविक मूल्यांकन	954518	74691	7781	
					न्यून मूल्यांकन	468518	36641	3748	40389
3	7789/2668 दि. 23.03.10	जोधपुर, वार्ड 19, 121.28 व.मी.	शिवराम	विनीत गजेन्द्र	दस्तावेज के अनुसार	503000	44400	4165	
					वास्तविक मूल्यांकन	1562814	137918	12647	
					न्यून मूल्यांकन	1059814	93518	8483	102001
4	7788/2662 दि. 23.03.10	नवागांव, वार्ड 8, 181.92 व.मी.	शिवनारायण	सुरेन्द्र पाण्डेय	दस्तावेज के अनुसार	294000	26000	2437	
					वास्तविक मूल्यांकन	687840	60702	5648	
					न्यून मूल्यांकन	393840	34702	3211	37913
				योग					**239315**

उप- पंजीयक रायपुर

स. क्र.	दस्तावेज संख्या	सम्पत्ति	विक्रेता	क्रेता	सम्पत्ति का मूल्यांकन		कम मूल्यांकन की गणना			रिमार्क
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन फीस	योग	
1	47070/277 दि. 20.04.10	ग्राम तोरला, अभनपुर, प.ह.न. 32/24, रा.नि.म. नवापारा, क्षेत्र. 0.44 हे.	घसिया	देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर	दस्तावेज के अनुसार	466400	34100	3872		लगी हुई सम्पत्ति/उसी खसरे के भाग को उसी विक्रेता और क्रेता द्वारा क्रमानुसार एक ही दिन पंजीयन कराया गया जिसमें से एक को मुख्य मार्ग से लगा दर्शाया गया जबकि दूसरे भाग को सड़क से दूर दर्शाया जाकर मूल्यांकित किया गया।
					वास्तविक मूल्यांकन	1276000	93148	10353		
					न्यून मूल्यांकन	809600	59048	6481	**65529**	
2	47944/1793 दि. 04.08.10	ग्राम पिरदा, प.ह.न. 111/43, रा.नि.म.रायपुर 1, क्षेत्र. 0.809 हे.	कमला देवी	गरिमा एडवायजरी प्रा.लि.	दस्तावेज के अनुसार	3236000	236250	26033		
					वास्तविक मूल्यांकन	4450000	324850	35745		
					न्यून मूल्यांकन	1214000	88600	9712	**98312**	
3	49708/8931 दि. 03.02.11	ग्राम दरचुरा, प.ह.न. 08, रा.नि.म.सिमगा, क्षेत्र. 1.733 हे.	श्याम सुंदर अग्रवाल	इंपीरीयल विनिमय प्रा.लि.	दस्तावेज के अनुसार	572000	41760	4721		
					वास्तविक मूल्यांकन	3202584	233789	25766		
					न्यून मूल्यांकन	2630584	192029	21045	**213073**	
4	50289/6707 दि. 26.03.11	ग्राम गिरौद, रा.नि.म.धरसींवा, क्षेत्र.1.251 हे.	जुगल किशोर डोडेजा एवं अन्य	प्रमोद अग्रवाल	दस्तावेज के अनुसार	1470000	107350	11905		उसी खसरे के भाग को एक ही विक्रेता एवं क्रेता द्वारा दस्तावेज क्रं 522 दिनांक 19.04.11 और 523 दिनांक 19.04.11 तैयार कर अंतरण किया गया जिसमें भूमि रिंग रोड़ क्रं 3 पर स्थित है।
					वास्तविक मूल्यांकन	4378500	319630	35173		
					न्यून मूल्यांकन	2908500	212280	23268	**235548**	
5	50289/6708 दि. 26.03.11	ग्राम गिरौद, रा.नि.म.धरसींवा, क्षेत्र.0.667 हे.	जुगल किशोर डोडेजा एवं अन्य	दीपक मित्तल	दस्तावेज के अनुसार	785000	57400	6425		
					वास्तविक मूल्यांकन	2334500	170418	18821		
					न्यून मूल्यांकन	1549500	113018	12396	**125414**	
6	46982/20,21,22 दि. 06.04.10	ग्राम धुसेरा, प.ह.न.136, रा.नि.म. अभनपुर, क्षेत्र. 3.033 हे. (प्रत्येक दस्तावेज में 1.011 हे.)	मोहनलाल (20), कंगलु (21), भिखम (22)	अशोक कुन्डु और अन्य	दस्तावेज के अनुसार	5632500	411300	45495		पटवारी प्रतिवेदन और दस्तावेज के पठन के अनुसार सम्पति मुख्य मार्ग से लगी है।
					वास्तविक मूल्यांकन	6672600	487100	53526		
					न्यून मूल्यांकन	1040100	75800	8031	**83831**	
7	46947/8,9 दि. 06.04.10	वार्ड 23, देवेन्द्र नगर, सेक्टर 5, क्षेत्र 4800 व.फी. (446.1 व.मी.) अर्द्धनिर्मित	आनन्द तोलानी	संतोष भंडारी	दस्तावेज के अनुसार	6400000	564000	51490		दस्तावेज में संलग्न ले- आउट के अनुसार सम्पति 60 फीट रोड़ पर स्थित है।
					वास्तविक मूल्यांकन	10312000	855910	82641		
					न्यून मूल्यांकन	3912000	291902	31151	**323053**	

8	49778/6693 दि. 24.02.11	ग्राम सेरीखेड़ी, प.ह.न.42, रा.नि.म. रायपुर, क्षेत्र. 0.06 हे./607 व.मी.	भागोबाई	सरोजिनी साहु	दस्तावेज के अनुसार	1566000	81500	12673		पटवारी नक्शे के अनुसार सम्पति पिरदा से सेरीखेड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित है।
					वास्तविक मूल्यांकन	2327600	121035	18766		
					न्यून मूल्यांकन	761600	39535	6093	**45628**	
9	49261/7314 दि. 07.01.11	वार्ड 63, भाठागांव, क्षेत्र 0.362 हे.	बचरू राम	सैयद अली	दस्तावेज के अनुसार	2986500	248000	24037		पटवारी प्रतिवेदन और नक्शे के अनुसार सम्पति मुख्य मार्ग पर स्थित है।
					वास्तविक मूल्यांकन	3982000	330506	32001		
					न्यून मूल्यांकन	995500	82506	7694	**90470**	
10	47040/224 दि. 06.04.10	वार्ड 46, अमलीडीह, अमलीडीह से फुंडहर रोड पर	शिव नारायण और अन्य	विजय आनन्द और अन्य	दस्तावेज के अनुसार	12062500	1064800	96645		पटवारी प्रतिवेदन और नक्शे के अनुसार सम्पति फुण्डहर से अमलीडीह मुख्य मार्ग पर स्थित है।
					वास्तविक मूल्यांकन	16887500	1490322	135245		
					न्यून मूल्यांकन	4825000	425522	38600	**464122**	
					योग				**1744980**	
					कुल योग				**1984295**	

परिशिष्ट-4.1
(संदर्भ कंडिका 4.8)

स.क्र.	निर्माण कार्य का नाम	निर्मित क्षेत्रफल (व.मी.)	भूमि का विवरण	2007-08 की मार्गदर्शिका के अनुसार बाजार मूल्य (₹ में)	बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत प्रव्याजी (₹ में)	प्रव्याजी का 7.5 प्रतिशत भू-भाटक (₹ में)	वर्ष 2007-08 और 2008-09 का भू-भाटक
1.	ब्लॉक-'ए'	434.78	शीट क्र.18 डी, प्लाट नं.6 लठ्ठीपारा रजबंधा तालाब कंकालीपारा	990.78* 3500 प्रति वर्गमीटर = 34,67,730	17,33,865	1,30,040	1,30,040*2=2,60,080
2.	ब्लॉक-'बी'	350.00					
3.	काम्पलेक्स	206.00					
4.	ब्लॉक-'बी'	460.96		922.67* 7500 प्रति वर्गमीटर = 69,20,025	34,60,013	2,59,501	2,59,501*2=5,19,002
5.	ब्लॉक-'सी'	461.71					
	योग	**1913.45**		**103,87,755**	**51,93,878**	**3,89,541**	**7,79,082**

परिशिष्ट - 5.1

(संदर्भ कंडिका - 5.9)

(राशि ₹ में)

कार्यालय का नाम	वाहन का प्रकार	पंजीकृत वाहनों की संख्या	फीस की दर	आरोपणीय फीस	कुल आरोपणीय फीस	आरोपित फीस	कम आरोपण
कम आरोपण							
क्षे प अ बिलासपुर	मोटर साइकिल/मोपेड	68,334	50	34,16,700	70,61,900	68,600	69,93,300
	अन्य	18,226	200	36,45,200			
क्षे प अ दुर्ग	मोटर साइकिल/मोपेड	1,25,721	50	62,86,050	1,10,67,650	72,450	1,09,95,200
	अन्य	23,908	200	47,81,600			
योग		**2,36,189**			**1,81,29,550**	**1,41,050**	**1,79,88,500**
अनारोपण							
क्षे प अ अम्बिकापुर	मोटर साइकिल/मोपेड	42,667	50	21,33,350	35,81,350	0	35,81,350
	अन्य	7,240	200	14,48,000			
अ क्षे प अ राजनांदगाँव	मोटर साइकिल/मोपेड	25,966	50	12,98,300	23,73,100	0	23,73,100
	अन्य	5,374	200	10,74,800			
क्षे प अ रायपुर	मोटर साइकिल/मोपेड	1,75,185	50	87,59,250	1,92,80,650	0	1,92,80,650
	अन्य	52,607	200	1,05,21,400			
जि प अ महासमुंद	मोटर साइकिल/मोपेड	21,959	50	10,97,950	10,97,950	0	10,97,950
योग		**3,30,998**			**2,63,33,050**	**0**	**2,63,33,050**
महायोग		**5,67,187**		**444,62,600**	**4,44,62,600**	**1,41,050**	**4,43,21,550**

परिशिष्ट - 5.2

(संदर्भ कंडिका -5.10.1)

कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	माल यानो की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाख में)	मैक्सी केब यानो की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाख में)	यात्री यानो की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाख में)	यानो की कुल संख्या	कुल आरोपणीय कर (₹ लाख में)
क्षे प अ अम्बिकापुर	4/10-3/11	34	3.25	39	1.33	25	5.55	98	10.13
क्षे प अ बिलासपुर	4/10-3/11	124	9.86	70	2.92	63	38.90	257	51.68
अ क्षे प अ दुर्ग	4/10-3/11	72	12.29	82	3.20	36	23.99	190	39.48
जि प अ धमतरी	4/10-3/11	0	0	0	0	8	1.43	8	1.43
जि प अ जांजगीर	4/08-3/10	38	14.02	0	0	0	0	38	14.02
जि प अ कवर्धा	4/08-3/10	43	4.47	21	3.31	17	8.84	81	16.62
जि प अ कोरिया	4/08-3/10	53	8.90	21	3.96	7	8.14	81	21.00
क्षे प अ रायपुर	4/10-3/11	323	170.79	0	0	340	565.00	663	735.79
अ क्षे प अ राजनांदगाँव	4/10-3/11	31	4.01	0	0	19	4.50	50	8.51
जि प अ महासमुंद	4/10-1/12	0	0	0	0	12	10.43	12	10.43
योग		**718**	**227.59**	**233**	**14.72**	**527**	**666.78**	**1478**	**909.09**

परिशिष्ट - 5.3

(संदर्भ कंडिका -5.10.2)

(राशि ₹ में)

स.क्रं.	वाहन क्रं.	परमिट क्रं.	बैठक क्षमता	कुल दूरी	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपण	शास्ति	कम/अवसूली
1	JH-05/AA-4421	2714/STA/ TC/10	51	490	1,24,950	0	1,24,950	1,24,950	2,49,900
2	JH-05/AA-4431	2715/STA/ TC/10	51	490	1,24,950	0	1,24,950	1,24,950	2,49,900
3	CG-04/E-0705	230/05	25	230	87,000	65,300	21,700	21,700	43,400
4	CG-04/FC-7864	227/RPR/09	20	206	64,800	63,360	1,440	1,440	2,880
5	CG04/E-1845	48/2006	57	440	3,42,000	2,59,440	82,560	82,560	1,65,120
6	CG-04/E-1854	48/2006	57	440	3,42,000	2,59,440	82,560	82,560	1,65,120
7	CG-04/E-1827	47/2006	50	490	3,30,000	2,87,400	42,600	42,600	85,200
8	CG-04/E-1872	47/2006	50	490	3,30,000	2,87,400	42,600	42,600	85,200
योग					**17,45,700**	**12,22,340**	**5,23,360**	**5,23,360**	**10,46,720**

परिशिष्ट - 5.4

(संदर्भ कंडिका -5.12)

(राशि ₹ में)

स. क्रं.	वाहन क्र.	क्रय का स्थान	अ प जिसे निर्गत हुआ	पंजीयन दिनांक	वाहन का मूल्य	आरोपणीय प्रवेश कर
1	CG-19/C-5000	नई दिल्ली	रायपुर	11-अक्टूबर -10	29,46,000	2,94,600
2	CG-19/C-4898	नई दिल्ली	दुर्ग	20-जनवरी -11	2,75,000	27,500
3	CG-19/C-1999	इलाहाबाद	रायपुर	15-अप्रैल -11	3,75,000	37,500
4	CG-19/C-2928	हैदराबाद	रायपुर	20-जनवरी 11	4,00,414	40,041
5	CG-19/C-5077	मुरादाबाद	रायपुर	20-जनवरी -11	2,74,999	27,500
6	CG-19/C-7777	नई दिल्ली	रायपुर	20-जनवरी -11	4,02,937	40,294
7	CG-19/C-1400	कोलकाता	दुर्ग	9-अगस्त -10	3,05,000	30,500
8	CG-19/C-1500	कोल्हापुर	रायपुर	1-अप्रैल -10	4,95,000	49,500
9	CG-19/C-8055	गुवाहाटी	रायपुर	9-अक्टूबर -09	3,35,000	33,500
10	CG-19/C-2225	नोएडा	दुर्ग	21- अक्टूबर-10	3,16,589	31,659
			योग		**61,25,939**	**6,12,594**

परिशिष्ट - 5.5
(संदर्भ कंडिका -5.13)

(राशि ₹ में)

स. क्रं.	परिवहन कार्यालय का नाम	श्रेणी	वाहनो की संख्या	कर की दर	आरोपणीय व्यापार कर	वसूला गया व्यापार कर	कम/अवसूली
1	क्षे प अ अम्बिकापुर	मोटर साइकिल	17,904	1250	31,97,500	61,716	
		हल्का मोटर यान	1,589	1500	3,40,500		
		माध्यम मोटर यान	680	1750	1,69,750		
		भारी मोटर यान	56	2000	16,000		
		अन्य	771	1250	1,37,500		
	योग		**21,000**		**38,61,250**		**37,99,534**
2	क्षे प अ बिलासपुर	मोटर साइकिल	27,180	1250	48,53,750	1,47,300	
		हल्का मोटर यान	6,258	1500	13,41,000		
		माध्यम मोटर यान	555	1750	1,38,250		
		अन्य	235	1250	42,500		
	योग		**34,228**	**योग**	**63,75,500**		**62,28,200**
3	क्षे प अ रायपुर	मोटर साइकिल	63,038	1250	1,12,56,250	1,87,400	
		हल्का मोटर यान	9,496	1500	20,35,500		
		माध्यम मोटर यान	1,976	1750	4,93,500		
		अन्य	6,750	1250	12,05,000		
	योग		**81,260**		**1,49,90,250**		**1,48,02,850**
4	अ क्षे प अ दुर्ग	मोपेड	5,436	1000	7,77,000	59,000	
		मोटर साइकिल	44,390	1250	79,26,250		

		तिपहिया वाहन	343	1250	61,250		
		हल्का मोटर यान	6,580	1500	14,10,000		
		माध्यम मोटर यान	689	1750	1,71,500		
		भारी मोटर यान	799	2000	2,28,000		
		अन्य	1,890	1250	3,37,500		
योग			**60,127**		**1,09,11,500**		**1,08,52,500**
5	**जि प अ धमतरी**	मोपेड	1,180	1000	1,69,000	31,500	
		मोटर साइकिल	9,749	1250	17,41,250		
		तिपहिया वाहन	71	1250	12,500		
		हल्का मोटर यान	148	1500	31,500		
		माध्यम मोटर यान	40	1750	10,500		
		अन्य	1,596	1250	2,85,000		
योग			**12,784**	**योग**	**22,49,750**		**22,18,250**
6	**जि प अ कवर्धा**	मोटर साइकिल	5,932	1250	10,58,750	18,000	
		हल्का मोटर यान	292	1500	63,000		
योग			**6,224**		**11,21,750**		**11,03,750**
7	**जि प अ महासमुंद**	मोटर साइकिल	13,684	1250	24,43,750		
		हल्का मोटर यान	1,379	1500	2,95,500		
योग			**15,063**		**27,39,250**		**27,39,250**
महा योग			**2,30,686**		**4,22,49,250**	**5,04,916**	**4,17,44,334**

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ कंडिका 6.11)

कार्यालय का नाम	अवसरों की संख्या	न्यूनतम स्कंध जो रखा जाना था (प्रू.ली.)	न्यूनतम स्कंध जो रखा गया (प्रू.ली.)	कम रखी गई मात्रा (प्रू.ली.)	शास्ति का अनारोपण (₹ में)
सहायक आयुक्त, बिलासपुर	226	11674247.00	4774508.46	6899738.54	13799477.08
सहायक आयुक्त, दुर्ग	1294	27837041.00	7169527.00	20667514.00	41335028.00
कुल	**1520**	**3,95,11,288.00**	**1,19,44,035.46**	**2,75,67,252.54**	**5,51,34,505.08**

परिशिष्ट - 7.1
(संदर्भ कंडिका 7.8)

(मात्रा क्विंटल में)

रायगढ़ वनमंडल							
डिपो का नाम	वर्ष	वर्ष में प्राप्त मात्रा	मान्य सूखत	मान्य की गई सूखत	अधिक सूखत	दर प्रति क्विंटल (₹)	हानि
मदनपुर	2008	1,512.00	226.80	378.00	151.20	175	26,460
	2010	2,651.60	397.74	853.60	455.86	264	1,20,347
बेलाडुला	2008	2,025.60	303.84	357.55	53.71	175	9,399
	2009	2,748.60	412.29	494.65	82.36	247	20,343
तमनार	2008	308.20	46.23	79.85	33.62	175	5,884
	2010	924.00	138.60	174.72	36.12	264	9,536
बढ़गढ़	2008	224.00	33.60	190.00	156.40	175	27,370
	2010	89.60	13.44	97.66	84.22	264	22,234
घरघोड़ा	2010	708.40	106.26	150.00	43.74	264	11,547
चपले	2010	291.20	43.68	162.50	118.82	264	31,368
योग		**11,483.20**	**1,722.48**	**2,938.53**	**1,216.05**		**2,84,488**

परिशिष्ट - 7.2

(संदर्भ कंडिका 7.9)

वनमंडल का नाम	वर्ष	कूपों की संख्या	30 जून तक अपरिवहित मात्रा		गैर वाणिज्यिक दर से मूल्य की गणना (₹)	20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास (₹)
			इमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा (नग)		
कोरिया	2006-07	04	121.268	618	5,57,002	
	2008-09	01	108.899	79	4,49,002	
	2009-10	03	143.565	73	5,84,458	
योग		**08**	**373.732**	**770**	**15,90,463**	**3,38,992**
उदंती	2007-08	26	2,855.044	4,185	1,17,70,447	
	2008-09	01	256.341	404	14,03,739	
	2009-10	11	307.029	326	17,83,605	
योग		**38**	**3,418.414**	**4,915**	**1,49,57,792**	**29,91,558**
बिलासपुर	2005-06	03	862.691	969	50,99,897	
	2007-08	02	1,146.390	222	81,64,390	
योग		**05**	**2,009.081**	**1,191**	**1,32,64,287**	**26,52,857**
महायोग		**51**	**5,801.227**	**6,876**	**2,98,12,542**	**59,83,407**

परिशिष्ट - 7.3
(संदर्भ कंडिका 7.10)

डिपो का नाम	वनोपज का नाम	पुस्तकीय शेष	भौतिक सत्यापन में पायी गयी मात्रा	कमी	दर (₹)	राजस्व हानि (₹)
उपभोक्ता डिपो, कांकेर	जलाऊ चट्टा	503	160	343	770	2,64,110
निस्तार डिपो, जामगांव	जलाऊ चट्टा	11	0	11	770	8,470
निस्तार डिपो, बुंदेली	बांस	780	0	780	7.29	5,686
उपभोक्ता डिपो, नरहरपुर	जलाऊ चट्टा	65.7	32	33.7	770	25,949
उपभोक्ता डिपो, दुधावा	जलाऊ चट्टा	39.03	0	39.03	770	30,053
उपभोक्ता डिपो, सरोना	जलाऊ चट्टा	6	1	5	770	3,850
उपभोक्ता डिपो, चरामा	जलाऊ चट्टा	46	26	20	770	15,400
उपभोक्ता डिपो, लखनपुरी	जलाऊ चट्टा	99	46	53	770	40,810
योग		**769.73 चटटा + 780 बांस**	**265 चटटा**	**504.73 चटटा + 780 बांस**		**3,94,328**

परिशिष्ट - 7.4
(संदर्भ कंडिका 7.11)

वर्ष	परिक्षेत्र	कूप	कूप से प्रेषित मात्रा					
			लटठा		बल्ली		आर.टी.एल.	
			संख्या	घ.मी.	संख्या	घ.मी.	संख्या	घ.मी.
2007-08	धौरपुर	धौरपुर एस.सी.आई. V	3,527	431.325	263	7.504	122	6.134
	चांदो	कुसमी एस.सी.आई V	3,116	359.056	159	5.151	0	0
	धौरपुर	सागौन 50 वर्षीय विरलन, आर.एफ. 2589	5,475	267.050	3,513	88.982	0	0
	धौरपुर	सागौन 35 वर्षीय विरलन, 38.960 हे.	10,908	518.254	6,673	164.48	0	0
2008-09	धौरपुर	सागौन 35 वर्षीय विरलन	3,088	141.273	1,940	52.079	0	0

वर्ष	परिक्षेत्र	कूप	डिपो में प्राप्त मात्रा					
			लटठा		बल्ली		आर.टी.एल.	
			संख्या	घ.मी.	संख्या	घ.मी.	संख्या	घ.मी.
2007-08	धौरपुर	धौरपुर एस.सी.आई. V	3,007	407.072	537	14.529	368	17.191
	चांदो	कुसमी एस.सी.आई V	2,428	298.600	188	6.029	659	41.205
	धौरपुर	सागौन 50 वर्षीय विरलन, आर.एफ. 2589	4,720	230.585	4,268	103.259	0	0
	धौरपुर	सागौन 35 वर्षीय विरलन, 38.960 हे.	9,692	455.491	7,869	201.87	0	0
2008-09	धौरपुर	सागौन 35 वर्षीय विरलन	2,821	133.696	2,207	45.767	0	0

वर्ष	परिक्षेत्र	कूप	प्रेषित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में अंतर					
			लटठा		बल्ली		आर.टी.एल.	
			संख्या	घ.मी.	संख्या	घ.मी.	संख्या	घ.मी.
2007-08	धौरपुर	धौरपुर एस.सी.आई. V	-520	-24.253	274	7.025	246	11.057
	चांदो	कुसमी एस.सी.आई V	-688	-60.456	29	0.878	659	41.205
	धौरपुर	सागौन 50 वर्षीय विरलन, आर.एफ. 2589	-755	-36.465	755	14.277	0	0
	धौरपुर	सागौन 35 वर्षीय विरलन, 38.960 हे.	-1216	-62.763	1,196	37.389	0	0
2008-09	धौरपुर	सागौन 35 वर्षीय विरलन	-267	-7.577	267	-6.312	0	0

वर्ष	कूप	लटठे में कमी से आयतन में कमी (घ.मी.)	रेडी रेकनर के अनुसार मान्य कमी (घ.मी.)	अधिक कमी (घ.मी.)
2007-08	धौरपुर एस.सी.आई. V	-6.171	5.200	-0.971
	कुसमी एस.सी.आई V	-18.373	6.880	-11.493
	सागौन 50 वर्षीय विरलन, आर.एफ. 2589	-22.188	6.040	-16.148
	सागौन 35 वर्षीय विरलन, 38.960 हे.	-25.374	9.728	-15.646
2008-09	सागौन 35 वर्षीय विरलन	-13.889	2.136	-11.753
योग		85.995	29.984	56.011
योग (प्रजाति - वार)			अन्य	12.464
			सागौन	43.547
राजस्व हानि (₹)			अन्य	27,271
			सागौन	5,16,163
			योग	5,43,434

परिशिष्ट - 7.5

(संदर्भ कंडिका 7.12.8)

(₹ करोड़ में)

स. क्र	लेखापरीक्षा माह	ऋण की संख्या/ स्वीकृति की संख्या	ऋण की अवधि	ऋण की राशि	पुनर्भुगतान की अवधि	स्थगन अवधि यदि हो	ब्याज की दर (%)	दंड ब्याज की दर (%)	वसूलनीय मूलधन	वसूलनीय ब्याज	वसूलनीय दंड ब्याज	योग	ऋण स्वीकृत करने वाले विभाग का उत्तर	शासन का उत्तर	महालेखाकार की टिप्पणी
	(01) लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी विभाग - (कारण) - जल प्रदाय योजना अंतर्गत														
1	मई 2012	56	2001-02 से 2006-07, 2009-10 एवं 2010-11	107.93	8 तथा 25 किश्ते	एक एवं चार वर्ष	10.5 तथा 11.5	3	42.94	47.56	4.29	94.79	नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के पक्ष में वसूल की जावेगी।	शासन द्वारा बकाया की वसूली हेतु पत्र (27.09.12) जारी किया है	
	(02) परिवहन - (कारण) - राज्य शासन के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारीयों के पुनर्वास हेतु														
2	मई 2012	8	2003-04 से 2007-08	70.12	ऋण प्राप्ति से तीन वर्ष के भीतर	---	12	---	70.12	29.43	---	99.55	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना निगम को वसूली हेतु पत्र भेजा गया है	निगम की अचल संपत्ति से ऋण की राशि का समायोजन किया जावेगा।	
	(03) सहकारिता विभाग - (कारण) - कार्यशील पूंजी एवं आर्थिक सहायता														
3	जून 2012	2	2008-09	42.30	आठ समान वार्षिक किश्ते	एक वर्ष	9	3	14.23	12.77	0.58	27.58	शासन द्वारा पुनर्भुगतान की शर्तो को 31 मार्च 2012 तक बढ़ाई गई है	ऋण की राशि को वर्ष 2011-12 तक के लिए पुनः नियम किया गया, अतः पुनर्भुगतान की कोई चूक नहीं हुई है।	शासन द्वारा एक प्रकरण में राशि रू 5 करोड़ को पुनः नियत किया गया है।
		1	2009-10	5.00	एक किश्त में दिनांक 30 जून 2010 तक	---	14.5	3	5.00	0.73	0.15	5.88			
		1	2010-11	5.26	आठ समान वार्षिक किश्तों में	---	9	3	0.66	0.47		1.13			
4	जून 2012	1	2007-08	2.00	पाँच समान वार्षिक किश्तों में	एक वर्ष	10.5	3	0.60	0.84	0.04	1.48	---	ऋण की राशि वर्ष 2007-08 में स्वीकृत की गई एवं पुनर्भुगतान की शर्तो को वर्ष 2011-12 में अंतिम रूप दिया गया बकाया राशि के समय पर भुगतान किया गया।	पुनर्भुगतान की शर्तों के अनुसार ऋण की राशि को ऋण स्वीकृत दिनांक से एक वर्ष के अंदर जनवरी 2009 तक जमा किया जाना था।
	(04) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - (कारण) -भूमिगत सीवरेज योजना हेतु														

5	मार्च 2012	2	2006-07 एवं 2009-10	18.03	72 एवं 84 किश्तों में	---	9	3	2.59	---	0.04	2.63	प्रकरण को नगर प्रबंधन विकास समिति के एजेंडा में सम्मिलित किया जाएगा	बकाया राशि वसूली हेतु पत्र (27.09.12) लिखा गया है।	
	(05) वाणिज्य एवं उद्योग - (कारण) - दायित्व का पुनर्भुगतान एवं उद्योग के विकास हेतु														
6	मई 2012	4	2005-06 से 2008-09	22.95	आठ समान वार्षिक किश्तों में	एक वर्ष	---	3	14.61	---	0.94	15.55	छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम द्वारा ऋण की राशि को अनुदान में बदलने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण शासन के पास लेबित है।	बकाया राशि के वसूली हेतु पत्र (27.09.12) लिखा गया है।	
7	मई 2012	1	2007-08	2.00	10 समान वार्षिक किश्तों मे	दो वर्ष	---	3	0.60	---	0.02 0.08 (सेवा शुल्क @ 1%)	0.70	ऋण की राशि छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम के पास है।	बकाया राशि के वसूली हेतु पत्र (27.09.12) लिखा गया है।	
योग		**76**		**275.59**					**151.35**	**91.80**	**6.14**	**249.29**			

परिशिष्ट - 7.6

(संदर्भ कंडिका 7.12.9)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	ऋण स्वीकृति विभाग का नाम	लेखापरीक्षा माह	ऋण की संख्या /स्वीकृति की संख्या	ऋण की अवधि	ऋण की स्वीकृति का कारण	ऋण की राशि	पुनर्भुगतान की अवधि	अस्थगन अवधि यदि हो	ब्याज की दर	दंड ब्याज की दर (%)	वसूलनीय ब्याज की राशि	वसूलनीय दंड ब्याज	योग राशि	शासन का उत्तर	महालेखाकार की टिप्पणी
1	सहकारिता	जून 2012	1	2007-08	कार्यशील पूंजी हेतु	12.25	एक किश्त में 30.09.2007 तक	---	14.5	3	0.38	0.08	0.46	बकाया राशि के वसूली हेतु पत्र (27.09.12) लिखा गया है।	
2	सहकारिता	जून 2012	1	2007-08	शक्कर कारखाने के विस्तार हेतु	6.05	स्वीकृत आदेश दिनांक से पाँच वर्ष के अंदर	एक वर्ष	8	3	0.50	0.04	0.54	बकाया राशि के वसूली हेतु पत्र (27.09.12) लिखा गया है।	
3	सहकारिता	जून 2012	1	2002-03	कार्यशील पूंजी एवं गोदामो के निमार्ण हेतु	6.94	आठ समान वार्षिक किश्तों में	एक वर्ष	13.25	---	0.92	---	0.92	बकाया राशि के वसूली हेतु पत्र (27.09.12) लिखा गया है।	
4	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	जून 2012	1	2010-11	बारदाना क्रय एवं रिवलविंग फंड हेतु	1087.50	वित्तीय वर्ष के दौरान	---	8	---	2.37	---	2.37	बकाया राशि के वसूली हेतु पत्र (27.09.12) लिखा गया है।	विभाग ने उद्यतन उत्तर में (अगस्त 2012) कहा है कि दो प्रकरणों में राशि रू 92.47 करोड़ वसूल किया गया है।
	योग:					**1,112.74**					**4.17**	**0.12**	**4.29**		

परिशिष्ट-8.1

(संदर्भ कंडिका 8.6)

स.क्र.	कार्य का नाम	कार्य की संख्या	व्यय राशि (₹ लाख में)
	अ. वे कार्य जो स्वीकृत सूची में सम्मिलित नहीं हैं		
	वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल		
1	तालाब गहरीकरण	49	129.69
2	पशु अवरोधक दीवार का निर्माण	17	16.70
3	भू-जल संरक्षण	148	393.28
4	बांस मिर्रा सफाई	02	3.60
	योग	**171**	**543.27**
	वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल		
1	लेण्टाना उन्मूलन	39	68.54
2	भू-जल संरक्षण	47	126.72
3	चेकडैम निर्माण	12	104.72
	योग	**98**	**299.98**
	वनमंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल		
1	चेकडैम निर्माण	03	14.87
2	तालाब गहरीकरण	04	17.60
	योग	**07**	**32.47**
	वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल		
1	सीढ़ी निर्माण, चेकडैम निर्माण एवं ओरनामेंटल पौधारोपण	01	44.61
	योग	**01**	**44.61**
	योग (अ)	**277**	**920.33**
	ब वे कार्य जो तत्काल स्वरूप के कार्य में सम्मिलित नहीं हैं		
	वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल		
1	स्टॉपडैम निर्माण एवं मरम्मत	23	53.00
2	तालाब मरम्मत	04	10.00
3	नर्सरियों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत	06	16.17
4	पशु अवरोधक खंती मरम्मत	01	1.30
	योग	**34**	**80.47**
	वनमंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल		
1	चेकडैम मरम्मत (नाला)	10	62.84
2	तालाब मरम्मत	04	13.00
	योग	**14**	**75.84**
	योग (ब)	**48**	**156.31**
महायोग (अ)+(ब)		**325**	**1,076.64**

परिशिष्ट-8.2

(संदर्भ कंडिका 8.7)

क्षतिपूर्ति वनीकरण की दर

वर्षवार क्षतिपूर्ति वनीकरण की दरें (मजदूरी में वृद्धि के लिए 10 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति सम्मिलित करते हुए)	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	29,725	32,698	35,968	39,565	43,522	47,874	52,661

आकस्मिक व्यय, आस्थामूलक कार्य एवं अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत (कुल 25 प्रतिशत) पृथक से रखा जाएगा।

क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि कम जमा करने का विवरण

परियोजना का नाम	वनमंडल का नाम (प्रत्यावर्तित क्षेत्र)	प्रत्यावर्तन दिनांक	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु मांग एवं वसूली		वसूली योग्य राशि[1] (₹)			कम वसूली (₹)
			राशि (₹)	जमा करने का दिनांक	राशि	25 प्रतिशत	योग	
उदनापुर जलाशय परियोजना	कोरिया (41.90 हे.)	20.02.2006	41,10,306	मार्च 06	36,47,144	9,11,786	45,58,930	4,48,624
रटगा जलाशय परियोजना	कोरिया (3.82 हे.)	15.09.2005	3,40,668	जून 05	3,32,508	83,127	4,15,635	74,967
विंध्यांचल कोरबा 400 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन	कोरिया (324.432 हे.)	19.03.2006	2,89,97,768	जनवरी 06	2,83,03,227[2]	70,75,807	3,53,79,034	63,81,266
योग			**3,34,48,742**		**3,22,82,879**	**80,70,720**	**4,03,53,599**	**69,04,857**
कोटमीकला से मनेन्द्रगढ़ 132 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन	कोरिया (6.465 हे.)	01.09.2008	6,34,204	मार्च 08	6,80,907	1,70,227	8,51,134	2,16,930
	मनेन्द्रगढ़ (23.984 हे.)		23,52,782		25,26,043	6,31,511	31,57,554	8,04,772
	मरवाही (20.374 हे.)		20,10,896		21,45,830	5,36,463	26,82,314	6,71,418
योग			**49,97,882**		**53,52,780**	**13,38,201**	**66,91,002**	**16,93,120**
महायोग			**3,84,46,624**		**3,76,35,659**	**94,08,914**	**4,70,44,573**	**85,97,949**

[1] प्रत्यावर्तित वनक्षेत्र के दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र के लिए आवेदक संस्थाओं से राशि की वसूली की जानी है।

[2] 650.32 हे. क्षेत्र के लिए राशि की गणना की जानी है।

परिशिष्ट-8.3

(संदर्भ कंडिका 8.8.1)

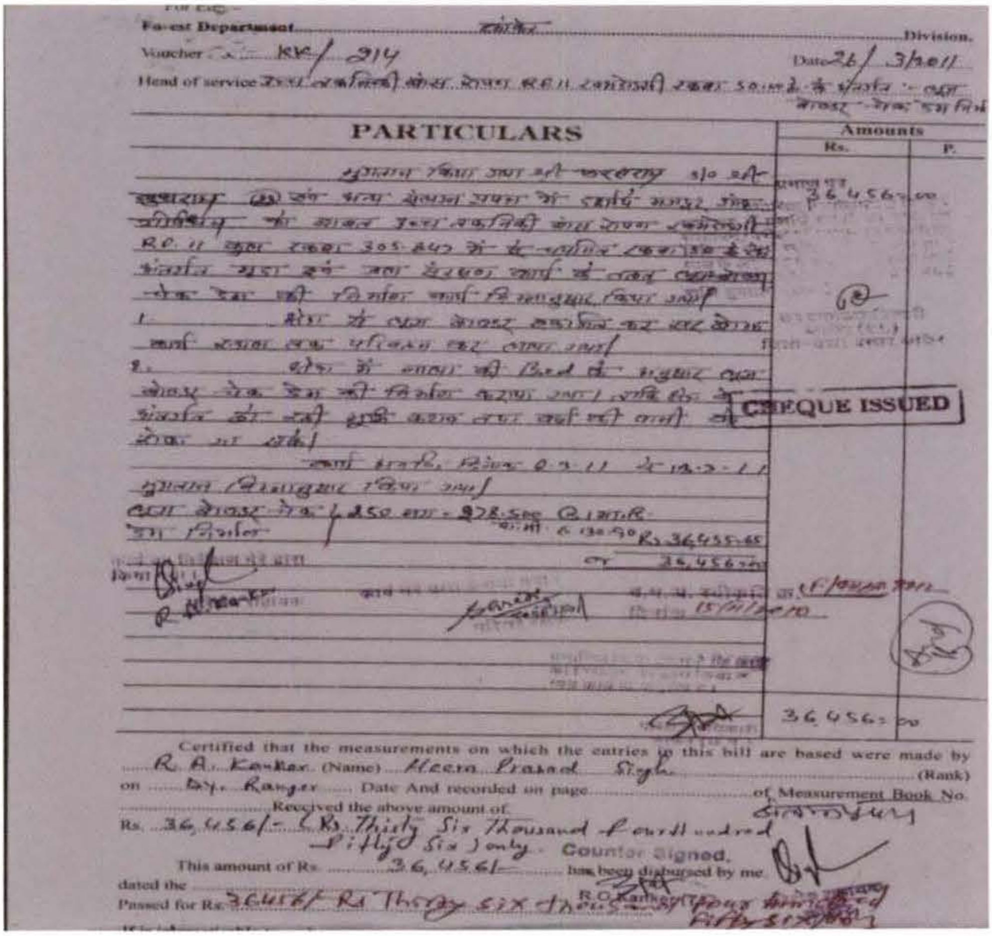

Forest Department ...... Division.

Voucher ...... KK/ 214 ...... Date 26/ 3/2011

Head of service ......

PARTICULARS	Amounts Rs.	P.
	36,456	00
	CHEQUE ISSUED	
	36,456	00

Certified that the measurements on which the entries in this bill are based were made by R. A. Kanker (Name) Heera Prasad Singh (Rank) on Dy. Ranger Date And recorded on page ...... of Measurement Book No. ......

Received the above amount of Rs. 36,456/- (Rs Thirty Six Thousand Four Hundred Fifty Six) only. Counter Signed.

This amount of Rs. 36,456/- has been disbursed by me dated the ......

Passed for Rs. 36456/- Rs Thirty six thousand four hundred Fifty six only

R.O. Kanker

परिशिष्ट-8.3 (जारी)
(संदर्भ कंडिका 8.8)

कार्यरत मजदूरों की सूची

क्र.	मजदूर का नाम	ग्राम	राशि	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
(1)				
(2)	[illegible]	[illegible]	1815.20	[illegible]
(3)	[illegible]	— —	1815.20	अगहन
(4)	[illegible]	— —	1815.20	बैदराम
(5)	[illegible]	— —	1815.20	लक्ष्मण
(6)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(7)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(8)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(9)	[illegible]	— —	1815.20	नरेन्द्र
(10)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(11)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(12)	[illegible]	— —	1815.20	जागेश्वरी
(13)	[illegible]	— —	1815.20	अमरीका
(14)	[illegible]	— —	1815.20	बसंता
(15)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(16)	[illegible]	— —	1815.20	सुपोतिन
(17)	[illegible]	— —	1815.20	सुरेश
(18)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(19)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(20)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(21)	[illegible]	— —	1815.20	पांचो
(22)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(23)	[illegible]	— —	1815.20	जनता
(24)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(25)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(26)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(27)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
(28)	[illegible]	— —	1815.20	
(29)	[illegible]	— —	1815.20	विनोद
(30)	[illegible]	— —	1815.20	[illegible]
			36456.00	

परिशिष्ट-8.3 (जारी)

(संदर्भ कंडिका 8.8.1)

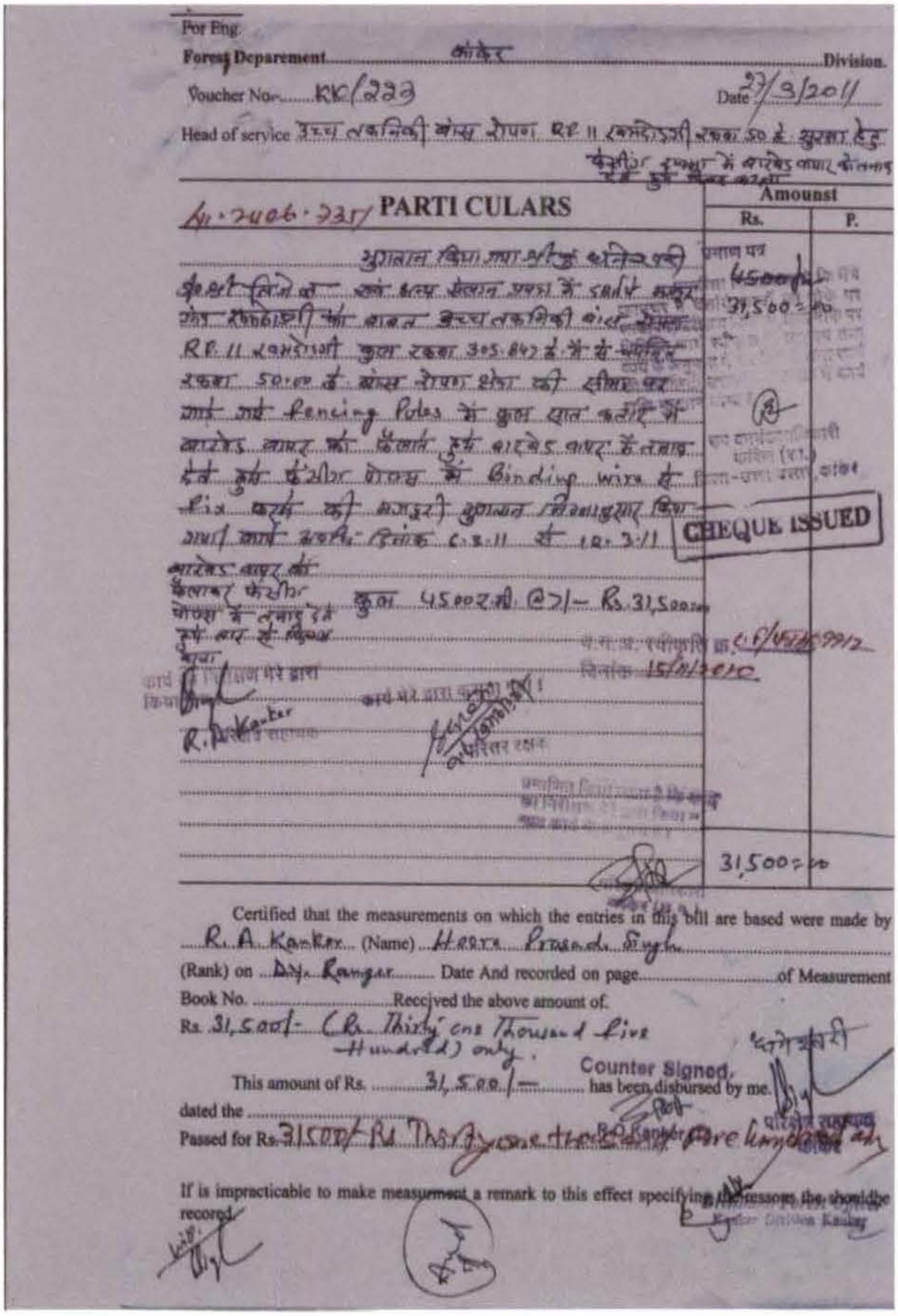

For Eng

Forest Deparement .... कांकेर .... Division.

Voucher No. KK/223 Date 27/3/2011

Head of service

PARTI CULARS

PARTI CULARS	Amounst Rs.	P.
	45000	
	31,500	00
कुल 4500 रनि. @7/- Rs. 31,500.00		
	CHEQUE ISSUED	
	31,500	00

Certified that the measurements on which the entries in this bill are based were made by R. A. Kanker (Name) Heera Prasad Singh (Rank) on Dy. Ranger Date And recorded on page .... of Measurement Book No. .... Received the above amount of.

Rs. 31,500/- (Rs. Thirty one Thousand Five Hundred) only.

Counter Signed.

This amount of Rs. 31,500/- has been disbursed by me.

dated the ....

Passed for Rs. 31500/- Rs. Thirty one thousand five hundred only

If is impracticable to make measurement a remark to this effect specifying the reasons the shouldbe recored.

परिशिष्ट-8.3 (जारी)

(संदर्भ कंडिका 8.8.1)

कार्यरत मजदूरों की सूची

क्र.	मजदूर का नाम	ग्राम	राशि	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
(1)	[illegible]	[illegible]	1050.00	[illegible]
(2)	[illegible]	[illegible]	1050.00	[illegible]
(3)	[illegible]	-do-	1050.00	अगहन
(4)	[illegible]	-do-	1050.00	बैदराम
(5)	[illegible]	-do-	1050.00	लछमण
(6)	[illegible]	-do-	1050.00	श्यामलाल
(7)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(8)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(9)	[illegible]	-do-	1050.00	नरेन्द्र
(10)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(11)	[illegible]	-do-	1050.00	धनेश्वरी
(12)	[illegible]	-do-	1050.00	आगेश्वरी
(13)	[illegible]	-do-	1050.00	अमरिका
(14)	[illegible]	-do-	1050.00	बसन्ता
(15)	[illegible]	-do-	1050.00	रमतुला
(16)	[illegible]	-do-	1050.00	सुप्रीति
(17)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(18)	[illegible]	-do-	1050.00	सन्तोष
(19)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(20)	[illegible]	-do-	1050.00	नथली
(21)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(22)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(23)	[illegible]	-do-	1050.00	जनता
(24)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(25)	[illegible]	-do-	1050.00	सारकी
(26)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(27)	[illegible]	-do-	1050.00	[illegible]
(28)	[illegible]	-do-	1050.00	
(29)	[illegible]		1050.00	विनोद
(30)	[illegible]			
			31500.00	R.D.

परिशिष्ट-8.4

(संदर्भ कंडिका 8.9.2)

कक्ष क्र.	साल वन (हे.)	मिश्रित वन (हे.)	बिगड़ा क्षेत्र (हे.)	रिक्त क्षेत्र (हे.)	वृक्षारोपण (हे.)	अतिक्रमण (हे.)	नदी/नाला (हे.)	कार्य अयोग्य (हे.)	कार्य योग्य (हे.)	कुल (हे.)
74	276.121	0	0	0	0	0	0	16.65	276.12	292.77
197	316.500	0	7.42	4.60	0	0	7.2	19.22	316.50	335.72
295	284.012	0	12.25	0	0	0	15.25	27.50	284.01	311.51
300	293.950	0	11.25	0	0	0	4.22	15.48	293.95	309.43
योग	**1170.583**	**0**	**30.92**	**4.60**	**0**	**0**	**26.67**	**78.85**	**1,170.58**	**1,249.43**

कक्ष क्र.	बांस रोपण हेतु लिया गया क्षेत्र (हे.)	रोपित बांस पौधों की संख्या	आवंटन (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु)	व्यय (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु)
74	25	10,000	2,92,000	3,75,663
197	50	20,000	5,84,000	5,71,450
295	75	30,000	8,76,000	6,93,047
300	50	20,000	5,84,000	6,06,770
योग	**200**	**80,000**	**23,36,000**	**22,46,930**

5 में से 4 कूपों का चयन किया गया।

4 कूपों का विस्तृत विवरणः

1. 4 कूपों में उपलब्ध क्षेत्र (बिगड़ा + रिक्त) = 35.52 हे.
2. बांस रोपण हेतु लिया गया क्षेत्र = 200 हे. अर्थात 164.48 हे. (200-35.52) अधिक
3. 200 हे. के लिए प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में कुल व्यय- ₹ 22,46,930
4. प्रति हे. व्यय- ₹ 11,234 (₹ 22,46,930 / 200 हे.)
5. अनुपलब्ध क्षेत्र 164.48 हे. ₹ 11,234 की दर से वृक्षारोपण किये जाने से अधिक व्यय = ₹ 18,47,768.
6. 200 हे. में 80,000 बांस रोपण, अर्थात 400 पौधे प्रति हे.,अधिक रोपण दर्शाया जाना- 400 X 164.48 हे. = 65,792 पौधे।

इस प्रकार बांस रोपण में राशि ₹ 18,47,768 का व्यय संदिग्ध व्यय है।